

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

7 सितम्बर, 2010

खण्ड 2, अंक 3

अधिकृत विवरण



विषय सूची

मंगलवार, 7 सितम्बर, 2010

	पृष्ठ संख्या
शोक प्रस्ताव	(3)1
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(3)2
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(3) 27
शोक प्रस्ताव	(3) 35
स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति	(3) 35
विभिन्न मामलों उठाना	(3) 36
बैठक का स्थगन	(3) 37

मूल्य : 210

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 7 सितम्बर, 2010

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में
तः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चड्ढा) ने अध्यक्षता की।

शोक प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will make an obituary reference.

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन में शोक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। यह सदन हरिपुरा मौहल्ला इज्जर के स्वतंत्रता सेनानी श्री श्रीचन्द्र काकरण के 6 सितम्बर, 2010 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

श्री श्रीचन्द्र काकरण का जन्म 17 सितम्बर, 1914 को इज्जर में हुआ। उन्होंने 15 फरवरी, 1942 को आजाद हिंद फौज में शामिल होकर देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। उन्होंने देश की आजादी के लिए अनेक यातनाएं सही तथा 1942 से 1945 तक ब्रिटिश जेल में रहे।

उनके निधन से देश एक महान् स्वतंत्रता सेनानी की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार से सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री रामपाल माजरा (कलायत) : अध्यक्ष महोदय, हरिपुरा मौहल्ला, इज्जर के स्वतंत्रता सेनानी श्री श्रीचन्द्र काकरण के 6 सितम्बर, 2010 को हुए दुःखद निधन पर मैं अपने दल और दल के नेता की तरफ से गहरा शोक प्रकट करता हूँ।

श्री श्रीचन्द्र काकरण का जन्म 17 सितम्बर, 1914 को इज्जर में हुआ। उन्होंने 15 फरवरी, 1942 को आजाद हिंद फौज में शामिल होकर देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। उन्होंने देश की आजादी के लिए अनेक यातनाएं सही तथा 1942 से 1945 तक ब्रिटिश जेल में रहे।

उनके निधन से देश एक महान् स्वतंत्रता सेनानी की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपने दल और दल के नेता की तरफ से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

श्री कृष्णपाल गुर्जर (तिगांव) : अध्यक्ष महोदय, हरिपुरा मौहल्ला, झज्जर के स्वतंत्रता सेनानी श्री श्रीचन्द्र काकराण के 6 सितम्बर, 2010 को हुए दुःखद निधन पर मैं अपनी पार्टी की तरफ से गहरा शोक प्रकट करता हूँ।

श्री श्रीचन्द्र काकराण का जन्म 17 सितम्बर, 1914 को झज्जर में हुआ। उन्होंने 15 फरवरी, 1942 को आजाद हिंद फौज में शामिल होकर देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। उन्होंने देश की आजादी के लिए अनेक यत्नाएं सही तथा 1942 से 1945 तक ब्रिटिश जेल में रहे।

उनके निधन से देश एक महान् स्वतंत्रता सेनानी की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I associate myself with the Obituary Reference made by the Parliamentary Affairs Minister and the feelings expressed by other Members of the House. Shri Srichand Kakran was a great freedom fighter and suffered a lot for the independence of the country. Such freedom fighters are an inspiration for others who love their country deeply. I pray the Almighty to give peace to the departed soul. I will convey the feelings of this august House to the bereaved family.

Now, I request all of you to kindly stand up to pay homage to the departed soul for two minutes.

(At this stage, the House stood up in silence for two minutes as a mark of respect to the memory of deceased.)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Question Hour.

Ch. Aftab Ahmed : Speaker Sir, with your permission I want to ask the Starred Question No. 313. on behalf of Sh. Kuldeep Sharma. Kindly allow me.

Mr. Speaker : Alright, you may ask.

Extent of Wakf Land

313. **Shri Kuldeep Sharma** : will the Chief Minister be pleased to state—

- (a) the extent of Wakf land in the State;
- (b) the area of Wakf land given on lease in the State year wise from 1999-2000 to till date;
- (c) the criteria, mode and methodology for giving Wakf land on lease; and
- (d) whether Wakf Board invites proposals through open advertisements and follows system of bidding for allocation of its land on lease ?

PWD (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala)

- (a) Sir, the details of extent of Wakf land in the State are appended as **Appendix-I**.
- (b) In 1999-2000, Wakf Board was the composite Punjab Wakf Board comprising of the States of Punjab, Haryana, Himachal Pradesh and UT of Chandigarh. The Punjab Wakf Board was divided into four State Wakf Boards in August, 2003 and Haryana Wakf Board was constituted. The details of Wakf properties in number leased out by Haryana Wakf Board since 2004-05 are appended as **Appendix-II**.
- (c) The Haryana Wakf Board gives Wakf land on lease as per criteria laid down in its Schedule Rates, which is notified in the Haryana Government Gazette. The applications for cases of Wakf lands are dealt with at four different levels. Step-I : Application is received from the prospective lessee in the field offices at District Headquarters on prescribed format. Step-II : After verification of records, the same is forwarded to the Head Office of the Board. Step-III : Lease proposals are scrutinized in Lease Section. Step-IV- the proposals are sent to Lease Committee for examination and recommendation. Ultimately, the lease proposals are approved by the Board on the recommendations of the Lease Committee.
- (d) No Sir. For allocation of Wakf Board's land on lease, system of bidding through open auction cannot be followed, because Wakf properties are generally not under clear possession of the Haryana Wakf Board.

[Shri Randeep Singh Surjewala]

Sr. No.	Name of District	Total unit of Rural Properties	Total unit of Urban Properties	Area of Unit of Rural Properties		Area of unit of Urban Properties		Grand Total					
				Ks.	Sq.Yds.	Ks.	Sq.Yds.						
1	Ambala	689	386	1075	8960	3	12	1667	17	9	10628	0	21
2	Panchkula	72	29	101	2713	10	21	89	7	17	2802	17	38
3	Kurukshetra	697	285	982	16450	15	-	1492	5	16	17943	-	16
4	Karnal	418	309	727	7472	9	-	1376	5	-	8848	14	-
5	Panipat	296	675	971	4690	12	-	7014	12	6	3756	4	6
6	Sonepat	350	419	769	3056	5	-	700	9	9	11705	14	9
7	Faridabad	336	213	549	4541	8	16	469	1	28	5010	9	44
8	Gurgaon	202	44	246	1601	5	-	264	16	12	1866	1	12
9	Mewat(Nhh)	1977	234	2211	32151	8	-	1545	8	-	33696	16	-
10	Rewari	171	82	253	1954	5	-	279	20	-	2234	5	-
11	Mahendergarh	98	252	350	823	6	-	14576	6	-	15399	12	-
12	Rohitak	160	135	295	1767	15	-	532	14	5	2300	9	5
13	Jhajjar	178	108	286	2096	5	-	45	16	25	2142	1	25
14	Jind	345	80	425	2549	7	-	351	2	-	2900	9	5
15	Sirsa	362	161	523	8961	1	11	1339	4	21	10300	5	32
16	Fatehabad	269	47	316	8762	19	23	1106	16	9	9869	15	32
17	Hissar	397	507	904	5388	7	-	1854	3	16	7242	10	16
18	Bhiwani	263	123	386	3450	14	-	974	13	6	4425	7	6
19	Kaithal	379	162	541	6886	18	16	1449	17	7	8336	15	23
20	Yamuna Nagar	525	58	583	4883	17	19	868	8	-	8752	5	19
Grand Total		8184	4309	12493	129153	189	118	37989	199	186	167153	168	304

Total Number of Rural and Urban Wakf Units 12493

Total measurement 167161K-8M-4 Sq. Yds.

In Acre 20907.625

APPENDIX-II
District-wise details of Number of Properties Leased Out by the Board, year-wise

Sr. No.	Name of Distt/Circle	2004-05		2005-06		2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		Total
		Urban	Rural	Urban	Rural	Urban	Rural	Urban	Rural	Urban	Rural	Urban	Rural	
1	Ambala	40	13=53	39	12=51	43	15=58	62	14=76	91	11=102	87	15=102	442
2	Yamuna Nagar	14	12=26	15	11=26	20	15=35	27	11=38	9	13=22	14	13=27	174
3	Kurukshetra	60	15=75	27	13=40	49	14=63	16	15=31	23	12=35	13	16=29	273
4	Jind	17	2=19	15	3=18	38	2=40	35	3=38	17	2=19	5	3=8	142
5	Kaithal	27	14=41	51	11=62	29	13=42	10	11=21	23	10=33	20	13=33	232
6	Hisar, Bhiwani & Tohana	63	13=76	90	12=102	69	15=84	37	10=47	49	14=63	56	15=71	443
7	Sirsa	69	12=81	26	7=33	18	9=27	15	6=21	27	5=32	74	6=80	274
8	Sonepat	46	4=50	58	6=64	41	4=45	62	4=66	78	5=82	145	5=150	457
9	Panipat	71	4=75	19	6=25	41	4=45	59	5=64	38	6=44	33	8=41	294
10	Palwal & Faridabad	33	3=36	6	4=10	27	2=29	53	5=58	28	3=31	25	3=28	192
11	Gurgaon & Mewat	17	8=25	29	7=36	39	9=48	120	8+128	25	7=32	30	8=38	309
12	Karnal	85	11=96	44	10=54	33	9=42	86	8=94	24	10=34	27	6=33	350
13	Rohtak & Jhajjar	70	8=78	26	9=35	42	8=50	102	9=111	70	8=78	65	8=73	425
14	Rewari & Mahendergarh	35	5=40	12	8=20	46	6=52	70	5=75	38	6=44	93	7=100	331
Total		771		576		660		868		648		815		4338

श्री० आफताब अहमद : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वक्फ बोर्ड की जिस एनक्रोच प्रोपर्टी पर इललीगली टेनेन्ट्स बैठे हुए हैं उनको हटाने के बारे में पिछले सदन में भी आश्वासन दिया गया था तो इस बारे में अब क्या कदम उठाए जा रहे हैं ? स्पीकर सर, वक्फ बोर्ड को अपनी इस तरह की इललीगल प्रोपर्टी टेनेन्ट्स से छुड़ाने के लिए सरकार की मदद चाहिए।

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, Wakf Board is an independent statutory entity and Government provides all assistance to the Wakf Board as far as possible and as asked for by the Wakf Board from time to time. For purposes of either vacation of properties as qua enhancement in lease money that my Learned friend has asked, the Wakf Board has already given a schedule of rates that I have appended herewith. As per those Schedule of rates the Wakf Board properties are being leased out by the Wakf Board. As far as that property which is in possession of either a Government entity or a body or a statutory entity which is a part and parcel of the Government, the Government has taken a decision that on those schedule of rates these properties will be given to these entities whether there are Municipal Councils or Corporations, whether there are Government departments or otherwise so that the conflict of the authority does not come.

Shri Bharat Bhushan Batra : Hon'ble Speaker Sir, before I put the question I want to say that Wakf Board in Haryana is landed to always scandals. Unless the tenants who are occupying the property are not evicted in the due course of law, can there be any new tenancy law to evict these tenants? This is my question. It has been generally seen that एक आदमी के नाम से टीनेंसी होती है दूसरा आदमी पैसे देकर वहां पर जाता है और अपने नाम टीनेंसी लिखवा कर लाता है तथा फिजीकली फोर्स से आपस में झगड़े करके पुर्जेशन लेते हैं। Is the Wakf Board follows the rule of law or not ?

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, any statutory authority or any individual who is a citizen or any other foreign national who enters this country is bound to follow the rule of law including the Wakf Board. On that there can be no debate of question. Sir, the income of the Wakf Board which arises on account of these leases that we give from time to time. My Learned friend has asked a specific question how does Wakf Board allot property in possession of one to the another person. Sir, there is a methodology that they have given as I pointed out that government is not directly incharge of the Wakf Board. We have no right of issuing even a direction to the Wakf Board under the Act. We can only assist them from time to time. They follow their own

procedure modalities and methodologies as far as vacation of their properties is concerned. It is, however, a fact that Wakf Board in Haryana has made a very serious attempt, for minority welfare, for providing necessary assistance to minorities, for providing aid and assistance to minorities students, for propagating its causes and for propagating the cause of education. It is on account thereof that their income has gone up i.e. in the financial year 2003-04 it was only 4 Crore 95 lac of rupees and in 2009-10 it has gone up to 13 crore 67 lac of rupees. Speaker Sir, Wakf Board in Haryana has been even praised by the Parliamentary Standing Committee for proceeding to set up a Mewat Engineering College for the minority particularly for the minority population of Mewat and in order to propagate the cause of modernization and education which is so important in the backward region of Mewat.

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या वक्फ बोर्ड को उसके कॉन्स्टीच्यूशन के अनुसार भठित करने का सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? वर्तमान में इसका ऐडमिनिस्ट्रेशन ऐडमिनिस्ट्रेटर और सी०ए०ओ० चला रहे हैं। वक्फ बोर्ड के कॉन्स्टीच्यूशन के अनुसार इसका गठन करना जरूरी है और यह मामला काफी लम्बे समय से सरकार के पास विचार के लंबित भी है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सर, सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

Shri Bharat Bhushan Batra : Hon'ble Speaker Sir, I again put the question. मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जैसे आज कोई प्रॉपर्टी मेरे नाम है और कल को वह प्रॉपर्टी सुरजेवाला साहब लेना चाहते हैं तो वक्फ बोर्ड के दफ्तर में जाकर without cancellation they issue the receipts. I hope that to stop these things there should be corrective measures against the Wakf Board.

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, I concur with the anxiety expressed by my learned friend. 1-2 इंस्टांस इन्होंने बताए हैं जो इनके नोटिस में आए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि Financial Commissioner and Principal Secretary to Government Haryana, Administration of Justice Department ने 27 नवम्बर, 2009 को एक विट्टी इस बारे में निकाली है जिसमें उन्होंने regarding removal of encroachment etc. and allocation of leases स्पेसिफिकली कहा है। उन्होंने ये भी कहा है "that the matter has been considered by the Government and it has been decided that concerned Government Departments, Semi-Government agencies which occupies the properties land of Haryana Wakf Board should become lessee of the Wakf Board" तो ये जहां-जहां एजेंसीज, डिपार्टमेंट आएंगे, तकरीबन 750 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं, वहां-वहां वे वक्फ बोर्ड के चार्जिज देकर जो शिडयूल्ड ऑफ रेंट्स हैं, उसके लैसी बन सकते हैं। जहां तक निजी प्रॉपर्टीज का सवाल है मैं इस बात से सहमत हूँ कि एक प्रॉपर्टी जो एक व्यक्ति के पजेशन में है under a valid lease वह नार्मली दूसरे व्यक्ति को नहीं दी जानी चाहिए। ये केस टू केस अगर कोई इंस्टांस बताएंगे तो गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड को जरूर इस बात के लिए रिक्वेस्ट करेगी कि वे इस मामले में न्यायोचित कार्यवाही करें।

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री जी ने बताया कि वक्फ बोर्ड की लगभग सभी जमीनें टुकड़ों में हैं और उन पर कब्जे हैं। मैं यह जानना चाहूँगा कि वक्फ बोर्ड ने आज तक सरकार से इन मामलों में कितनी मदद मांगी है, कितनी रिक्वेस्ट्स भेजी हैं कि ये जमीनें नाजायज कब्जे में हैं और इन कब्जों को हटा दिया जाए और कितने केसिज में कार्यवाही की गई है?

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, this information is not readily available. My learned friend should give it in writing and ask for specific cases.

Mr. Speaker : It is not possible to reply.

श्री जगवीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या हरियाणा वक्फ बोर्ड की मलकियत के अलावा कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी हैं जिनकी मलकियत दूसरे अदायारों की है और अगर हैं तो वह कितनी हैं?

Mr. Speaker : No, no. You can only ask the question regarding Wakf Board.

श्री जगवीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, मैं यही पूछ रहा हूँ कि ऐसी कितनी भूमि है जो वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट और कंट्रोल में है लेकिन उन पर मलकियत वक्फ बोर्ड की नहीं है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने रिटर्न रिप्लाइ के (क) में जवाब दिया है कि हमारे पास हरियाणा वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं वह हमने अपेंडिक्स-1 में दर्शाई हैं। एक बात जरूर है कि अगस्त, 2003 में हरियाणा में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ था। उससे पहले चार प्रांतों का एक वक्फ बोर्ड था, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और यूनियन टैरीटरी चण्डीगढ़ शामिल थे इन सब की प्रॉपर्टीज एक वक्फ बोर्ड के पास थी लेकिन उनका रिकार्ड डिसेग्रीगेट होकर अभी तक हमारे पास नहीं आया है। अगस्त, 2003 से आगे सरकार ने डिविजनल कमिश्नरज को आदेश दिए हैं कि वे वक्फ बोर्ड की सारी प्रॉपर्टी को आईडेंटिफाई करें। हमारे पास किसी और अदायारे की प्रॉपर्टी नहीं है। जिस बारे में मलिक साहब चर्चा कर रहे हैं अगर मुझे ठीक से समझ में आया है तो उसके बारे में मैं इनको बताना चाहूँगा कि जब हिन्दुस्तान का गठन हुआ तो उस समय सारी प्रॉपर्टी कस्टोडियन विभाग के पास थी, वक्फ बोर्ड ऐक्ट तो बाद में आया है। सर, आप तो इस बात से परिचित हैं हम लोग तो उसके बाद में पैदा हुए हैं। पहले कस्टोडियन विभाग के पास सारी प्रॉपर्टी चली गई और कस्टोडियन विभाग और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी इन्टर मिक्स हो गई। कस्टोडियन विभाग नामली उन आऊस्टीज की प्रॉपर्टी को एलोकेट करता था जो किसी दूसरे व्यक्ति की पोजेशन में थी। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे एलोकेट भी हुई थी। बाद में गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में लेजिसलेशन लाकर वक्फ बोर्ड का कानून बनाया। जो जानकारी वक्फ बोर्ड हरियाणा के द्वारा मुझे दी गई है उसके मुताबिक और अदायारे की प्रॉपर्टी हमारे कब्जे में नहीं है।

श्री जगवीर सिंह मलिक: स्पीकर सर, दारुलुलुम देवबन्द की प्रॉपर्टी जो हरियाणा में है, उसका मैनेजमेंट पंजाब वक्फ बोर्ड के पास है और ऐसे बहुत से अदायारे हैं जिनका मैनेजमेंट कंट्रोल पंजाब वक्फ बोर्ड के पास है लेकिन उनकी मलकियत नहीं है। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनकी बही लीज मनी लेते हैं और उनको ट्रांसफर करते हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, कोई स्पैसिफिक इन्सटान्स या कोई एजेंसी या कोई क्लेमेंट अगर हमारे पास आयेगा तो उसको हम जरूर एग्जामिन कर लेंगे, we have an open mind on that.

To set up a 66 KV Sub Station

*246. **Shri Rajbir Singh:** Will the Power Minister be pleased to state—

- (a) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a new 66 KV Sub Station at Dhanaura or in its adjacent area to solve the over-loading problem of Sub Station Sadhaura and low voltage problem in the villages of Dhanaura feeder; and
- (b) if so, the time by which the Sub-Station referred to above is likely to be set up?

बिजली मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह):

- (क) नहीं, श्रीमान जी।
- (ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री राजवीर सिंह बराड़ा: स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि क्या मेरे हल्के में पावर हाऊस बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है या नहीं? मेरे हल्के के 30-35 गाँव ऐसे हैं जिनको दूसरे हल्के सड़ौरा से पावर सप्लाई की जाती है जो कि लगभग 20-25 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। परमात्मा की दया से इस बार तो बरसात हो गई है इसलिए अब की बार तो इन गाँवों में फसल हो जायेगी नहीं तो इन गाँवों में फसल नहीं हो पाती। क्या इन गाँवों की बिजली की समस्या का कोई समाधान किया जायेगा क्योंकि इन गाँवों में बिजली की बहुत ही कम बोल्टेज आती है। क्या सरकार के पास कोई ऐसी योजना है जो इस समस्या का समाधान कर सके?

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सवाल किया है कि धनौरा फीडर में बोल्टेज की कमी की वजह से समस्या है यह बात इनकी वाजिब है। नये सब स्टेशन बनाने का जहाँ तक सवाल है उस बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि नये सब स्टेशन को स्थापित करने के लिए कुछ नार्ज होते हैं। जैसे ओवरलोड फीडर सब-स्टेशन का होना, कुछ क्षेत्र की दूरी होना जिसका इन्होंने वर्णन किया है, यह कुछ नार्ज हैं जिनके मुताबिक सब-स्टेशन खोलने की बात है। जहाँ तक धनौरा फीडर की बात है इस फीडर को सड़ौरा सब-स्टेशन से फीड किया जाता है। हमारी जो इस वक्त प्रोग्रेस है उसमें उप-केन्द्र रामपुर कम्बोज के 220 के०वी० का सब स्टेशन निर्माणाधीन है उससे यह जोड़ने की प्लान है जिसको हम दिसम्बर तक जोड़ देंगे। जो कम बोल्टेज की समस्या यहाँ पर आ रही है इस समस्या का समाधान उससे हो जायेगा। उससे पहले हम अतिरिक्त ट्रांसफार्मर को अप-ग्रेड करके इस समस्या का समाधान कर सकते हैं उसके लिए दिसम्बर से पहले ही हम इसकी व्यवस्था करने जा रहे हैं। माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं इनको थोड़ा बता दूँ जैसे इनके नोटिस में भी होगा कि इनकी समस्या के निदान के लिए फौरी तौर पर चार गाँव जो इसी सब-स्टेशन से जुड़े हुए थे जिसमें दूलियाना है, दूलियानी है, रूलाहेडी है इन तीन-चार गाँवों को मुलाना से कुछ समय के लिए जोड़ा गया है ताकि उस पर लोड कम हो। मैं माननीय सदस्य को इतना आश्वस्त कर सकता हूँ कि इस सब-स्टेशन से जुड़ने के बाद जिसे शायद दिसम्बर तक हम जोड़ देंगे, इनकी समस्या का निदान हो जायेगा। जो ये गाँवों की दूरी बता रहे हैं वे तकरीबन 15 किलोमीटर के करीब हैं वैसे कायदे और नार्ज के मुताबिक यह दूरी 8 से 10 किलोमीटर होनी चाहिए। आज पावर क्षेत्र में बहुत तेजी से विकास हो

[श्री महेन्द्र प्रताप सिंह]

रहा है। विशेषकर इन 5 वर्षों में जनरेशन, ट्रांसमीशन और डिस्ट्रीब्यूशन में बड़ी तेजी से विस्तार हुआ है। मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में इस चैलेंज को या इस आवश्यकता को महसूस किया गया है। इन 5 सालों में चाहे ट्रांसमीशन हो या डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसको डबल करने की कोशिश की गई है लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए इतना ही कह दूँ कि अगर उनकी समस्या का निदान नहीं होगा तो हम उस पोसीबिलिटी पर विचार करेंगे।

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, मेरे काबिल दोस्त माननीय मंत्री जी ने बताया है कि सब स्टेशन बनाने के कुछ नार्म्ज हैं। लम्बे समय से एक प्रैक्टिस रही है कि ग्राम पंचायतें इस तरह के कार्यों के लिए फ्री आफ कास्ट उपहार स्वरूप जमीन देती हैं और उन गांवों में सब स्टेशन बनाए भी जाते हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि अगर पंचायतों की जमीनें फ्री आफ कास्ट उपहार स्वरूप दे दी जाएंगी तो उनके विकास के काम अवरुद्ध हो जाएंगे क्योंकि विकास के लिए और कहीं से तो कोई पैसा नहीं आता। क्या मंत्री जी बताएंगे कि पंचायतों द्वारा सब स्टेशन बनाने के लिए जो जमीनें दी गई हैं, उनके लिए कोई मुआवजा देंगे या फिर जो पंचायतें रैजोल्यूशन पास करके देंगी केवल मात्र उन्हीं में सब स्टेशन बनाए जाएंगे?

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पंचायतों की जमीन के लिए कहा है तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि इस समय हम फ्री आफ कास्ट जमीन नहीं लेते। अगर कोई पुरानी जमीनें ली गई हैं तो वह गलत बात है। जो नए नार्म्ज हैं उसके अनुसार अब हम फ्री जमीन नहीं ले रहे हैं। (विद्युत) पुराने समय में इसकी टर्मज एण्ड कंडीशंस कुछ और थी, नार्म्ज कुछ और थे। पहले अगर ऐसी कुछ जमीनें दी गई हैं तो उनको मुआवजा देने के बारे में कोई योजना अभी तक हमारे पास विचाराधीन नहीं है लेकिन फिर भी हम इसको एग्जामिन करवा लेंगे।

श्री सुभाष चौधरी: अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी कह रहे हैं कि फ्री आफ कास्ट जमीनें अब नहीं ली जा रही हैं लेकिन मैं इन्हें एक उदाहरण दे दूँ कि राज्यपुर खादर की जमीन जो इनके क्षेत्र के मोहना से 12-13 किलोमीटर पर है, उसमें पंचायत ने बिना पैसे के जमीन दे दी है और इसका रैजोल्यूशन 3 साल पहले पास हो गया था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या उस जमीन पर सब स्टेशन बनावाया जाएगा?

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी ने बता दिया कि इनके पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि नगर पालिका और कारपोरेशन की सीमा विस्तार के कारण कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों में शामिल किया गया है लेकिन उन क्षेत्रों में बिजली ग्रामीण फीडर्ज से ही दी जाती है जबकि वे क्षेत्र अब शहरी क्षेत्रों में आ चुके हैं। वहाँ के लोगों से जो इसके चार्जिज होते हैं वे वसूल भी किए जा रहे हैं। क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण फीडर्ज से बिजली दी जाती है उनको भी शहरी फीडर्ज के साथ जोड़ा जाएगा?

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, जो एरियाज कारपोरेशन बनाने के बाद अब शहरी क्षेत्र में आ जाएंगे वहाँ तो स्थिति अलग है। जहाँ तक पहले की बात है तो ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों और ट्यूबवैलज को शहर के मुताबिक बिजली सप्लाई करना सम्भव नहीं है। ट्यूबवैलज के लिए इस समय हम 8 घंटे या उससे ज्यादा बिजली दे रहे हैं। चूंकि गांव और ट्यूबवैलज की पावर सप्लाई पहले

इकट्ठी थी लेकिन सैग्रीगेशन के बाद गांव को तकरीबन 12 घंटे बिजली दे रहे हैं। जो एरियाज अब शहरी क्षेत्र में आ गए हैं अगर उन एरियाज में खास तौर पर गांव को और ट्यूबवैलज को हम 24 घंटे बिजली देने की बात करें तो यह अभी संभव नहीं है क्योंकि वह काफी बड़ा एरिया है लेकिन जब कारपोरेशन का गठन पूरा हो जायेगा तब हम इस पर विचार करेंगे कि इसको शहरी फीडर से जोड़ा जाए क्योंकि ये क्षेत्र शहरी क्षेत्र में आ गए हैं लेकिन ट्यूबवैलज के फीडर को हम ट्यूबवैलज के रेट के मुताबिक ही बिजली देंगे क्योंकि उस पर गवर्नमेंट सबसिडी देती है। किसानों से ट्यूबवैलज की बिजली के लिए बहुत ही नोमीनल चार्ज किया जाता है। ट्यूबवैलज के लिए इस समय 8 घंटे बिजली दी जा रही है अगर ट्यूबवैलज को हम 24 घंटे बिजली देंगे तो बिजली की खपत ट्यूबवैलज के अनुरूप नहीं होगी।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जहां ट्यूबवैलज अलग किए जा चुके हैं वहां किस हिसाब से बिजली दी जाती है?

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, जहां ट्यूबवैलज अलग किए जा चुके हैं वहां ट्यूबवैलज को 8 घंटे बिजली दी जा रही है। जो क्षेत्र कारपोरेशन में आ गए हैं और जहां अब पंचायतें नहीं रही वहां शहरी क्षेत्र की तर्ज पर बिजली देने बारे हम कारपोरेशन बनने के बाद विचार करेंगे।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो गांव शहरों के साथ लगते हैं उन गांवों में रहने वाले किसानों के ट्यूबवैलज के कनेक्शन शहरी फीडर से जुड़े हुए हैं। उन लोगों को बिजली विभाग ने कहा है कि आप इन ट्यूबवैलज का कनेक्शन ग्रामीण फीडर से लेना पड़ेगा अन्यथा आपको 35 पैसे यूनिट के हिसाब से बिजली नहीं दी जायेगी। अध्यक्ष महोदय, किसान चाहे शहरों में रहने वाले हों या गांव में रहने वाले हों सबसे बिजली का एक ही रेट वसूल करना चाहिए। मेरी दूसरी सप्लीमेंट्री यह है कि आज के दिन ट्राण्शियर्स और डेरों में बिजली की बहुत समस्या है। क्या सरकार प्रदेश की ट्राण्शियर्स और डेरों को गांवों के फीडर से जोड़ने पर विचार कर रही है?

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, बहुत से एरियाज में कुछ कनेक्शन ऐसे हैं जिनका माननीय सदस्य जिक्र कर रहे हैं लेकिन चाहे शहरी क्षेत्र में वे एरियाज आ गये हों वहां के किसानों के ट्यूबवैलज के लिए भी बिजली सबसिडाईज्ड रेट पर दी जाती है। यदि कोई 24 घंटे बिजली लेने के लिए शहरी फीडर से कनेक्शन जोड़ेगा तो जो डोमेस्टिक चार्ज शहर का है वही चार्ज करना पड़ेगा लेकिन ट्यूबवैल के लिए सबसिडाईज्ड से अधिक चार्ज नहीं कर सकते।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, लेकिन गांव के बिलों में तो चार्जिंग लगाने शुरू हो गये हैं। (विघ्न)

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह: यह वहां होगा जहां 24 घंटे बिजली सप्लाई ली जा रही है लेकिन जहां नहीं ली जा रही है वहां ऐसा नहीं है। अगर है तो आप बतायें।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, * * *

Mr. Speaker: Vij Sahib. Is it the way? विज साहब, आपको आदत पड़ गई है, आप रोज लेन तोड़ते हैं। This is very bad. आप सीनियर सदस्य हैं। सवाल किसी दूसरे माननीय सदस्य का है और आप बीच में आ गये। (विघ्न) विज साहब, प्लीज आप बेटें, आप दूसरी सप्लीमेंट्री पूछ लें। (विघ्न) Whatever Mr. Vij is saying is not going to be recorded.

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह: जो बिल 3-4 रुपये प्रति यूनिट दिया जा रहा है आप इस बारे में कहना चाहते हैं या कुछ और कहना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसान का जो ट्यूबवैल के कनेक्शन का बिल जाता है उसका टैरिफ सबसिडाइज्ड रेट पर है और उसी हिसाब से दिया जा रहा है, उससे ज्यादा नहीं दिया जा सकता। अगर कुछ जगह पर ट्यूबवैल के कनेक्शन 24 घंटे पावर सप्लाय से जोड़ रखे हैं या जोड़ दिए गए हैं उनको कहा गया है आप 8 घंटे पावर सप्लाय के मुताबिक कनेक्शन जुड़वा लें अन्यथा 24 घंटे के हिसाब से चार्ज किया जायेगा। (विधन) अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दूसरी सप्लीमेंट्री ढाणियों के बारे में पूछी है। इस बारे में मैं माननीय सदस्य को और सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि इस समस्या से माननीय मुख्यमंत्री जी अवगत हैं। जहां तक मेरी जानकारी है हरियाणा में तकरीबन 6 या 7 हजार ढाणियां हैं। ढाणियां वे हैं जहां ट्यूबवैल पर जाकर लोग रहने लगे और उन परिवारों का विस्तार होने पर ढाणियां बन गईं। इसमें भारत सरकार की स्कीम के मुताबिक जो ग्रांट मिलती थी वह जनगणना के अनुसार 100 कनेक्शन ढाणियों में होनी चाहिए तभी हम कनेक्शन दे पाते थे और जिन ढाणियों में 10 से लेकर 100 के बीच कनेक्शन होते थे वहां दिक्कत आती थी। इस समस्या को देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया है कि ढाणियों की भी यूटीलिटी को देखते हुये वहां कनेक्शन दिए जायेंगे। इसमें 10 कनेक्शन से ऊपर 100 कनेक्शन तक 50-50 प्रतिशत के हिसाब से खर्च किया जायेगा यानी 50 प्रतिशत खर्च ढाणियों में रहने वाले व्यक्ति देंगे और 50 प्रतिशत खर्च सरकार देगी। यह हमारी सरकार की एक नीति है जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिजाइड की है।

Completion of Dadupur Nalvi Canal

239. **Shri Bishan Lal Saini** }
Shri Rajbir Singh } Will the Irrigation Minister be pleased to state the time by which the Dadupur Nalvi Canal is likely to start commissioning after its completion?

Finance Minister (Capt. Ajay Singh Yadav): Sir, Dadupur Nalvi Irrigation Scheme (Phase-I) i.e. Shahbad Nalvi Feeder and Shahbad Distributory has already been commissioned and was inaugurated by Hon'ble Chief Minister, Haryana on 01.08.2009.

Phase-II of the project comprising of Nalvi Distributory, Rakshi Nadi Distributory and Saraswati Nadi is likely to be completed and commissioned in June, 2011.

10-00 बजे **डॉ० बिशन लाल सैनी:** स्पीकर सर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया है कि दादूपुर नलवी सिंचाई योजना का पहला चरण पूरा हो चुका है और मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है। सर, इस बारे में मेरी दो सप्लीमेंट्री हैं। पहली तो यह है कि दादूपुर-नलवी नहर पर दादूपुर हेड के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री महोदय पुल का उद्घाटन करके आये थे। यह पुल एक साल के अन्दर ही नीचे बैठ गया है। क्या मंत्री महोदय इस पुल निर्माण में हुई अनियमितताओं की जांच करवायेंगे? अगर हां तो इसकी कार्यवाही पूरी होकर कब तक दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को सजा दी जायेगी? इस संबंध में मेरी दूसरी सप्लीमेंट्री यह है कि कोलापुर गांव के पास से रेलवे लाईन गुजरती है उसके नीचे से इस नहर को गुजरना है। इसके लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है। क्या वहां पर कोई साईफन बनाया जायेगा या कोई दूसरी व्यवस्था की जायेगी यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ ?

कैप्टन अजय सिंह यादव: स्पीकर सर, एक बात तो माननीय सदस्य ने पुल के डैमेज होने की कही है यह बिल्कुल सही है कि वहां पर पुल डैमेज हो गया है। इसका कारण यह रहा है इस बार यमुना नदी में अचानक काफी पानी आ गया था और मैं समझता हूँ कि यह किसी अधिकारी की गलती रही होगी कि जो हैड के ऊपर फ्लड गेट थे उनको उसने समय पर नहीं खोला जिसकी वजह से पानी बांध के ऊपर से स्पिल होकर बहने लगा और उसने हैड को तोड़ दिया जिस कारण पुल कोलैप्स हो गया। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि हम इसकी बाकायदा इन्वैयरी करवा रहे हैं और जो भी अधिकारी इस मामले में दोषी पाया जायेगा उसके खिलाफ सख्त अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी। दूसरी बात माननीय सदस्य ने यह पूछी है कि जो कलापुर गांव है उसके पास रेलवे लाईन के नीचे क्या कोई साईफन बनाया जायेगा। इस संबंध में मैं इनको यह बताना चाहूँगा कि हमारे नोटिस में इस प्रकार की 5-6 जगहें हैं जहां पर हमें ये साईफन बनाने हैं। हम इस जगह को भी एग्जामिन करवा लेंगे और अगर साईफन की जरूरत महसूस हुई तो हम वहां पर साईफन बनवा देंगे।

डॉ० बिशन लाल सैनी: स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह बात इनके नॉलिस में है कि वहां पर साईफन लगाया जाना है?

कैप्टन अजय सिंह यादव: स्पीकर सर, जैसा कि मैंने माननीय सदस्य को पहले भी बताया है जो शाहाबाद फीडर है वहां पर हमें एड्डीशनली 5-6 साईफन लगाने हैं इसलिए माननीय सदस्य ने जिस जगह का जिक्र किया है हम उसे भी एग्जामिन करवा लेंगे और अगर वहां पर रिक्वायरमेंट हुई तो हम वहां पर भी साईफन जरूर बनवा देंगे।

डॉ० बिशन लाल सैनी: स्पीकर सर, ये कहते हैं कि जून, 2011 तक दादुपुर-नलवी नहर को चालू कर दिया जायेगा *** (विघ्न)

Mr. Speaker: No, no. Saini Sahib, this is not the supplementary. Nothing is to be recorded.

श्री रामपाल माजरा: स्पीकर सर, मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि अब तक दादुपुर-नलवी नहर पर कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है। इसके अलावा क्या इन्होंने कोई इस प्रकार का एस्टीमेट बनाया है कि जो पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिन तटबंधों में दरारें आई हैं उनकी रिपेयर पर कितनी धनराशि खर्च होगी और जो क्रॉस-साईफन बनाने की इन्होंने बात कही है कि हमने क्रॉस-साईफन बनाने के लिए सर्वे कर लिया है क्या ये बतायेंगे कि उस पर कितना खर्च आयेगा?

कैप्टन अजय सिंह यादव: स्पीकर सर, इसका हमारा जो फेज-1 था उस पर 129.22 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इसके अलावा इसके फेज-2 में 38.20 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इस प्रकार से टोटल 167.42 करोड़ रुपये खर्च हो गये हैं। इसके अलावा मैं सदन की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूँगा कि जो मारकण्डा रीवर है उसकी लेफ्ट में हैंड साईड में हमने बांध बनाने की प्रपोजल बनाई है। चूंकि वहां पर ज्यादा पानी आने की वजह से दिक्कत होती है इसलिए हम शाहाबाद फीडर के लिए प्रोटेक्शन बांध बना रहे हैं। इसके अलावा हम वहां पर 6-7 ड्रेनेज भी बनायेंगे ताकि 0 से 24 किलोमीटर तक के एरिया में पानी का पैसेज हो सके। स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही थी वह मैंने उनको बता दी है।

*शेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने दादूपुर-नलवी नहर के साथ-साथ मारकण्डा नदी के तटों का भी जिक्र किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या एस०वाई०एल० कैनाल के तटबंधों को मजबूत करने का भी कोई इरादा है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न एस०वाई०एल० कैनाल से संबंधित नहीं है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, जब दादूपुर से मारकण्डा पर आ गये तो एस०वाई०एल० कैनाल का भी बताया जा सकता है। यह बिल्कुल साथ ही लगती है। पिछले दिनों कुरुक्षेत्र में बाढ़ आई थी। जहाँ तक मेरी जानकारी है, कुरुक्षेत्र में यह एक ही जगह से छः बार टूट चुकी है। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इसके क्या कारण हैं कि यह वहाँ से बार-बार टूटती है?

Mr. Speaker: This is not a supplementary for this question.

श्री अशोक अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आपको भी और हमारे को भी वही तो डुबोती है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इस बार पंजाब ने ज्यादा पानी छोड़ दिया जिसकी वजह से एस०वाई०एल० कैनाल डैमेज हो गई, उसकी वजह से ही यह सारा मामला हुआ है। वैसे यह प्रश्न एस०वाई०एल० कैनाल से जुड़ा हुआ नहीं है।

श्री अशोक अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, एस०वाई०एल० कैनाल को मजबूत करने का क्या सरकार के पास कोई विचार है?

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न एस०वाई०एल० नहर से संबंधित नहीं है। आप दादूपुर-नलवी तक ही सीमित रहो, उससे बाहर न निकलो।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इसको मजबूत करने का कार्य हम कर रहे हैं और जो बाकी काम रह गया है वह भी हम करने में लगे हुए हैं।

Public Park in Gharaunda

*219. **Shri Narender Sangwan:** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide a public park in city Ghauranda; if so, details thereof?

विजयलक्ष्मी मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह) : नहीं, श्रीमान जी।

श्री नरेन्द्र सांगवान : अध्यक्ष महोदय, घरौंडा कस्बा जो कि जी०टी० रोड पर पड़ता है उसकी आबादी लगभग 50 हजार है। वहाँ पर आज प्रदूषण इतना बढ़ चुका है कि आम आदमी को वहाँ पर बड़े पार्क की जरूरत महसूस होती है इसलिए मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि वहाँ पर एक पार्क का निर्माण कब तक किया जायेगा ?

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सवाल वैसे तो वाजिब है क्योंकि वहाँ की जनसंख्या 2001 के मुताबिक 30 हजार थी लेकिन आज बढ़कर 50 हजार नहीं तो 40-45 हजार तो हो ही गई होगी। वैसे तो वहाँ पर दो पार्क हैं। एक तो हर्बल पार्क है जो कि लकरीबन 14 कनाल से भी अधिक रकबे में जी०टी० रोड पर ही बना हुआ है और दूसरा एक चिल्लून पार्क है लेकिन आबादी के दृष्टिगत देखें तो वहाँ पर एक और पार्क की भी आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, वहाँ पर कमेटी के पास कोई जगह उपलब्ध नहीं है। अगर माननीय सदस्य कोई जगह दिलवा दें या कोई ऐसी जगह बता दें जो देने को तैयार हों तो हम वहाँ पर पार्क डिवैल्प कर देंगे।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, करनाल म्यूनिसिपल काउंसिल के पास पूरा टेक्निकल स्टाफ है, XEN, SE and JE हैं उसके बावजूद भी करनाल में जो ऐतिहासिक राजा कर्ण के नाम से कर्णताल का पार्क है उसकी रेनोवेशन के लिए हुडा के पास पैसा भी जमा करवा दिया है लेकिन निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। उसको हुडा डिवैल्प कर रहा है लेकिन पिछले 3 साल से वह कार्य पूरा नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगी कि यह कब तक पूरा हो जायेगा? दूसरी बात जब हमारे पास खुद का टेक्निकल स्टाफ होता है तो दूसरी अथॉरिटीज को यह काम क्यों दिया जाता है?

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो बतलाया है उसकी जानकारी तो इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है लेकिन अगर हुडा उसको डिवैल्प कर रहा है और 3 साल हो गये हैं तो वह काम होना चाहिए था। किन कारणों से उसमें देरी हो रही है इस बारे में मैं खुद परशु करूँगा और उसको जल्द से जल्द बनवाया जायेगा।

श्री० परमिन्दर सिंह दुल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है कि अगर म्यूनिसिपल कमेटी की जमीन उपलब्ध हो तो वहाँ लोगों की सुविधा के लिए पार्क डिवैल्प किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, जुलाना में म्यूनिसिपल कमेटी के पास बहुत ज्यादा जमीन है और जुलाना में कोई सामुदायिक केन्द्र और कोई पार्क नहीं बना है। आज वहाँ पर हालात यह हैं कि नगरपालिका वाले तरह-तरह के बहाने बनाकर उस जमीन को कब्जाने को तैयार हैं। क्या मंत्री जी उस जमीन पर पार्क बनाकर उस इलाके के लोगों को कुछ राहत देंगे?

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, म्यूनिसिपल कमेटी के इलेक्शन हो चुके हैं और मेम्बरज जो भी डिवैल्पमेंट के काम करवाने के लिए रैजोल्यूशन वार्डों के मुताबिक करवाते हैं उनके एस्टीमेट्स गवर्नमेंट पास करती है। अध्यक्ष महोदय, इनके यहाँ पर अगर कोई स्पेसिफिक समस्या है तो ये उस बारे में लिखकर भेज दें। हम उसको जनहित में पूरा करवाने की कोशिश करेंगे।

श्री नरेन्द्र सांगवान : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने हर्बल पार्क का जिक्र किया है। वह माननीय चौटाला साहब के समय में बना था। अध्यक्ष महोदय, उस समय आबादी बहुत कम थी और आज आबादी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मंत्री जी ने बोलते हुए म्यूनिसिपल कमेटी की जमीन का भी जिक्र किया है। सर, वहाँ पर म्यूनिसिपल कमेटी की जमीन पड़ी हुई है। अगर सरकार चाहे तो वहाँ पर बड़ा पार्क बना सकती है।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो यह नहीं कहा है कि वह पार्क हमने बनवाया है। जैसी अवस्था उस समय शहर की होगी वैसे पार्क ही बना होगा। अगर मेरे पास जो प्राप्त जानकारी है उसके मुताबिक वहाँ पर कमेटी की कोई जगह नहीं है। अगर है तो आप बताएं कि वह कहां है। हम उसको दिखा लेंगे और अगर हो सकता होगा तो हम उसको बनवा देंगे।

श्री मामू राम : अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं मंत्री महोदय जी से कहना चाहूंगा कि नीलोखेड़ी हल्के के अन्दर पार्क नहीं है और भीलोखेड़ी हल्के में नगरपालिका के पास काफी जमीन भी है। अध्यक्ष महोदय, लोग उस जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। क्या मंत्री जी के पास ऐसा कोई प्रावधान है कि वहाँ पर नगरपालिका की जमीन पर पार्क बनाया जा सके ?

Mr. Speaker : It is not possible to reply. Please sit down. Next question please.

Ch. Aftab Ahmed : Speaker Sir, I have taken the permission from Shri Naseem Ahmed, MLA to ask the Starred Question No. 259. Kindly allow me.

Mr. Speaker : Alright, you may ask.

Bus Service of Haryana Roadways

***259@. Sh. Naseem Ahmed :** Will the Transport Minister be pleased to state the reason for which the bus service of Haryana Roadways has been stopped from Punhana to Firozpur Jhirka via Tigaon-Luhinga Kalan and whether there is any proposal under consideration of the Government to start the said bus service again ?

श्री ओम प्रकाश जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि पुन्हाना से फिरोजपुर झिरका वाया तिगांव-लुहिंगा कलान की हरियाणा राज्य परिवहन की बस आजकल बंद है क्योंकि होडल पुन्हाना से तिगांव होते हुए भीरी कोटी की नई सड़क PWD बनाने जा रहा है। वहाँ पर कुछ पुलिसों पर कर्ब है और वहाँ पर पहाड़ी गिरने की वजह से रास्ता बंद है। अध्यक्ष महोदय, फिर भी हमने पुन्हाना से तिगांव तक बस चालू कर दी है इसके अलावा जो रूकावट है उसको भी दूर करके वहाँ पर बस सेवा दोबारा से शुरू कर देंगे।

चौ० आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, हमारे मेवात में सबसे अच्छी सड़कें हैं लेकिन बस सेवा अपर्याप्त है। सर, शाम पांच बजे के बाद गुडगांव से नूह-फिरोजपुर झिरका के लिए कोई बसें सेवा उपलब्ध नहीं है। क्या मंत्री जी वहाँ पर बसों का इन्लजाम करवाएंगे ?

श्री ओम प्रकाश जैन : अध्यक्ष महोदय, होडल से पुन्हाना, बड़खली, बोड़ी और फिरोजपुर झिरका तक हमारी बसें बराबर चलती हैं। जहाँ तक मेम्बर साहेबान ने कहा है कि पांच बजे के बाद बस नहीं चल रही है तो इस बारे में चैक करने के बाद बस चलवायी जाएगी।

पंडित कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जिन रूट्स पर प्राइवेट बसों को परमिट दिए गए हैं वे उन रूट्स पर बसें नहीं चलाते। क्या मंत्री जी आपकी नॉलेज में यह बात है, अगर है तो क्या उनपर आपने कोई ऐक्शन लिया है ? अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं जानना चाहूंगा कि जो प्राइवेट बस वाले रूट्स पर नहीं चलते हैं क्या उनके परमिट कैन्सिल किए जाएंगे ?

श्री ओम प्रकाश जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मेम्बर साहेब को बताना चाहूंगा कि यह बात हमारी नॉलेज में है। हमारा विभाग वक्तन-फक्तन चैकिंग करता रहता है और

@ Put by Ch. Aftab Ahmed.

चालान भी करता है। अध्यक्ष महोदय, हमारी नई पोलिसी जल्द ही आने वाली है। उस पोलिसी की वजह से प्राइवेट बस वालों को मौका नहीं मिलेगा कि वे अपने रूट से बाहर चल सकें। सर, लेकिन जो बात माननीय सदस्य ने कही है उसको ध्यान में रखकर हम और चर्किंग करवाएंगे।

Shortage of Doctors in Civil Hospital, Charkhi

*230. **Sh. Sat Pal :** Will the Health Minister be pleased to state whether it is a fact that there is a great shortage of Doctors in Civil Hospital, Charkhi; if so, the time by which these posts are likely to be filled up ?

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail) : Sir, there is some shortage of Doctors and other staff in the General Hospital, Charkhi Dadri. Efforts are being made to fill up vacancies within six months.

श्री सतपाल सांगवान : स्पीकर साहब, पिछले विधान सभा सत्र में भी कहा गया था कि 100 बेड का हॉस्पिटल चरखी दादरी में बना देंगे। पर बड़े अचम्भे की बात है कि चरखी दादरी हॉस्पिटल में आज भी स्टाफ नहीं है। न वहाँ पर कोई सर्जन है, न आर्थोपेडिक्स डाक्टर है, न आई सर्जन है और न डेंटल सर्जन है। बार-बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी चरखी दादरी में 100 बेड का हॉस्पिटल नहीं बनाया गया है। उस समय तो इस बारे में हाउस में आश्वासन देकर मुझे खुश किया गया था लेकिन काम कुछ नहीं हुआ है।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगी कि हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन हमारी हरियाणा सरकार की प्रायोरिटी में शामिल है और यदि कोई आश्वासन फ्लोर ऑफ दी हाउस दिया जाता है तो उसको प्रायोरिटी पर पूरा किया जाता है। माननीय सदस्य की चिंता बिल्कुल जायज है। चरखी दादरी हॉस्पिटल बनाने के बारे में 2009-2010 के बजट सत्र में आश्वासन दिया गया था कि 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया जाएगा। आज इस बारे में प्रक्रिया पूरी तरह से जारी है। हॉस्पिटल की जमीन एक ट्रस्ट के नाम है इस जमीन को हम हेल्थ डिपार्टमेंट के नाम ट्रांसफर करवा रहे हैं। इस समय मैं इनको यहीं आश्वासन दूँगी कि चरखी दादरी में 100 बेड का हॉस्पिटल अतिशीघ्र बनना शुरू हो जाएगा। जहाँ तक शॉर्टेज ऑफ डाक्टरों की बात है, डाक्टरों की दिक्कत केवल हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे हिन्दुस्तान में है। इस समय जो हरियाणा में डाक्टरों की स्थिति है उसको देखते हुए हम लोगों ने 499 डाक्टरों की पोस्ट्स को फिल्डअप करने के लिए एडवर्टाइजमेंट कर दी है और अक्टूबर में ही यह वैकेंसीज हमारी फिलअप हो जाएँगी। जहाँ तक डेंटल सर्जनों की इन्होंने बात की है तो मैं इनको बताना चाहूँगी कि एच०पी०एस०सी० को इस बारे में रिक्वायरमेंट भेजी हुई है अतिशीघ्र इसका रिजल्ट आने वाला है। चरखी दादरी हॉस्पिटल में तकरीबन 11 मेडीकल ऑफिसरों और एक डेंटल सर्जन की पोस्ट है। इनमें से पांच इस समय खाली हैं। माननीय सदस्य को मैं आश्वासन देती हूँ कि इनको हम अतिशीघ्र भरेंगे। डाक्टरों के अलावा चरखी दादरी, जनरल हॉस्पिटल का जो पैरा मेडीकल स्टाफ है उसमें नर्सिंग सिस्टर की तीन सैगंड पोस्ट्स हैं जिसमें से दो फिलअप हैं, स्टाफ नर्स 17 पोस्ट्स हैं जिसमें से 16 फिलअप हैं, फार्मसिस्ट की दो पोस्ट्स हैं और दोनो फिलअप हैं, रेडियोग्राफर की एक पोस्ट है और एल०टी० की दो पोस्ट्स हैं और

[श्रीमती गीता भुक्कल मातानहेल]

दोनों फिलअप हैं। इसके अलावा जो भी पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी है वह हम कंट्रैक्ट बेसिज पर और आर०सी०ए०स० बेसिज पर पूरा कर रहे हैं। जहां तक इन्डोर और आउटडोर पेशंट्स की वहां पर बात है, चरखी दादरी हॉस्पिटल के बारे में जहां हमने कहा है कि हम अपग्रेड तो कर रहे हैं साथ ही साथ वहां पर चूंकि बैड आकुपैन्सी रेट भी काफी ज्यादा अच्छा है, इस समय वहां तकरीबन 80 परसेंट बैड आकुपैन्सी रेट हैं तो मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि जो भी वहां पर कमी है उसको हम अतिशीघ्र पूरा करेंगे।

Shri Bharat Bhushan Batra : Hon'ble Speaker Sir, PGIMS Rohtak is under tremendous pressure for attending the patients. Around 15 lac patients come every year in that hospital. May I know from the Minister that what is the status of Civil Hospital, Rohtak and when it will be completed and what facilities you are going to provide there ? Hon'ble Speaker Sir, my second supplementary is that, it is generally seen that the sanitary condition in majority of Government Hospitals is not good. What corrective and effective steps are being taken by the Health Department and whether at any stage Health Department, Health Minister or Health Commissioner has paid any surprise visits to these Hospitals ?

Smt. Geeta Bhukkal Matanhail : Sir, I would like to tell to my Hon'ble Member that he is correct in saying that there is a lot of pressure in the PGIMS Hospital Rohtak. Sir, in Rohtak General Hospital already we are having 29 Posts of doctors out of which 27 are filled up. All the posts of para-medical staff are filled up. And as far as the General Hospital, Rohtak is concerned, it is under construction and 12.51 crores of rupees has already been given for the upgradation of this hospital. For the civil infrastructure, we are giving Rs. 4.61 crores and for medical equipments we are giving Rs. 7.90 crores. In the upgradation of the hospitals not only we are paying attention to the building and infrastructure, but we are also giving the whole stress on all the facilities whether it is sanitation, whether it is the supply of medicines or the other infrastructure. I can assure my learned friend that we are giving full care to the other facilities like sanitary also and I am regularly visiting that General Hospital.

Pandit Kuldeep Sharma : Hon'ble Speaker Sir, a CHC was constructed by a private person in village Purkhas in my constituency. The infrastructure of the CHC in Purkhas is much bigger than any CHC constructed by the Government of Haryana. But there are no doctors, no Dental Surgeons, no X-Ray provisions and there is no para-medical staff. I spoke to the Minister and probably I also wrote to her about it. I would like to know from the Hon'ble Minister that what steps have been taken to fill up those gaps ?

Smt. Geeta Bhukkal Matanhail : Speaker Sir, it is true that the Hon'ble Member has already spoken to me. In this regard we are sending the staff to that CHC also.

श्री जगदीश नैय्यर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल में जो सरकारी अस्पताल है वहाँ डॉक्टरों की कितनी संख्या है और फिलहाल कितने डॉक्टर लगे हुए हैं, किलनी नर्स हैं ? मैंने वहाँ जाकर निरीक्षण किया तो मुझे एक डॉक्टर वहाँ मिला। वहाँ के लोगों की डिमांड है कि वहाँ डॉक्टरों की जो कमी है उसे शीघ्र पूरा किया जाए। अतः कृपया मुझे जानकारी दें कि वहाँ कितना स्टाफ है ?

Mr. Speaker : It is not possible to reply. आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे हर अस्पताल का रिकार्ड उनकी जेब में है।

श्री अनिज बिज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अम्बाला कैंट के सिविल अस्पताल की क्या कमी सुध ली जाएगी ? मैंने पिछले सत्र में भी इस बारे में इस सदन में प्रश्न लगाया था। अब तक उस अस्पताल में जो ऐक्स-रे मशीन थी वह भी बाढ़ में डूबकर खराब हो गई है। वह अस्पताल खंडहर बना हुआ है। मैंने मंत्री महोदया से रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने वहाँ का मुआयना भी किया। मैडम, आप अम्बाला कैंट के अस्पताल को देखने गईं भी हैं, आपने उस अस्पताल की दशा देखी है, मैं जानना चाहूँगा कि क्या उसकी कमी सुध लेंगे।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूँ कि जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है और यह सही भी है कि अम्बाला कैंट के सिविल अस्पताल की स्थिति बहुत खराब है। पिछले सत्र में माननीय सदस्य ने अम्बाला कैंट अस्पताल के बारे में यहाँ प्रश्न भी लगाया था। उस पर चर्चा भी हुई और उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी का आश्वासन भी आया था। यह बात सही है कि वाकई ही उस अस्पताल की स्थिति काफी दयनीय है। उस स्थिति को दुरुस्त करने के लिए हमने कई लाख रुपये की राशि भिजवाई भी है लेकिन मेरा खुद का भी मानना है कि वह राशि इनसफ़ीशिएंट है। उस अस्पताल को पूरी तरह से रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। डॉक्टरों तो वहाँ पोस्टेड हैं लेकिन वहाँ बैड ऑक्यूपेंसी, इमरजेंसी सर्विसिज व ओपी०डी० भी काफी चिंता का विषय है। मैं हमारे सम्मानित सदस्य को यह भी बताना चाहूँगी कि अगली बार जब मुझे अम्बाला कैंट आना होगा तो मैं माननीय सदस्य को जरूर साथ दूँगी और जो वहाँ रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें तुरन्त पूरा किया जायेगा। जैसी कि सरकार व हेल्थ डिपार्टमेंट की कमिटीमेंट है उसके तहत हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधायें सरकार ने प्रदान करानी हैं क्योंकि हेल्थ और मैडीकल एजुकेशन के साथ-साथ यह भी हमारे प्रायोरिटी सेक्टर में शामिल हैं।

श्री परमिन्द्र सिंह दुल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री महोदया ने अभी जानकारी दी है कि अस्पतालों की सुध ली जाएगी और डॉक्टरों को अस्पतालों में भेजा जायेगा। मेरे जुलाना इल्के..... (विघ्न)

Mr. Speaker : It is not possible to reply about Julana. Next supplementary by Shri Satpal Ji please.

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि बाहरी के अंदर जो पुराना अस्पताल है वह भी काम करता है, पर आज के दिन उस अस्पताल के चारों तरफ बहुत गंदा पानी भरा हुआ है और उसकी वजह से उस अस्पताल के अंदर प्रवेश करने का रास्ता भी नहीं है। मैं मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूँ कि क्या उस अस्पताल के बारे में कुछ सोचा है ? उस पर अभी 40 लाख रुपये खर्च किए हैं पर जब तक बाहर की कंडीशन ठीक नहीं होगी तो there is no use of investing the money.

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता बिल्कुल वाजिब है। मैं इनको बताना चाहती हूँ कि दादरी का जो जनरल अस्पताल है या वहाँ जो दूसरे अस्पताल हैं, उनकी तरफ पूरा ध्यान दिया जाएगा। अभी सरकार ने 6 अस्पतालों के लिए स्टीमुलस पैकेज दिया है और उसके तहत हम जिन अस्पतालों को अपग्रेड कर रहे हैं उसमें रोहतक के लिए 12.5 करोड़, गुडगांव के लिए 14.5 करोड़, फरीदाबाद के लिए 17.5 करोड़, सोनीपत के लिए 16.5 करोड़ रुपये, भिवानी के लिए 22.5 करोड़ रुपये और हिसार के लिए 18.5 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। जहाँ तक दादरी अस्पताल की बात है। उसके बारे में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगी कि सभी अस्पताल आई०पी०एच०एस० के नार्स के तहत अपग्रेड करने का पूरा विचार है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य श्री सतपाल सांगवान ने बिल्कुल ठीक सवाल उठाया है और इस बारे में पहले भी इन्होंने सदन में सवाल उठाया था, दादरी का जनरल अस्पताल 12 एकड़ भूमि में है। ट्रस्ट ने अस्पताल के नाम की जमीन दे रखी है। मैंने आदेश दिया है कि ट्रान्सफर ऑफ लैंड की फॉर्मैलिटी तो होती रहेगी तब तक वहाँ नया सी बैड्डेड अस्पताल जल्द से जल्द बनाना हम शुरू कर रहे हैं।

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।

Appointment of Doctors

***234. Rao Narender Singh :** Will the Health Minister be pleased to state—

- Whether it is a fact there is shortage of Medical Officers in Civil Hospital Narnaul ; and
- If so, the time by which the Medical Officers are likely to be posted in Civil Hospital, Narnaul ?

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail) :

- Yes, Sir.
- Efforts will be made to fill up the vacancies within six months.

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि नारनौल सिविल अस्पताल में डाक्टरों की कितनी सैंगसैड पोस्ट्स हैं ? वहाँ पर इस समय कितने डाक्टर अवेलेबल हैं और कितने स्पेशलिस्ट्स की कमी है ? साथ में मैं यह भी जानना चाहूँगा कि क्या कारण हैं कि सरकारी डाक्टर बहुत जल्दी प्राइवेट सेक्टर की तरफ भाग रहे हैं ? क्या सरकार उन डाक्टरों के लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनायेगी कि डाक्टर सही मायने में आम लोगों की गरीब लोगों की सेवा करें और सरकारी सेवा में ही रहें ?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे सम्मानित सदस्य को बताना चाहूँगा कि इस समय जनरल हॉस्पिटल नारनौल में तीन पोस्ट्स ए०ए०एम०ओ० की सैंगसैड हैं जिनमें से एक

फिल्ड अप है और दो खाली हैं। मेडीकल आफिसरज की 29 सैंग्रैंड पोस्ट्स हैं जिनमें से 17 पोस्ट्स भरी हुई हैं और 12 खाली हैं। दो पोस्ट्स डेंटल सर्जन की हैं जोकि भरी हुई हैं। यह बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे जो नये रिक्तिड डाक्टरज हैं उनमें से नारनोल अस्पताल के लिए बहुत सारे डाक्टरज पोस्ट किए गए हैं लेकिन अभी तक उन्होंने ज्यायन नहीं किया है। 499 डाक्टरज की पोस्ट्स के लिए जो विज्ञापन निकाला है, कोशिश करेंगे कि उनकी भर्ती अक्टूबर माह में हो जाये। हम पूरी कोशिश करेंगे कि नई भर्ती होने पर जनरल अस्पताल, नारनोल में जहां थाकई डाक्टरज की कमी है, वहां पर हम उस कमी को पूरा कर सकें। अभी नारनोल में सी०एम०ओ० लगा दिए हैं। इसके अलावा एस०एम०ओ० के 55 केसिज हैं जो प्रमोशन के लिए हमारे पास आये हुए हैं। जैसे ही इनकी प्रमोशन क्लीयर हो जायेगी, वहां के एस०एम०ओ० की जो कमी है उसको भी हम पूरा कर देंगे। सर, इसके अलावा नारनोल में जो पैरा मेडीकल स्टाफ है उसमें हमारे पास फिजिओथैपिस्ट की एक सैंग्रैंड पोस्ट है जोकि इस समय खाली है। डिप्टी सुप्रीटेंडेंट की पोस्ट वहां पर भरी हुई है। इसके अलावा फार्मासिस्ट्स की चार पोस्ट्स हैं जो सभी भरी हुई हैं। लेब टेक्नीशियन की चार पोस्ट्स हैं जिनमें से एक भरी हुई है तीन खाली हैं। इसके अलावा जो भी कमी है उसको कान्ट्रैक्ट के माध्यम से और आर०सी०एच० के माध्यम से भर रहे हैं। फिलहाल हमने आर०सी०एच० के माध्यम से 6 नर्सिज की पोस्ट्स भरी हैं और एक फार्मासिस्ट की पोस्ट भरी है। एल०टी० हमने वहां पर 6 भर्ती किए हैं। फोर्थ क्लास पार्ट टाइम 23, स्वीपज 10 और आयुष विभाग की तरफ से भी एक आई०एम०ओ०, ए०एम०ओ०, दो एच०एम०ओ०, डिस्पेन्सर और हेल्पर भर्ती किए हैं। यह चिन्ता बिल्कुल सही है कि इस समय डाक्टरज की बहुत ज्यादा कमी है। डाक्टरज की इस दौरान करीबन 700 भर्ती हुई है और सरकार का यह प्रयास रहा है कि सभी जगह अस्पतालों में डाक्टरज हों। इस बारे में मैं यह कहना चाहूंगी कि इस समय जो डाक्टरज की कमी है उसका करा धरा पिछली सरकार के दौरान का है क्योंकि उस सरकार ने कभी भी मेडीकल या मेडीकल एजुकेशन पर पूरा जोर नहीं दिया। भोजपुरा जो हमारे इस समय मेडीकल कॉलेजिज हैं जिसमें पण्डित भगवत दयाल शर्मा रोहतक यूनिवर्सिटी है उसमें इस समय 150 सीट्स एम०बी०बी०एस० की हैं जिनको 200 सीट्स तक बढ़ाने के लिए हमने सरकार को लिखा हुआ है। 92 सीट्स एम०डी० और एम०एस० की थी जोकि अब 149 हो चुकी हैं। महाराजा अग्रसेन मेडीकल कॉलेज, अग्रोहा में 50 सीट्स हैं। महर्षि नारकण्डेश्वरी इन्सटीच्यूट ऑफ मेडीकल साइंस में 150 सीट्स हैं जिनमें से 63 एम०डी० की हैं और 13 पी०जी० डिप्लोमा की हैं। इसके अलावा सरकार ने मेडीकल एजुकेशन पर ध्यान देने के लिए तीन नये मेडीकल कॉलेजिज भी बनाये हैं। एक मेवात में, दूसरा खानपुर कला में और तीसरा कल्थना चावला मेडीकल कॉलेज करनाल में अतिशीघ्र शुरू हो जायेगा। मैं फ्लोर ऑफ दि हाउस आश्वासन देना चाहूंगी कि जो हमारे पास आउट स्टूडेंट्स होंगे उनके द्वारा जो डाक्टरज की हमारी कमी है उसको हम अतिशीघ्र पूरा कर लेंगे।

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, अगर सरकार ने इतना बढ़िया ध्यान मेडीकल फील्ड में दिया है तो मैं भाननीय मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूँ कि आज तक सिविल हॉस्पिटलज में कितने आई०ए०एस० आफिसरज ने और कितने विधायकों ने मेडीकल ऐड ली है या मेडीकल एडवार्स ली है। स्पीकर सर, आम आदमी तो वहां पर केवल एम०एल०आर० कटवाने के लिए जाता है। आजकल हॉस्पिटल की दयनीय स्थिति है तो फिर बड़े-बड़े हॉस्पिटल को पैनल पर क्यों रखा जाता है ? स्पीकर सर, मंत्री जी यह बतायें कि जितने डाक्टरज की एपायंटमेंट हुई है उनमें से हेड ऑफिस में कितने डाक्टरज लगे हुए हैं ? बजाए इंटीरियर में और रूरल में भेजने के सारे के सारे डाक्टरज को यहां पंचकूला हेड आफिस में विभिन्न पोस्ट्स पर तैनात किया गया है। स्पीकर सर, डाक्टरज को उनकी पोस्ट पर तैनात करने के बजाए क्लर्क का काम दे दिया गया और इन्वेस्टिगेटर का काम दे दिया गया है।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि मैडीकल फैसिलिटीज में और हेल्थ फैसिलिटीज में जो भी दिक्कत हुई हैं वह इसलिए हुई हैं क्योंकि पिछली सरकार के दौरान इस बारे में कोई कार्य नहीं किया गया है। मैं अपने सम्मानित सदस्य को जरूर बताना चाहूंगी कि इस समय हम डाक्टरों की ट्रान्सफर की पॉलिसी बना रहे हैं उसको रेशनेलाईज कर रहे हैं। हम जरूर देखेंगे कि हेड क्वार्टर में और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कितनी-कितनी जरूरत है। यह हमारी प्रायोरिटी में शामिल है कि हम पहले अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को स्ट्रेंथन करेंगे और उसके बाद सी०एच०सीज० और पी०एच०सीज० में सारा रेशनेलाईज करने के बाद पूरा ध्यान दिया जायेगा कि हमारे सभी हॉस्पिटल स्ट्रेंथन हों।

राव नरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार प्रदेश में मल्टी-स्पेशिएलिटी हॉस्पिटल बना रही है ? नारनौल डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर है वहां पर भारी मात्रा में मरीजों को रोहतक या जयपुर के लिए भागना पड़ता है। क्या नारनौल में मल्टी-स्पेशिएलिटी-हॉस्पिटल बनाने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है ?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, इस समय हेल्थ फैसिलिटीज के तहत जनरल हॉस्पिटल के साथ-साथ मल्टी स्पेशिएलिटीज हॉस्पिटल का प्रावधान भी हम कर रहे हैं। एक मल्टी स्पेशिएलिटीज हॉस्पिटल कैथल में बनकर तैयार हो चुका है और बहुत शीघ्र माननीय मुख्यमंत्री जी इसका उदघाटन करेंगे। हमारे माननीय साथी ने नारनौल की चिंता जताई है और उनकी चिंता जायज भी है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में आश्वासन देना चाहूंगी कि हेल्थ फैसिलिटीज की बात हो या इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात हो उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे।

Economic Stimulus Package

***303. Shri Vinod Bhayana :** Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state—

- whether economic stimulus package is being executed in State of Haryana for upgradation of water and sewerage infrastructure ; and
- if so, details thereof ?

PWD (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) :

- Yes, Sir.
- The Government of Haryana had approved an Economic Stimulus Package for 100% coverage of water supply and sewerage facilities in 14 towns of Haryana, namely Assandh, Ambala City, Bhiwani, Charkhi Dadri, Ellenabad, Fatehabad, Hansi, Kaithal, Kalayat, Mahendergarh, Narnaul, Sirsa, Tohana and Uchana.
- Detailed Project Reports for upgradation of water supply and sewerage services in above 14 towns had been approved by the Government of Haryana for Rs. 959.20 crores during January/ March, 2010.

- Land Acquisition for construction of new water works and Sewage Treatment Plant is in progress and likely to be completed by 15.10.2010.
- Above 60% works for execution of above schemes have been allotted to agencies and the same are likely to be commenced by October, 2010.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि मंत्री जी द्वारा पिछले सत्र में ऑन दि फ्लोर आफ दि हाउस आश्वासन दिया गया था कि 30 जून तक अम्बाला छावनी में नहरी पानी योजना लागू हो जाएगी लेकिन आज तक वह स्कीम लागू नहीं हुई। विधान सभा में ऑन दि फ्लोर आफ दि हाउस आश्वासन देने के बाद भी अगर काम पूरे नहीं होते तो यह बहुत ही चिला की बात है। इसका मतलब यह है कि सरकार इनके नियंत्रण से बाहर जाती जा रही है। एक दूसरा आश्वासन मुख्यमंत्री जी ने दिया था (शोर एवं व्यवधान) यह बहुत सीरियस बात है, आप सबके लिए भी यह बहुत सीरियस बात है। यहां आश्वासन दिए जाते हैं। मेजें थपथपाई जाती हैं लेकिन बाद में सब जीरो। 30 जून तक का आश्वासन दिया गया था लेकिन आज तक अम्बाला छावनी में एक बूंद भी पानी नहीं आया। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Please listen. No, no. This is not fair. Vij Sahib, I have given you time for supplementary not for speech. (inturptions)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूँ।

Mr. Speaker : I do not allow you like this. This is not the way.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र विज साहब हर रोज हर सवाल पर इस किस्म के सवाल करते हैं जो कनेक्टिड ही नहीं होते इसलिए मेरा निवेदन है कि जब भी प्रश्न काल शुरू हो, पहला आधा घंटा इनको बोलने के लिए दे दिया करो उसके बाद प्रश्न काल ले लिया करो। ये जो कुछ भी बोलना चाहें बोलने दिया करो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, * * * *

Mr. Speaker : No, I have called another member. No, I have called Mr. Jagdish.

श्री अनिल विज : * * * *

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. जगदीश जी, आप अपनी सप्लीमेंट्री पूछें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगदीश नैय्यर : अध्यक्ष महोदय, होडल में सीवरेज व्यवस्था हमारी सरकार में मंजूर हुई थी और इस सरकार में उसके पाइप वगैरह डाले गए हैं इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा लेकिन आज जब भी बारिश होती है सड़कों पर पानी ज्यों का त्यों खड़ा हो जाता है। सीवरेज की व्यवस्था ठप्प होने का कारण शहर के वासियों ने और हमने सिद्ध किया है कि पाइप छोटे डाले गए हैं इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो सीवरेज व्यवस्था ठप्प हो चुकी है उसकी जांच करवाई जाए। ये पाइप अभी ही डलवाए गए थे लेकिन इनका कोई फायदा नहीं हुआ बल्कि इससे नुकसान ही हुआ है। शहर की सारी सड़कें खराब हो गई हैं। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि हमारे यहां की सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करवाया जाए।

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

Shri Randeep Singh Surjewala: Sir, as far as the drainage is concerned, drainage is never part of sewerage. Drainage is always separate. We use drainage for draining out water. फिर भी अगर माननीय सदस्य को लगता है कि कोई समस्या है तो ये मुझे लिखकर दे दें, कोई दिक्कत नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Four - Laning of Highways

*307. **Shri Raghbir Singh Tewatia:** Will the P.W.D. (B&R) Minister be pleased to state the details of four-laning of Delhi-Rohtak National Highways, Rohtak-Panipat National Highway, Rohtak-Bawal National Highway and Zirakpur-Kalka National Highway including expenditure incurred on the aforesaid works and likely dates of their completion?

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : श्रीमान् जी, स्टेटमेंट सदन के पटल पर रख दी गई है।

स्टेटमेंट

क्र० सं०	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड	विवरण, खर्च व कार्य पूरा होने की सम्भावित तिथि
1.	दिल्ली-रोहतक राष्ट्रीय राजमार्ग	<ul style="list-style-type: none"> राष्ट्रीय राजमार्ग 10 के भाग दिल्ली हरियाणा सीमा से रोहतक कि०मी० 29.700 से 87.000 तक चार व छह मार्गीय करने की परियोजना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय-सर्जमार्ग विकास परियोजना के तीसरे चरण के तहत बनाओ, चलाओ और हस्तान्तरण के आंधार पर की जा रही है। इस परियोजना में बहादुरगढ़ बाईपास (लम्बाई 13.35 कि०मी०) व रोहतक बाईपास (लम्बाई 24.74 कि०मी०) शामिल हैं। इस परियोजना की कुल लम्बाई 63.49 कि०मी० व कुल परियोजना लागत 486 करोड़ रुपये है। इस परियोजना के रियायती मैसर्स वैस्ट हरियाणा हाईवेज प्रोजेक्ट प्राईवेट लिमिटेड है। इस परियोजना की रियायत अनुबंध की तिथि 6-11-2007 तथा परियोजना को शुरू करने की तिथि 3-5-2008, व पूर्ण करने की नियत तिथि मई 2010 थी। निर्माण समय 2 साल समेत परियोजना का रियायती समय 25 साल है। वर्तमान भौतिक प्रगति लगभग 60 प्रतिशत है।

- आज तक किया गया खर्चा 313.35 करोड़ रुपये व कार्य पूरा होने की सम्भावित तिथि 2-5-2011 है।
2. रोहतक-पानीपत
राष्ट्रीय राजमार्ग
- राष्ट्रीय राजमार्ग 71ए के पानीपत से रोहतक भाग में कि०मी० 0.00 से 80.500 तक चार मार्गीय करने की परियोजना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तीसरे चरण के तहत बनाओ, चलाओ और हस्तान्तरण के आधार पर की जा रही है। इस परियोजना में रोहतक (13.600 कि०मी०), ब्राह्मणवास (2.400 कि०मी०), जसीथा, धिलौर, रूखी (8.065 कि०मी०), माहरा (1.850 कि०मी०), और गोहाना (7.560 कि०मी०) व पानीपत (5.058 कि०मी०) के बाईपास शामिल है।
 - इस परियोजना की कुल लम्बाई 83.50 कि०मी० व कुल परियोजना लागत 807 करोड़ रुपये है। इस परियोजना का रियायती मैसर्ज रोहतक पानीपत टोलवे प्रा०लि० है।
 - इस कार्य का स्वीकृति पत्र भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 4-1-2010 को जारी किया गया है तथा अनुबंध 9-3-2010 को हस्ताक्षरित हो चुका है। कार्य शुरू होने की सम्भावित तिथि सितम्बर 2010 है। कार्य पूरा होने की निर्धारित तिथि मार्च 2013 है।
 - इस कार्य को करने के अढ़ाई वर्ष के समय सहित रियायत का कुल समय 25 वर्ष है।
 - इस परियोजना के लिये 295.34 हेक्टेयर भूमि की जरूरत है। राष्ट्रीय राजमार्ग नियम की धारा 3डी के अधीन अधिसूचना प्रकाशित हो चुकी है तथा भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में है।
- इस परियोजना का खर्च शून्य है। क्योंकि कार्य अभी शुरू होना है। कार्य पूरा होने की सम्भावित तिथि मार्च 2013 है।
3. रोहतक-बावल
राष्ट्रीय राजमार्ग
- राष्ट्रीय राजमार्ग 71 के रोहतक, बावल भाग में कि०मी० 363.300 से 450.800 तक चार मार्गीय करने की परियोजना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तीसरे चरण के तहत बनाओ, चलाओ और हस्तान्तरण के आधार पर की जा रही है। इस परियोजना में डीघल (2.400 कि०मी०), गुड्डा (2.500 कि०मी०), सिलानी (1.800 कि०मी०), दादनपुर (1.700 कि०मी०), और रिवाड़ी (12.453 कि०मी०) के बाईपास शामिल हैं।
 - इस परियोजना की कुल लम्बाई 87.50 कि०मी० व कुल परियोजना लागत 650 करोड़ रुपये है।
 - इस परियोजना के रियायती मैसर्ज कुरुक्षेत्र एक्सप्रेसवे प्रा०लि० है।
 - इस कार्य का स्वीकृति पत्र भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा

4-2-2010 को जारी किया गया है तथा अनुबंध 13-7-2010 को हस्ताक्षरित हो चुका है। कार्य शुरू होने की सम्भावित तिथि जनवरी 2011 व कार्य पूरा होने की निर्धारित तिथि जुलाई 2013 है।

- इस कार्य के निर्माण समय अढ़ाई वर्ष सहित रियायत का कुल समय 25 वर्ष है।
 - इस परियोजना के लिये 352.956 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है। इसके लिये भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रक्रिया में है।
 - इस परियोजना का खर्च शून्य है। क्योंकि कार्य अभी शुरू होना है। कार्य को पूरा करने की सम्भावित तिथि जुलाई 2013 है।
4. जीरकपुर कालका परवाणु राष्ट्रीय राजमार्ग
- राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के जीरकपुर कालका परवाणु भाग को चार मार्गीय करने की परियोजना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तीसरे चरण के तहत बनाओ, चलाओ और हस्तान्तरण के आधार पर की जा रही है। इस परियोजना में पिंजोर कालका परवाणु का बाईपास भी शामिल है।
 - इस परियोजना की कुल लम्बाई 28.69 कि०मी० व कुल खर्च 295 करोड़ रुपये है।
 - इस परियोजना के रियायती मैसर्ज हिमालयन एक्सप्रेसवे लि० है।
 - यह कार्य शुरू होने की तिथि 1-3-2008 तथा कार्य पूरा होने की निर्धारित तिथि 31-8-2010 थी। कार्य के निर्माण समय 30 महीने समेत परियोजना का रियायती समय 20 साल है। वर्तमान भौतिक प्रगति लगभग 77 प्रतिशत है।
 - आज तक किया गया खर्च 222 करोड़ रुपये व कार्य पूरा होने की सम्भावित तिथि मई 2011 है।

Covering of Open Nullah

*263. **Sh. Ashok Kumar Arora** : Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to cover the open nullah from Salarpur Road to Lakshman Colony near Punjabi Dharamshala in Thanesar city; if so, the time by which aforesaid nullah is likely to be covered ?

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : हां, श्रीमान जी। थानेसर शहर में सलारपुर रोड़ से पंजाबी धर्मशाला के पास लक्ष्मण कॉलोनी तक खुले नाले को ढकने के लिये एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। वर्ष 2001 में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के डिपोजिट वर्क के अन्तर्गत नई अनाज मंडी चौक से जय भारती स्कूल तक 3320 मीटर नाले का निर्माण किया गया था। कुल 3320 मीटर लम्बे नाले में से प्रश्न अधीन 640 मीटर भाग को

ढकने की आवश्यकता है। इसके लिये 93.65 लाख रुपये का एक अनुमान बनाकर प्रशासकीय अनुमोदनार्थ तथा धनराशि उपलब्ध कराने हेतु कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, कुरुक्षेत्र को भेजा हुआ है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन तथा धनराशी प्राप्त होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा। इसके पश्चात् कार्य सम्पन्न होने में 9 मास का समय लगेगा।

Construction of Bus-Stand

***283. Rao Bahadur Singh :** Will the Transport Minister be pleased to state—

- (a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a bus-stand at in the village Nangal Chaudhary ; and
- (b) if so, the time by which the work on the above said bus-stand is likely to be started ?

परिवहन मंत्री (श्री ओम प्रकाश जैन) :

- (क) हां, श्रीमान् जी,
- (ख) बस स्टैण्ड के निर्माण का कार्य भूमि अधिग्रहण के उपरान्त आरम्भ कर दिया जायेगा।

Filling the posts of Principals

***252. Dr. Ashok Kashyap :** Will the Education Minister be pleased to state—

- (a) whether it is fact that the posts of Principals are lying vacant in many schools of the Indri Constituency; if so, whether there is any proposal under consideration to fill up the said posts; and
- (b) whether there is any proposal under consideration of the Government to start the Science faculty in the Government College Indri ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) :

- (क) श्रीमान् जी, इन्द्री विधानसभा क्षेत्र में स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों के 16 पद हैं। इस समय राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, भादसों तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कलसौरा में प्रधानाचार्यों के दो पद रिक्त हैं। प्रधानाचार्यों के ये रिक्त पद प्राध्यापकों तथा मुख्याध्यापकों के पदों से प्रधानाचार्यों के पदों पर पदोन्नति करके निकट भविष्य में भर दिए जायेंगे।
- (ख) नहीं, श्रीमान् जी।

Posting of Staff in Veterinary Hospital

***274. Master Dharam Pal Obra:** Will the Animal Husbandry Minister be pleased to state whether it is a fact that the building of the Veterinary Hospital was constructed five years ago in village Gignao in Loharu Constituency but the staff including the Veterinary Doctor have not been appointed there; if so, whether there is any proposal to post required staff in the said Veterinary Hospital ?

कृषि मंत्री (सरदार परमवीर सिंह) : जी हां श्रीमान। ग्राम पंचायत द्वारा अपने स्तर पर एक इमारत गांव गिगनाऊ में निर्मित की गई थी, परन्तु इस गांव के लिए कोई राजकीय पशु चिकित्सालय स्वीकृत नहीं है। इसी कारण वहां पर अमला नियुक्त नहीं किया गया है तथा इस गांव में कोई अमला नियुक्त करने का प्रस्ताव भी नहीं है।

Construction of Kundli Manesar Highway Project

***270. Sh. Krishan Pal Gurjar :** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state—

- the date on which construction of the Kundli Manesar Highway Project in Haryana was started togetherwith the time by which it was to be completed alongwith the period of delay in its completion ; and
- whether the Government has imposed any penalty/fine on the Builder Firm for the delay of the abovesaid project; if so, the details thereof ?

विजली मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह) :

- हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (HSIIDC) और रियायत प्राप्तकर्ता (Concessionaire) के बीच में 31 जनवरी 2006 के रियायती अनुबंध के अनुसार हरियाणा में निर्माण-संचालन और हस्तांतरण (BOT) के आधार पर कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे की परियोजना की आरम्भ तिथि 30 जुलाई 2006 थी। रियायती अनुबंध के अनुसार रियायत की समय सीमा 23 साल 9 महीने है जिसमें 3 साल की निर्माण की अवधि भी शामिल है। इस तरह से इस परियोजना की निर्धारित वाणिज्यिक संचालन तिथि (COD) 29 जुलाई 2009 थी। रियायत प्राप्तकर्ता के तत्कालीन कार्यक्रम के अनुसार पूरी परियोजना की प्रस्तावित वाणिज्यिक संचालन तिथि (COD) जून 2011 है और मानेसर-पलवल खण्ड की प्रस्तावित वाणिज्यिक संचालन तिथि (COD) 12 फरवरी 2011 है। कार्यस्थल पर कार्य की प्रगति विभिन्न कारणों से धीमी है। परन्तु प्रगति पर लगातार पूरा ध्यान दिया जा रहा है और परियोजना कार्य में तेजी लाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। हालांकि, इस समय कार्य पूरा करने का निश्चित समय बताना मुश्किल है।

(ख) नहीं श्रीमान जी।

Development of Kotla Lake

***243.Sh. Aftab Ahmed :** Will the Irrigation Minister be pleased to state---

- (a) the status of Haryana Government proposal for Development of Kotla Lake in District Mewat for irrigation purposes;
- (b) how much land is proposed for acquisition and how much land is to be taken on lease for utilization of this project ; and
- (c) the time by which the said project is likely to be completed ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) :

- (क) श्रीमान जी, मेवात जिले में सिंचाई के लिये कोटला झील को विकसित करने की एक परियोजना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।
- (ख) वास्तविक भूमि अधिग्रहण क्षेत्र का अनुमान विस्तृत परियोजना विवरणी को अन्तिम रूप दिये जाने के उपरान्त ही लग सकता है। इस परियोजना के लिये भूमि पट्टे पर लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
- (ग) इस समय इस परियोजना को पूरा करने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

Shortage of Staff in Police Department

***280.Sh. Subhash Chaudhry :** Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that there is a great shortage of staff in the Police Department in district Palwal; if so, the time by which the said shortage of staff is likely to be met out?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : हाँ, श्रीमान जी। जिला पलवल में पुलिस अमले की निम्नलिखित कमी है:-

क्र० सं०	पद	रिक्तियाँ
1.	उप-पुलिस अधीक्षक	1
2.	निरीक्षक	10
3.	उप-निरीक्षक	41
4.	सहायक उप-निरीक्षक	72
5.	मुख्य सिपाही	144
6.	सिपाही	482
कुल		750

निरीक्षकों, उप-निरीक्षकों तथा सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। ज्यों ही कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया तथा प्रशिक्षण पूरा होगा, जिला पलवल में पुलिस अमले की कमी को पूरा कर दिया जाएगा।

Shortage of Drinking Water

***299. Sh. Pardeep Chaudhry :** Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state whether it is a fact that there is shortage of drinking water in Kalka and Pinjore towns and villages of Morni Block; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to provide adequate supply of the drinking water in the said towns and villages ?

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : नहीं, श्रीमान जी। दोनों शहरों में जल आपूर्ति स्तर 112 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (कालका शहर) तथा 75 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (पिंजोर शहर) से बढ़ाकर 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन करने का विभागीय प्रस्ताव है।

दोनों शहरों में जल आपूर्ति स्तर बढ़ाने की एक विस्तृत योजना बनाई गई है।

कालका शहर के लिए कौशल्या नदी के तट पर 3 नलकूप लगाने गोबाड़ा चौक तथा कौशल्या नदी पर 2 ब्रूस्टिंग स्टेशन बनाने, मशीनरी को बदलने तथा 2 नये डीजल के जनरेटिंग सैट लगाने के लिए राज्य स्वच्छता बोर्ड द्वारा वर्ष 2010-11 में 278 लाख रुपये का अनुमान स्वीकृत किया है। इस पर 130 लाख रुपये की राशि आवंटित की जा चुकी है। दो नलकूप लगाने, मशीनरी को बदलने तथा 2 नये डीजल के जनरेटिंग सैट लगाने का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त सरकार ने वर्ष 2010-11 में 71.80 लाख रुपये का एक और अनुमान स्वीकृत किया है तथा इस पर 60 लाख रुपये की राशि भी आवंटित कर दी गई है। इस दूसरे अनुमान के अन्तर्गत कौशल्या नदी के तट पर 2 नलकूप लगाने तथा 2 किलोमीटर वितरण पाईप लाईन लगाने का कार्य प्रगति पर है।

पिंजोर शहर के लिए अब्दुल्ला नगर, रानी का बाग तथा इण्डियन पब्लिक स्कूल के निकट 3 नलकूप लगाने के लिए सरकार ने 480 लाख रुपये का अनुमान स्वीकृत किया है तथा इस पर 120 लाख रुपये की राशि आवंटित की जा चुकी है। इन 3 नलकूपों में से रानी का बाग तथा अब्दुल्ला नगर में 2 नलकूप लगाने का कार्य सम्पन्न किया जा चुका है। लगभग 1 किलोमीटर पाईप लाईन बिछाई जा चुकी है। शेष कार्य प्रगति पर है तथा 31-12-2010 तक सम्पन्न होने की संभावना है।

मोरनी ब्लॉक के विभिन्न गांवों में पेयजल सुविधा सुधारने के लिए सरकार ने 131 लाख रुपये, 98.40 लाख रुपये तथा 96.00 लाख रुपये के 3 अनुमान, जिनकी कुल राशि 325.40 लाख रुपये बनती है, स्वीकृत किये हैं। इस कुल 325.40 लाख रुपये के अनुमान के अधीन 171.40 लाख रुपये की राशि आवंटित की जा चुकी है।

Havoc Caused by Floods

***265. Shri Anil Vij
Shri Phool Singh Kheri** } Will the Irrigation Minister be pleased to state—

- whether there is any proposal under consideration of the Government to save Ambala and other parts of the State from the recurring havoc caused by the rains and the consequent floods; and
- if so, the details thereof togetherwith the time by which such proposal is likely to be materialized?

वित्त मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) :

(क) हाँ, श्रीमान जी।

(ख) यह योजना है कि-

- (i) केन्द्रीय जल आयोग से निपटान तथा अन्तर्राज्यीय निपटान के उपरान्त घग्गर तथा यमुना नदियों के ऊपरी केचमेंट क्षेत्रों में भण्डारण जलाशयों/ बांधों का निर्माण करना।
- (ii) केन्द्रीय जल आयोग के सुझाव अनुसार पंजाब तथा हरियाणा में घग्गर नदी को जहाँ आवश्यक हो वहाँ पर नियंत्रित करना।
- (iii) यमुना नदी पर नदी प्रशिक्षण कार्यों की एक परियोजना 173.75 करोड़ रुपये की लागत से जिसमें 75 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता है, को वर्ष 2009-10 में पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है। इन कार्यों के पूरा होने में लगभग 3 वर्ष लगेंगे।

ऊपरी भागों में इन भण्डारण बांधों के निर्माण को पूरा करने की कोई समय सीमा इस स्थिति में निर्धारित नहीं की जा सकती।

Assistance to the People Affected by Floods

***312. Shri Naresh Selwal:** Will the Chief Minister be pleased to state the details of the assistance provided/proposed to be provided by the Government to the people affected by floods during the month of July, 2010 in the State?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

मास जुलाई, 2010 के आरम्भ में अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, सिरसा तथा फतेहाबाद जिलों में बाढ़ आई। राज्य सरकार ने लोगों के कष्टों का निवारण करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये:-

सेना तथा नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (एन०डी०आर०एफ०) तुरन्त कटाव को बंद करने, लोगों को बचाने और राहत सामग्री जैसे भोजन और पानी उपलब्ध करवाने के लिए लगाई गई। तुरन्त लोगों को भोजन, पानी, दवाइयाँ पहुँचाने तथा प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने के राहत कार्य किये गये। चिकित्सा की सुविधा देने के लिए मेडिकल तथा पशु चिकित्सकों की टीमें नियुक्त की गई। बिजली की आपूर्ति, पानी की आपूर्ति तथा क्षतिग्रस्त सड़क संपर्क को युद्ध स्तर पर लिया गया।

वित्तीय सहायता

वर्ष 2010-11 के आरम्भ में प्रत्येक उपायुक्त को 4.5 लाख रुपये स्वीकृत किये गये थे। बाद में 6.40 करोड़ रुपये उपायुक्त अम्बाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, कैथल, सिरसा व फतेहाबाद को अतिरिक्त दिये गये ताकि वह बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावित लोगों की मदद कर सकें।

क्षतिग्रस्त संसाधनों के सुधार के लिए और लोगों के कष्टों को कम करने हेतु 123.94 करोड़ रुपये सी०आर०एफ० से विभिन्न संबंधित विभागों को दिये गये।

मानवीय मृत्यु

38 मानवीय मृत्यु हुई। मृतक के निकट संबंधियों को सरकार द्वारा 2 लाख रुपये प्रति मृतक की दर से अनुग्रहपूर्वक अनुदान स्वीकृत किया गया।

फसलों की क्षति के लिए राहत

गिरदावरी रिपोर्टों के आधार पर 266175 एकड़ क्षेत्र में फसलों को 25 प्रतिशत से अधिक क्षति हुई और राज्य सरकार की दरों के अनुसार 111.95 करोड़ रुपये निम्न प्रकार से दिये बनते हैं:—

क्र० संख्या	जिले का नाम	क्षतिवाला क्षेत्र जहाँ नुकसान 25% से अधिक हुआ (एकड़ों में)	राहत राशि देय
1.	फतेहाबाद	66613 एकड़	32,46,54,000/-
2.	सिरसा	33171 एकड़	16,53,29,000/-
3.	कुरुक्षेत्र	53813 एकड़	26,46,19,000/-
4.	अम्बाला	16436 एकड़	7,89,60,000/-
5.	केथल	54708 एकड़	27,15,46,390/-
6.	यमुनानगर	1434 एकड़	58,43,000/-
		कुल	226175 एकड़
			111,09,51,390/-

फण्डस रिलीज कर दिये गये हैं।

ट्यूबवैलों की क्षति

उपायुक्तों की रिपोर्ट के अनुसार ट्यूबवैलों की क्षति का विवरण इस प्रकार है:—

क्रम संख्या	जिले का नाम	ट्यूबवैलों की क्षति
1.	यमुनानगर	08
2.	कुरुक्षेत्र	343
3.	फतेहाबाद	1144
4.	अम्बाला	185
5.	सिरसा	133
6.	केथल	231
		कुल
		2044

इस सम्बन्ध में राहत देने का मामला सरकार के विचाराधीन है। राशि दो मास में स्वीकृत कर दी जाएगी।

मकानों की क्षति

उपायुक्त यमुनानगर ने अब तक क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 47,87,500/- रुपये की राशि मकानों की क्षति के लिए वितरित की है। उपायुक्त अम्बाला ने भी क्षति ग्रस्त मकानों के लिए 35,65,500/- रुपये वितरित कर दिए हैं। उपायुक्त सिरसा को 2.91 करोड़ रुपये की राशि मकानों की क्षति के लिए राहत देने के लिए दी जा चुकी है। अन्य जिलों में पानी देर से उतरने के कारण सर्वे अभी तक पूरा नहीं हुआ है। राहत शीघ्र दे दी जाएगी।

बिजली विभाग

हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि जिन किसानों की भूमि बाढ़ से प्रभावित हुई है और वह खेतों में दोबारा बिजाई नहीं कर सके उनके बिजली के बिलों की प्रतिपूर्ति की जाए। मुआवजे की राशि न्यूनतम मासिक चार्ज 200/- रुपये प्रति बी०एच०पी० वार्षिक आधार पर उस अवधि के लिए जिसमें पम्प सेट/भूमि पानी में डूबी रही, बिना इस बात के की ट्यूबवैल खराब हुआ या नहीं।

कृषि विभाग

धान बासमती, मूंग और उड़द के प्रमाणित बीज 75 प्रतिशत सबसीडाईज्ड रेट्स पर दिए गए। संकर मक्की का बीज किसानों को 90 प्रतिशत सबसिडी पर उपलब्ध करवाया गया। संकर बाजरा, तोरिया व बाजरा के प्रमाणित बीज मिनी किट के रूप में किसानों को मुफ्त दिए गए। बीज वितरण पर सबसिडी हरियाणा बीज विकास निगम के सेल आउट लेट्स पर उपलब्ध थी।

लगभग 4205 किंचटल प्रमाणित बीज आज तक किसानों को 2.45 करोड़ रुपये के खर्च से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में वितरित किया जा चुका है।

बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में फसलों की दोबारा बिजाई करने हेतु मांग को पूरा करने के लिए यूरिया खाद की ऐलोकेशन 8.50 लाख मी० टन से बढ़ाकर 9.00 लाख मी० टन तथा डी०ए०पी० खाद की ऐलोकेशन 3.20 लाख मी० टन से बढ़ाकर 3.60 लाख मी० टन की गई।

लोक निर्माण विभाग

480 सड़कों पर यातायात निलम्बित हुआ था। इन 480 सड़कों में से 451 सड़कों पर यातायात बहाल हो चुका है। शेष 29 सड़कों पर सुधार कार्य चल रहा है और इन्हें एक मास में यातायात के लिए खोल दिये जाने की संभावना है।

जन स्वास्थ्य

लोगों को पीने के पानी की आपूर्ति टैंकरों से की।

पानी से उत्पन्न बीमारियों से बचाव सुनिश्चित करने के लिए सुपर क्लोरीनेशन किया गया।

स्वास्थ्य

अम्बाला जिला में 65 कुरुक्षेत्र जिला में 143, कैथल जिला में 77, फतेहाबाद में 88 तथा सिरसा में 50 मेडीकल व पैरा मेडीकल स्टाफ टीमों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पानी के सैम्पल नियमित तौर पर लिए गए।

पशु पालन

विभाग ने बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम वेटेनरी तथा पैरा वेटेनरी स्टाफ की 268 विशेष टीमें बनाकर, सुचारु रूप से चलाया। टीकाकरण, डी० वाटरिंग, बीमार पशुओं के इलाज, 1440 वेटेनरी हेल्थ कैम्प लगाकर 501 बाढ़ ग्रस्त गांवों के 26,82,357 पशुओं को कवर करते हुये मिनरल मिजर की आपूर्ति की जिससे किसी भी कानटेजिएस या इनफेक्सीअस बीमारी की घटना राज्य के पशुओं में नहीं हुई।

सहकारिता विभाग

राज्य में बाढ़ आने के कारण 2010 खरीफ में लघु अवधि के ऋण को मिडियम टर्म लोन में बदले जाएंगे, जिसकी लगभग राशि इस प्रकार है:—

क्रम संख्या	नाम डी०सी०सी०बी०	राशि जो कन्वर्ट होगी
1.	यमुनानगर	17.09
2.	अम्बाला	32.00
3.	कुरुक्षेत्र	70.00
4.	कैथल	32.70
5.	फतेहाबाद	38.00
6.	सिरसा	18.43
	कुल	208.22

Flood Relief Fund

***216. Shri Abhay Singh Chautala:** Will the Chief Minister be pleased to state—

- the total amount received from the Central Government as flood relief fund during the period from 1.2.2005 to 31.7.2010;
- the details of amount out of the said fund, if any, spent upto 31.7.2010; and
- whether any amount out of above said fund is left unspent upto June-July, 2010 i.e. before the floods in the State; if so, the details thereof?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

- बाढ़ राहत निधि के तौर पर कोई राशि 01.02.2005 से 31.07.2010 तक प्राप्त नहीं हुई है तथापि इस अवधि के दौरान आपदा राहत कोष के तहत 578.46 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

- (ख) 01.02.2005 से 31.07.2010 की अवधि में आपदा राहत कोष से 278.96 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं।
- (ग) आपदा राहत कोष की शशि भारत सरकार से पूर्व निश्चित फार्मुला के अनुसार प्रति वर्ष प्राप्त होती है। सी०आर०एफ० के नार्म बहुत सख्त हैं और राज्य सरकार के राहत नॉर्मस से कम हैं। सी०आर०एफ० केवल तुरन्त सहायता के लिए है और लम्बी अवधि के पूंजीगत खर्च इसमें कवर नहीं होते। इसलिए सी०आर०एफ० से वास्तविक खर्च राज्य द्वारा दिए गये वास्तविक राहत से तुलना में कम होता है। 30.06.2010 को सी०आर०एफ० में 1046 करोड़ रुपये लगभग उपलब्ध थे।

शोक प्रस्ताव

Mr. Speaker: Now, the Chief Minister will make an obituary reference.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): अध्यक्ष महोदय, मैं एक शोक प्रस्ताव सदन के पटल पर रखना चाहता हूँ। यह सदन हमारे विधायक मोहमद इलियास की माता श्रीमती बुद्धो के 6 सितम्बर, 2010 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। वह एक साधारण तथा धार्मिक विचारों वाली महिला थी। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I associate myself with the Obituary Reference made by the Hon'ble Chief Minister and the feelings expressed by him. Smt. Budhho was the mother of the Hon'ble Member Mohd. Iiyas. She was a pious and house lady. I pray the Almighty to give peace to the departed soul. I will convey the feelings of this august House to the bereaved family. Now, I would request all of you to kindly stand up to pay homage to the departed soul for two minutes.

(At this stage, the House stood in silence for 2 minutes as a mark of respect to the memory of deceased.)

स्वयं प्रस्ताव की स्वीकृति

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a notice of Adjournment Motion from Shri Kuldeep Bishnoi, MLA regarding deteriorating condition of farmers due to lack of proper policies of the Haryana Government. I give my consent to move the Adjournment Motion and hold that the matter proposed to be discussed is in order. Now, I ask Shri Kuldeep Bishnoi, MLA, to raise and ask for leave to move the Adjournment Motion.

(The Hon'ble Member was not present in the House, hence the Adjournment Motion was not taken up.)

विभिन्न मामले उठाना

श्री कृष्णपाल गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, भूमि अर्जन को लेकर हरियाणा के किसान पिछले दस दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। (शोर एवं व्यवधान) उससे नियमित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में दिया है। उसका क्या फेट है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम पाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मैंने भी बाढ़ की वजह से जो किसानों की बहुत फसल बरबाद हुई है, उससे संबंधित कालिंग अटेंशन मोशन दी थी उसका क्या फेट है? (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Notice from Shri Sampat Singh, regarding acquisition of land by Haryana Government in public interest. I admit it. (Interruptions) S/Shri Anil Vij & Krishan Pal Gurjar, MLAs have also given calling attention motion on the similar subject. They are also given calling attention motion on the similar subject. They are also allowed to raise the supplementaries. (Interruptions)

श्री कृष्णपाल गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, एडमिट तो हमारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होना चाहिए था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय,

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति लेकर खड़ा हुआ हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के सदस्यों की तरफ से जितने भी एडजर्नमेंट मोशन और कालिंग अटेंशन मोशन आये हैं आपने वे सारे के सारे डिस अलाऊ कर दिए।

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहब, ऐसा नहीं है। एडमिट भी किए हैं। माजरा साहब का कालिंग अटेंशन मोशन आज के लिए एडमिट है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश चौटाला: मैं आज वाले दिए मोशन के बारे में पूछ रहा हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहब, एक दिन में दो ही कालिंग अटेंशन हो सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी इजाजत हो तो एक और बात मैं आपके नोटिस में लाना चाहूँगा। कल मेरी गैर हाजिरी में मेरे खिलाफ एक और प्रिविलेज मोशन लाया गया, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, मैं इसको भी फेस कर लूंगा।

श्री रघुवीर सिंह कादियान: स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। श्री चौटाला जी ने कहा कि मुझे प्रिविलेज मोशन की कोई चिंता नहीं है, मैं इसको भी फेस कर लूंगा। मैं इस बारे में कहना चाहूँगा कि इनके खिलाफ इस सदन में इससे पहले भी प्रिविलेज मोशन लाया गया था। जब वह मोशन प्रिविलेज कमेटी को रेफर किया गया था तो उसके बाद प्रिविलेज कमेटी द्वारा इनको कमेटी के सामने उपस्थित होने के लिए नोटिस भेजे गए लेकिन ये उसके नोटिस तक नहीं लेते। (शोर एवं व्यवधान)

स्पीकर सर, जब प्रिविलेज कमेटी द्वारा इनको यह बताते हुए कि आपके खिलाफ प्रिविलेज मोशन आया है, इसलिए आपको कमेटी के सामने उपस्थित होना है, इस आशय का इनको नोटिस भेजा गया था उस नोटिस को देने के लिए चाहे कोई सिरसा चला गया था चौटाला गांव में चला गया तो एक ही जवाब मिला कि श्री चौटाला जी यहां रहते ही नहीं हैं। (शोर एवं व्यवधान) मैं श्री चौटाला जी से यह जानना चाहता हूँ कि इस प्रिविलेज मोशन को ये कहां से और कैसे फेस कर लेंगे? (शोर एवं व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूँ कि ये प्रिविलेज मोशन तो तब फेस करेंगे जब ये प्रिविलेज कमेटी के नोटिस रिसीव करेंगे और कमेटी के सामने उपस्थित होंगे। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Kadian Sahib, I want to know only one thing कि क्या चौटाला जी ने प्रिविलेज कमेटी के नोटिस रिसीव किये हैं या नहीं किये हैं?

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, चौटाला जी ने अब तक प्रिविलेज कमेटी द्वारा भेजा गया कोई भी नोटिस रिसीव नहीं किया है। मैं आज भी on the floor of the House माननीय सदस्य श्री चौटाला जी को यह बताना चाहूँगा कि 14 सितम्बर, 2010 को प्रिविलेज कमेटी की मीटिंग हे जिसमें इनको कमेटी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। इसका इनको बाकायदा नोटिस भी भेजा गया है। (शोर एवं व्यवधान) मैं चाहता हूँ कि इस बात को हाउस की कार्यवाही में रिकार्ड पर लाया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Mr. Kadian, please take your seat. (Interruptions) Arora Sahib, please take your seat. (Interruption) Everybody please take seat. कर्नल साहब बैठिए। हाँ जी, चौटाला जी, अब आप बोलिए।

बैठक का स्थगन

चौ० ओमप्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहने जा रहा था कि कल सदन के एक सम्मानित सदस्य ने केवल मुख्यमंत्री को गुमराह किया बल्कि पूरे सदन को भी गुमराह किया। इस संबंध में मैं कुछ डाक्यूमेंट्स आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जिस गाड़ी नम्बर एच०आर० 70A-0009 का कल यहाँ जिक्र आया है यह गाड़ी एक कम्पनी द्वारा बैंक से लोन लेकर खरीदी गई है। उस कम्पनी का नाम है King Bild Con. Private Limited. इस कम्पनी के तीन डायरेक्टर हैं। इन तीन डायरेक्टर में से एक का नाम गोपाल कुमार गोयल है जो कि आज संयोग से मिनिस्टर है। यह इनका सही नाम है या गलत, यह आप इनसे कंफर्म कर लें। इस कम्पनी ने आई.सी.आई.सी.आई. नामक बैंक से एक करोड़ रुपये का लोन लिया था और उस लोन से एक गाड़ी खरीदी गई और वह गाड़ी श्री गोपाल कुमार गोयल के नाम रजिस्टर्ड है जो कि इस कम्पनी का डायरेक्टर है। जिस गाड़ी का कल यहां पर जिक्र आया और जिस गाड़ी के लिए इनकार किया गया उस गाड़ी के कारण मेरे खिलाफ प्रिविलेज मोशन आया। ये डाक्यूमेंट्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप इन्हें देख लें। ये मेरे डाक्यूमेंट्स नहीं हैं, ये बैंक की स्टेटमेंट्स हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, आप ये डाक्यूमेंट्स प्रिविलेज कमेटी को दे देना।

चौ० ओमप्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको इससे आगे और भी बताना चाहता हूँ कि बैंक यह कह रहा है कि 05.09.2010 तक यह कर्ज ज्यों का त्यों खड़ा है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि ऐसा करके सदन को गुमराह किया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Chautala Ji, it is to be decided by the Privilege Committee whether it is *prima-facie* or not? (Interruptions) The case has been sent to the Committee. We are out of it. (Interruptions) चौटाला जी, अब तो केस प्रिविलेज कमेटी के पास है। (शोर एवं व्यवधान) हां जी, काण्डा जी अब आप बोलिए।

गृह राज्य मंत्री (श्री गोपाल काण्डा) : अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

चौ० ओमप्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री गुमराह होकर कहने लगे (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, आपको टाईम दिया and you have explained your point. (Noises & Interruptions) ये तो फर्दर कोलाबोरेशन है।

चौ० ओमप्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी यह बात आपके ध्यान में लानी चाही लेकिन आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री शेर सिंह बड़शामी : स्पीकर सर, यहाँ पर एक बात का निर्णय होने जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं बड़शामी जी, इस केस के बारे में यहाँ पर कोई निर्णय नहीं होगा। इस केस का फैसला प्रिविलेज कमेटी में होगा। (शोर एवं व्यवधान)

चौ० ओमप्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह अलग मामला है। इसकी मुझे कोई खिता नहीं है। स्पीकर सर, यह मैं कल भी आपके नोटिस में लाने जा रहा था लेकिन आप तो हमें समय ही नहीं देते।

Mr. Speaker : Chautala Ji, I gave you the opportunity. (Noise & Interruptions) You have explained the point that has been heard by the House and by me. You have spoken well. (Noise & Interruptions) अब इसका फर्दर कोलाबोरेशन क्या करना है?

चौ० ओमप्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सदन को गुमराह मैंने किया है या माननीय सदस्य ने किया है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, वे जवाब दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

गृह राज्य मंत्री (श्री गोपाल काण्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ लेकिन ये जवाब सुनना ही नहीं चाहते क्योंकि उनको पता है कि जवाब क्या है। अध्यक्ष महोदय, ये लोग सच्चाई को सुनने के लिए तैयार ही नहीं हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० अजय सिंह चौटाला : हम क्या इनके मुंह से सुनेंगे ? (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : No, this is not the way. (interruptions) आप बैठिए। (शोर एवं व्यवधान) Please everybody to sit down. (Noise and interruptions) Chautala Sahib, you will get the time. I will give you the time. Chautala Ji, I will give you the time. (Noise and Interruptions)

चौ० ओमप्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह कोई बात थोड़े ही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप जानबूझ कर शोर मचाना चाहते हैं। I say I will give you the time. (Interruptions) This is not fair. This is most unfair. आप जानबूझकर यह मुद्दा बनाकर आये हो। आप मन बनाकर आये हो। (शोर एवं व्यवधान) I have given him the time but now no further. I am not going to hear him. (Noises and Interruptions) I am not going to hear you any more. (Noise and Interruptions) No, No. Nothing is to be recorded now. (Noise and interruptions) I will not allow you. You go to your seats. (Noises and Interruptions)

(इस समय सदन में उपस्थित इंडियन नैशनल लोकदल के सभी सदस्य और शिरोमणी अकाली दल के एक मात्र सदस्य सदन की वेल में आकर सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करने लगे।)

श्री अध्यक्ष : मैं रिस्पेक्टिड अपोजीशन के भाईयों से विनती करूंगा कि यह एक अच्छा लैजिस्लेटर होने का सबूत नहीं है। आपके लीडर बोल रहे थे लेकिन आपने उनको बैठा दिया और आप खुद खड़े हो गये। Is it the way. यह एक अच्छा लैजिस्लेटर होने का सबूत नहीं है। This is unfortunate. आप में एक आदमी सबसे बुजुर्ग जिसके सारे बाल सफेद हैं वे सबसे ज्यादा शोर मचा रहे हैं। Now, the house is adjourned for half an hour. After an hour we will meet again.

(The House adjourned at 10.48 A.M. and re-assembled at 11.18 A.M.)

(ii) बैठक का स्थगन

Mr. Speaker : Hon'ble members, I have recieved a Calling Attention Motion from Prof. Sampat Singh, MLA regarding acquisition of land by the Government of Haryana in public interests.....

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, अखबारों में हरियाणा के गृह मंत्री गोपाल काण्डा का नाम आ रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, इनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय सदन में उपस्थित इण्डियन नैशनल लोक दल के सदस्य और शिरोमणि अकाली दल के एकमात्र सदस्य सदन की वेल में आकर नारेबाजी करने लगे।)

श्री अध्यक्ष : आप अंगर यह सोचते हैं कि आपने हाउस का बिजनेस नहीं चलने देना है तो ऐसा नहीं होगा। (शोर एवं व्यवधान) आप सभी अपनी सीटों पर जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, कल हाउस में गोपाल कांडा ने कहा था कि अगर गाड़ी उनके नाम पर होगी तो वे मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Arora Ji, neither you are deciding, nor I am deciding this case. It is going to be decided by the Privileges Committee. (शोर एवं व्यवधान) इसमें हाउस कुछ नहीं कर सकता है। (शोर एवं व्यवधान) आप सभी अपनी सीटों पर जाएं। (शोर एवं व्यवधान) आप जो कह रहे हैं मैं उसको नहीं मानता। आप अपनी सीटों पर जाएं। (शोर एवं व्यवधान) आप सदन की कार्यवाही को ठीक से चलने दें। (शोर एवं व्यवधान) माजरा जी, यह बात ठीक नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) सारे सयाने सयाने आये आ गए हैं। (शोर एवं व्यवधान) आप सभी अपनी सीटों पर जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

[Mr. Speaker]

व्यवधान) Majra Ji, this is not the way. (Interruptions) आप सभी ने मन बनाया हुआ है कि आप हाउस को नहीं चलाने देंगे। (शोर एवं व्यवधान) यह ठीक बात नहीं है। आज लास्ट-डे है। (शोर एवं व्यवधान) यह मामला प्रिविलेज कमेटी को रैफर कर दिया है। (शोर एवं व्यवधान) You are doing this with the same intention and with the same mind. (शोर एवं व्यवधान) माजरा साहब, आपकी यह मर्यादा गलत है, आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। आप हाउस को चलाने देना नहीं चाहते हैं। हाउस को चलाने पर पब्लिक का करोड़ों रुपया खर्च होता है अगर आप इस तरह से करेंगे तो यह करोड़ों रुपया वेस्ट हो जाएगा। आप पब्लिक हित की बात करें न कि नारेबाजी करें। नारेबाजी से बात नहीं बनेगी। (शोर एवं व्यवधान) अरोड़ा साहब, इस तरह से नहीं चलेगा। आप जान बूझकर पब्लिक मनी वेस्ट कर रहे हैं। आप सभी अपनी सीटों पर बैठिए।

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, आप हमारी बात तो सुन लें।

Mr. Speaker : You are wasting the public money. माजरा साहब, आप इस तरह से क्यों पब्लिक मनी वेस्ट कर रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपया हाउस को चलाने पर खर्च होता है इसलिए मैं हाउस को बिल्कुल भी ऐसे नहीं चलाने दूंगा। (शोर एवं व्यवधान) आप सभी अपनी-अपनी सीटों पर बैठिए।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर साहब, आप हमारी बात तो सुनिए। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, the House is again adjourned for half an hour.

(The House adjourned at 11.21 A.M. and reassembled at 11.51 A.M.)

सदस्यों का मिलंबन

पंडित कुलदीप शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि प्रिविलेज मोशन मैंने भूव किया था। (शोर एवं व्यवधान) Mr. Speaker Sir, when the leader of the opposition was provided an opportunity to make a statement, then why can't I make a statement? (Interruptions)

श्री शेर सिंह बड़शामी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब प्रिविलेज मोशन भूव हो चुका है और असेप्ट भी किया जा चुका है तब इस स्टेटमेंट की क्या जरूरत रह गई है, अब तो कमेटी ही इस मामले पर विचार करेगी। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : ऑन ए प्वायंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर सर, ऑनरेबल मेम्बर श्री ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ पहले तीन प्रिविलेज मोशन आये थे। (विध्वन)

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, वह बात हो गई है।

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, उसके बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। उन प्रिविलेज मोशज के बारे में जो अगली मीटिंग 14 सितंबर को तय थी उसके बजाय अब वह 15 सितंबर, 2010 को 11.00 बजे कॉंग्रेस हाल में होगी। इस बात को ऑन रिकॉर्ड नोटिस समझा जाये और उस मीटिंग में चौटाला जी पेश हों। (शोर एवं व्यवधान)

पंडित कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, प्रिविलेज मोशन जो मैंने भूव किया था वह इस बात पर किया था कि माननीय श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने सदन में यह बयान दिया था—(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पंडित जी, वह बात अब खत्म हो गई है। Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Notice from Shri Sampat Singh, regarding acquisition of land by Haryana Government in public interest.....(शोर एवं व्यवधान)

(इस समय इंडियन नेशनल लोकदल और शिरोमणि अकाली दल के सदन में उपस्थित सभी सदस्य सदन की बैल में अध्यक्ष के आसन के सामने आ गए और जोर-जोर से नारेबाजी करने लगे)

श्री अध्यक्ष : मेरी आप सभी सदस्यों से प्रार्थना है कि आप सदन का समय न गंवाएं, सभी अपनी-अपनी सीटों पर जाएं। मैं आपको वार्न करता हूँ कि आप अपनी-अपनी सीटों पर जाएं।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, हमारी मांग है कि इस मुद्दे पर गोपाल कांडा को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात तो सुनिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सभी अपनी-अपनी सीटों पर जाइए। मैं आपको वार्न करता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात तो सुनें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सांगवान : अध्यक्ष महोदय, आप इस मुद्दे पर हमारी बात तो सुनें।

विस्त मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय, ये तो इनकी कॉन्सपिरेसी है कि हाउस को चलने नहीं देना है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं आप सभी को वार्न करता हूँ कि आप अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जाएं। इतने अक्लमंदों की जमात में लॉ लेसनैस मने पहले नहीं देखी है। डेढ़-डेढ़ लाख आदमी आपको अक्लमंद कहता है और यहाँ आपने अक्ल को एक तरफ फेंक दिया है। (शोर एवं व्यवधान) I warn you. Go to your seats. आपने बहुत ज्यादा शोर कर लिया है। अब मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। आप अपनी-अपनी सीटों पर चलें।

लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का व्यवहार माननीय विपक्ष के साथियों ने यहाँ पेश किया है। वह हाईली कंडमनेबल है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move a motion.

PWD (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—
That Sarvshri Abhey Singh Chautala, Ashok Kashyap, Ashok Kumar Arora, Bishan Lal, Bahadur Singh, Dharam Pal, Dilbag Singh, Ganga Ram, Gian Chand Oadh, Hari Chand Middha, Jagdish Nayar, Kali Ram Patwari, Krishan Lal Panwar, Krishan Lal, Mamu Ram, Mohammad Illyas, Narender Sangwan, Naseem Ahmad, Pardeep Chaudhary, Parminder Singh Dhull, Prithi Singh, Phool Singh, Raghbir Singh, Rajbir Singh Brara, Rameshwar Dayal, Ram Pal Majra, Sher Singh Barshami, Subhash Chaudhary of Indian National Lok Dal and Shri Charanjit Singh of Shiromani Akali Dal, be suspended from the service of this House for their misconduct, most irresponsible behaviour unbecoming of the Members of this august House and their grossly, disorderly conduct in the House for the remainder of the present Session.

Mr. Speaker: Motion moved -

That Sarvshri Abhey Singh Chautala, Ashok Kashyap, Ashok Kumar Arora, Bishan Lal, Bahadur Singh, Dharam Pal, Dilbag Singh, Ganga Ram, Gian Chand Oadh, Hari Chand Middha, Jagdish Nayar, Kali Ram Patwari, Krishan Lal Panwar, Krishan Lal, Mamu Ram, Mohammad Illyas, Narender Sangwan, Naseem Ahmed, Pardeep Chaudhary, Parminder Singh Dhull, Prithi Singh, Phool Singh, Raghbir Singh, Rajbir Singh Brara, Rameshwar Dayal, Ram Pal Majra, Sher Singh Barshami, Subhash Chaudhary of Indian National Lok Dal and Shri Charanjit Singh of Shiromani Akali Dal, be suspended from the service of this House for their misconduct, most irresponsible behaviour unbecoming of the Members of this august House and their grossly, disorderly conduct in the House for the remainder of the present Session.

Mr. Speaker: Question is -

That Sarvshri Abhey Singh Chautala, Ashok Kashyap, Ashok Kumar Arora, Bishan Lal, Bahadur Singh, Dharam Pal, Dilbag Singh, Ganga Ram, Gian Chand Oadh, Hari Chand Middha, Jagdish Nayar, Kali Ram Patwari, Krishan Lal Panwar, Krishan Lal, Mamu Ram, Mohammad Illyas, Narender Sangwan, Naseem Ahmed, Pardeep Chaudhary, Parminder Singh Dhull, Prithi Singh, Phool Singh, Raghbir Singh, Rajbir Singh Brara, Rameshwar Dayal, Ram Pal Majra, Sher Singh Barshami, Subhash Chaudhary of Indian National Lok Dal and Shri Charanjit Singh of Shiromani Akali Dal, be suspended from the service of this House for their misconduct, most irresponsible behaviour unbecoming of the Members of this august House and their grossly, disorderly conduct in the House for the remainder of the present Session.

The motion was carried.

बैठक का स्थगन

Mr. Spaker : Now, the House is adjourned for half an hour.

(The House was adjourned at 11.58 A.M. and reassembled at 12.28 P.M.)

मंत्री द्वारा संक्षिप्त वक्तव्य

PWD (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Speaker Sir, with your permission I want to say something.

Mr. Speaker : Alright.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय

Shri Randeep Singh Surjewala: Vj Sahib, I have taken the permission of the Chair to say something. I am on my legs with the permission of the Chair.

Mr. Speaker : Mr. Vij, he is on his legs. Please let him speak. (interruptions)
Please take your seat. (interruptions)

Shri Randeep Singh Surjewala : Vij Sahib, I have already taken the permission.
मैंने अध्यक्ष महोदय से आलरैडी परमीशन ले ली है। आप इसके बाद बोल लीजिए। (शोर)

श्री अध्यक्ष : विज साहब, आप कृपया बैठ जाएं। सुरजेवाला जी पहले आप बोलें।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका और सदन का ध्यान एक गम्भीर विषय की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। इस सदन में श्री ओम प्रकाश चौटाला और उनकी पार्टी के सदस्यों की एक रवायत बन गई है कि असत्य ध्यानबाजी करना, सदन को गुमराह करके, शोर करना और दूसरों की बात बगैर सुने सदन से दौड़ जाना या सदन में नारे लगाना और चेयर तथा मैम्बर्ज के प्रति झूठे अस्पृशक कास्ट करना। इनके द्वारा असत्य बातें कहना, गुमराह करने की बातें कहना और उसके बाद तथ्यों को बगैर सुने सदन से चले जाना केवल राजनैतिक प्वायंट्स स्कोर करने के लिए है। अध्यक्ष महोदय, कल सदन के पटल पर श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने यह कहा कि हरिशाणा के गृह मंत्री श्री गोपाल काण्डा की कार के अंदर एक लड़की को किडनेप किया गया और तीन लोगों ने उसके साथ रेप किया। जब रक्षक ही भक्षक बन जायेंगे तो क्या हालत होगी। श्री गोपाल काण्डा स्वयं उस कार की ड्राईविंग कर रहे थे। उस लड़की को अगवा किया गया। अध्यक्ष महोदय, यह कार आज भी श्री गोपाल काण्डा के नाम है। उस कार की ड्राईविंग गोपाल काण्डा कर रहे थे। और तीन लोगों ने उस लड़की को दिल्ली से उठाया था और गुडगांव में उसके साथ रेप हुआ। अध्यक्ष महोदय, आज भी उन्होंने यह बात दोहराई है। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में सरकार की ओर से सदन को आश्वासित किया था कि इसमें कोई भी व्यक्ति दोषी हो, चाहे वह सरकार का हिस्सा हो, चाहे विपक्ष का हो या दूसरा नागरिक हो, सरकार इस केस की पूरी तपस्वीस करेगी और दोषी व्यक्ति के खिलाफ कानून के दायरे में उचित कार्यवाही होगी। सदन की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि इस केस में कल दिनांक 6-9-2010 को डी०एल०एफ० के कुतूब इन्कलेव के थाने में एफ०आई०आर० नम्बर 332 दर्ज हो गई है और प्रोसीक्यूट्रिक्स को मजिस्ट्रेट JMIC, गुडगांव के समक्ष पेश किया गया ताकि वह बिना पक्षपात के, बिना किसी दबाव के अपनी पूरी बात कह सके। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से 164 सी०आर०पी०सी० में ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान उस माननीय महिला ने दिया है वह पढ़कर सुनाना चाहूंगा—

“State versus Sunil—an application for recording statement of Miss Santoshi D/o Shri Vir Bahadur R/o Village Chabre Basti, Mink Darjeeling, West Bengal, under Section 164 Cr. P.C. filed before me at my residence being Duty Magistrate. I have asked the police officials accompanying the witness to wait outside the room so that witness makes the statement without any coercion. In order to ascertain voluntariness of witness to make the statement, I put the following questions to the witness:—

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	आपका नाम क्या है ?	मेरा नाम संतोषी है।
2.	आपके पिता जी का क्या नाम है ?	उनका नाम वीर बहादुर है।
3.	आप कितने पढ़े लिखे हो ?	मैं आठवीं पास हूँ।
4.	आपके ऊपर ब्यान देने के लिए क्या कोई जोर-दबाव है ?	जी नहीं।

सर, आगे जज साहब ने रिकार्ड किया है कि—

From the answers given to above said questions I am satisfied that the witness is making the statement without any force or undue influence. I, therefore, proceed to record her statement as follows:—

ब्यान मिस संतोषी सपुत्री श्री वीर बहादुर, गांव छाबरे बस्ती, मिक दार्जलिंग, वैस्ट बंगाल ओन एस/ए यानि ओन ओथ। ब्यान किया कि मैं पिछले दो महीने से फ्लैट नम्बर 405, जन प्रतिनिधि अपार्टमेंट, गुडगांव में खाना बगैरा बनाने का काम करती थी। मैंने एक महीना उपरोक्त जगह काम किया है। उसके बाद मेरी मकान मालकिन राजस्थान अपने घर एक महीने के लिए चली गई। इसलिए उसके कहने पर मैं अपनी सहेली खुशी जो वसंत विहार दिल्ली में रहती है उसके घर एक महीने के लिए चली गई। मेरी मैडम मकान मालिक प्रियंका ने मुझे कहा था मैं वापस आकर तुझे बुला लुंगी। उसके बाद दिनांक 27 अगस्त, 2010 को उनका ड्राइवर सुनील मुझे लेने आया और कहा कि मैडम वापस आ गई और तुझे गुडगांव काम करने के लिए बुलाया गया है। उसके कहने पर मैं उसके साथ चल पड़ी। ड्राइवर सुनील मुझे अपने कमरे में ले गया और कहा कि तुम थोड़ी देर यहां रुको और कुछ देर बाद तुझे फ्लैट नम्बर 208 जन प्रतिनिधि, गुडगांव में जाना है जहां मैडम का दूसरा फ्लैट है। मुझे वहां छोड़कर चला गया फिर करीब आधे घंटे बाद सुनील अपने कमरे पर आया और मुझे हाथ लगाने लगा व जबरदस्ती मेरे साथ गलत काम किया जो मियां बीवी करते हैं। उसके बाद उसने मुझे धमकाया कि इस घटना बारे किसी को बताया तो तुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। फिर वह धमकी देकर कमरे से बाहर चला गया। उसके बाहर जाने के तुरंत बाद मैं वहां से निकलकर फ्लैट नम्बर 208 में चली गई। जहां मैंने काम किया उसके बाद मेरी मैडम आ गई उसने फोन करके खुशी को कहा कि मैंने उसके पति को गलत भैसेज किया है। इसलिए वह मुझे नहीं रखेगी। खुशी ने उन्हें बताना चाहा कि वह भैसेज गलती से हो गया है लेकिन मेरी मैडम नहीं मानी और उन्होंने मुझे मेरी दोस्त खुशी के साथ भेज दिया। खुशी के घर में बीमार हो गई व मुझे बुखार हो गया। वह मुझे अस्पताल ले गई जहां से मुझे सफदरगंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। उस समय खुशी ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है जिस पर मैंने उसे सारी घटना बता दी। फिर मैंने पुलिस को सूचना कर दी जो कि खुशी द्वारा थाने में ले जाने पर की थी आर०ओ० एण्ड ए०सी० इस्ताक्षर संतोषी राईट साईड इस्ताक्षर जे०एम०आई०सी० 6 सितम्बर, 2010. Sir, then the Magistrate again certified that the above statement was recorded by me and that it contains true and full account of statement made by the witness and that the contents of the statement were read over and explained to here

and accepted by her to be correct. Signature J.M.I.C., 6th September, 2010". सर जो ब्यान मैजिस्ट्रेट साहब के सामने दिया गया है उस पूरी स्टेटमेंट को पढ़कर उसके आधार पर पुलिस ने जैसा कि मैंने आपको निवेदन किया एफ०आई०आर० नम्बर 332, डी०एल०एफ० कुतुब एनक्लेव, गुडगांव के अंदर 6 सितम्बर, 2010 को दर्ज कर ली गई है। सर, दो चीजें, क्रिमिनल कल्पेबिलिटी के लिए देखी जाती हैं। एक तो यह कि दोषी कौन है। इस केस में यह स्पष्ट है कि दोषी सुनील है। केस चलेगा तो उसका निर्णय हो जायेगा। दूसरा यह देखा जाता है कि क्राईम कहां पर हुआ है। क्राईम के बारे में इसके अंदर यह दिया हुआ है कि यह क्राईम फ्लैट नम्बर 405, जनप्रतिनिधि अपार्टमेंट दिया हुआ है। यह भी दिया गया है कि इनकी मैडम का नाम प्रियंका है और अजय अग्रवाल के ये ड्राईवर हैं। सुनील के पिता जी का नाम हमें ओम प्रकाश बताया गया है। इसके अलावा मुझे यह भी बताया गया है कि ये जो ओम प्रकाश है ये विद्यापीठ संगरिया राजस्थान के अन्दर नौकरी करते हैं और उसके चेयरमैन अमय सिंह चौटाला जी हैं। सर, इसके साथ-साथ में यह भी बताना चाहूंगा कि जनप्रतिनिधि अपार्टमेंट में कांग्रेस के किसी भी सदस्य का फ्लैट नहीं है। इसके अलावा जहां तक हमें जानकारी मिली है कि यह फ्लैट फतेहाबाद कांस्टीच्युएंशी से इनेलो की पूर्व विधायिका श्रीमती स्वतंत्र बाला चौधरी जी का है। मैं सदन की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगा कि न तो इसमें किसी गाड़ी का नाम है, न ही श्री गोपाल काण्डा जी का कहीं नाम है और न ही प्रॉसीक्यूट्रिक्स ने किसी गाड़ी या गोपाल काण्डा जी से किसी सम्बंध की मैजिस्ट्रेट के सामने 164 के ब्यान में कोई चर्चा की। सर, जहां तक गाड़ी का प्रश्न है श्री गोपाल कांडा जी इस बारे में अपनी पर्सनल एक्सप्लेनेशन देंगे फिर भी मैं आपकी अनुमति से आदरणीय मुख्यमंत्री जी और सरकार की तरफ से आपको और पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी और सरकार के दरवाजे पूर्ण रूप से खुले हैं अगर कहीं भी किसी सदस्य का नाम आयेगा यानि इस केस में कोई सदस्य नामजद होगा तो हम उसकी पूरी तपत्तीश करेंगे। सर, केवल इसलिए कि सिरसा के अंदर श्री गोपाल कांडा जी एक विशेष पार्टी को धराशायी करके जीतकर आये हैं। उनके खिलाफ बिना तथ्यों के आधार पर ब्यान देना, सदन को गुमराह करना, सदन से बहिर्गमन करना, सदन में भेदी भाषा का इस्तेमाल करना, सदन में चैयर और सदस्य के खिलाफ गंदे नारे लगाना ये सभी कुछ निंदनीय है, अशोभनीय है और कंडेमनेबल है। Matter is under investigation. सर ये लोग सब्वाई को सुनना ही नहीं चाहते थे इसीलिए तो यहां से दौड़ गये क्योंकि केवल शोर करने से, सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालने से, अनाप-शनाप भाषा का इस्तेमाल करने से, केवल असत्य बोलने से, केवल इल्जामात लगाने से और दूसरों पर कीचड़ उछालने जैसी बातों से असत्य सत्य नहीं बन जाता। सर, इस मामले में तपत्तीश हो रही है। अब मैं अपनी बात समाप्त करते हुए मुख्यमंत्री जी की तरफ से आश्वासन दूंगा कि अगर कोई बात भी होगी तो हम उसकी तपत्तीश के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। आज तक जो मैजिस्ट्रेट साहब के सामने ब्यान दर्ज हुए हैं वे मैंने आपकी अनुमति से आपके और सदन के सामने पढ़कर सुना दिये हैं क्योंकि यह एक ऐसा मुद्दा था जिसमें हरियाणा प्रदेश के लोग, पक्ष और विपक्ष के सभी साथी इन्ट्रेस्टिड थे। स्पीकर सर, आपने इसकी अनुमति दी इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण-

गृह राज्य मंत्री (श्री गोपाल कांडा) द्वारा

गृह राज्य मंत्री (श्री गोपाल कांडा) : स्पीकर सर, मैं आपकी अनुमति से इस विषय में पर्सनल एक्सप्लेनेशन देकर अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा। कल श्री चौटाला जी ने मुझ पर जो शर्मनाक

[श्री गोपाल कांडा]

इल्जाम लगाया उसके बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि कल उन्होंने आपके सामने यह कहा था कि मैं गाड़ी ड्राईव कर रहा था और पीछे वाली सीट पर मेरा ड्राईवर और वह लड़की बैठे हुए थे। इस बात से आज ये पूरी तरह से मुकर गये हैं। इसके अलावा कल उन्होंने कहा था कि गाड़ी मेरे नाम है जबकि कोई गाड़ी मेरे नाम नहीं है। 2006 में जिस कम्पनी से यह गाड़ी परचेज हुई है उसमें मैं कोई डायरेक्टर नहीं था, ये पेपर मेरे पास हैं। इन लोगों का काम सिर्फ सदन को बर्गलाना और असत्य बोलना है। गाड़ी पर एक करोड़ रुपये का लोन है। मैंने उस गाड़ी का पता किया है, वह टक्शन गाड़ी है। उस पर कम्पनी का एक रुपया भी पेंडिंग नहीं है और वह सिर्फ 13-14 लाख रुपये की गाड़ी है। रही बात मेरी गाड़ी चलाने और असत्य बोलने की तो यह सारा का सारा षडयन्त्र रचा गया है। इसमें जिस सुनील नाम के लड़के का जिक्र है उसके पिता श्री ओमप्रकाश, अभय चौटाला की संगरिया में एक विद्यापीठ है, उसमें काम करते हैं। जो गुडगांव में एम०एल०ए० सोसायटी के फ्लैट्स बने हुए हैं उसमें आज भी इनके अनऑथोराइज गेस्ट हाउस चल रहे हैं जहां इनका यही धन्धा है। यह इशारा इनकी तरफ था लेकिन इन्होंने इसको मेरी तरफ मोड़ दिया ताकि यह आग कहीं हमारे ऊपर न आ जाये। आपको मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूँ कि जिस दिन से मुझे सिरसा से चुना गया तो सबसे पहले अटैक उन्होंने मुझे चुने जाते ही किया और मेरे घर पर 200-300 गुण्डे भेज दिये कि इसको किसी तरह वहां से उठा लो और हमारे पास ले आओ। यह सबको मालूम है कि मैं जैसे-तैसे वहां से निकल कर दिल्ली मुख्यमंत्री जी के पास आया। दूसरी घटना उस दिन की है जिस दिन 3 अप्रैल को मुख्यमंत्री जी को सिरसा आना था। उस दिन इन लोगों ने अपने गुण्डे भेजकर मुझ पर अटैक करवाया। मेरी कार रोकी गई, झंडे का अपमान किया वे सारी बातें आप सबके सामने हैं और बाद में इन्होंने कहा कि ये प्रदीप गोदारा, महावीर बागड़ी हमारे नेता हैं। ऐसे ही 302 के, डकैती के और रेप के अपराधी तुम्हारे नेता हैं ? यह गुण्डों की टोली है। यह गुण्डों का एक गुट है जिसको इन्होंने इनैलो नाम दे रखा है। ऐसे ही अगर इनके नेता हैं तो यह क्या पार्टी है ? इन पर एक्शन लेना चाहिए। तीसरा इन्होंने मुझ पर कल जो हमला किया है जिसके लिए मैं कोर्ट में इन पर मानहानि का दावा करूंगा और इनको पूरा सबक सिखाऊंगा जिन्होंने मेरे को इतना जलील और बेइज्जल करने की कोशिश की है। आप सबके समक्ष ये सारे सबूत हैं और सारी बातें हैं। उस लड़की ने जो एफ०आई०आर० दर्ज करवाई है और जो कोर्ट में बयान दिये हैं वह भाई रणदीप ने अभी पढ़कर सुनाया है उसमें कहीं पर गाड़ी का जिक्र नहीं है और न ही कहीं गोपाल कांडा का जिक्र है। मेरा कहीं ड्राईवर से लिंक नहीं है, बिना मतलब की झूठी बात बनाकर मुझे और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की गई है। (शोर एवं व्यवधान)

पंडित कुलदीप शर्मा : सम्मानित अध्यक्ष महोदय, कल लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराओं का हवाला देकर माननीय विपक्ष के नेता चौधरी ओमप्रकाश चौटाला ने एक मंत्री पर और सदन के माननीय सदस्य पर गम्भीर आरोप लगाये हैं। वे जानते थे कि जो आरोप वे इस सदन में लगा रहे हैं वे झूठे हैं, उनमें कोई सत्यता नहीं है और इस मामले से श्री गोपाल कांडा का कोई संबंध नहीं है। इसी आधार पर मैंने एक प्रिविलेज मोशन उनके विरुद्ध माननीय सदन की स्वीकृति के लिए दिया है जो अब प्रिविलेज कमेटी के पास है। उसमें मुख्य बिंदु यह है जो श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने पढ़कर सुनाया है कि चौटाला जी ने यह कहा था कि उस कार को श्री गोपाल कांडा जी चला रहे थे, उस समय वे उस कार में उपस्थित थे। यह बक्तव्य सरासर झूठा था, तथ्यों से परे था जिस पर मैंने प्रिविलेज मोशन दिया है। अध्यक्ष महोदय, इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि स्वतंत्र बाला चौधरी जो फतेहाबाद से इनैलो

की विधायक थी जिनके नाम यह प्लेट है, जहां कि सारे ऐलीगेशन केन्द्रित हो रहे हैं और वह ड्राईवर जिसकी चर्चा माननीय श्री सुरजेवाला जी ने की है कि वह उस विद्यापीठ के एक ड्राईवर का पुत्र है जिसके अध्यक्ष माननीय श्री अभय सिंह चौटाला हैं। ये ही इस सरकार पर गम्भीर आरोप लगा रहे हैं जिनका खुद का कंडक्ट ऐसा है। बात को छिपाने के लिए उन्होंने शोर व हिंसात्मक भाषा का प्रयोग इस सदन में किया है। अध्यक्ष महोदय, इसमें कहीं कुछ छिपाया तो नहीं जा रहा है। मुझे इसमें एक षडयंत्र की बद्बू आ रही है। माननीय श्री ओम प्रकाश चौटाला जी का पिछला कार्यकाल जब वे मुख्यमंत्री थे, उस समय किस प्रकार ये अपने विरोधियों के खिलाफ षडयंत्र करके झूठे केस दर्ज करवाते थे, उस बारे में सिरसा की जनता ही नहीं बल्कि सारे हरियाणा की जनता गवाह थी। इस बारे में माननीय श्री कांडा जी ने एक नहीं तीन-तीन मिसालें दी हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन जब यहां पर मिलता है तो इस पर सारे हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजरें रहती हैं। अध्यक्ष महोदय, आज एक ऐसे व्यक्ति की तीसरी पीढ़ी यहां सदन में बैठी हुई है और वह इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार का कंडक्ट, इस प्रकार का षडयंत्र और इस प्रकार के झूठे आरोपों का सहारा लेकर इस सदन का समय बर्बाद करे, यह निन्दनीय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में उनके खिलाफ एक निन्दा प्रस्ताव लाना चाहिए, उनके व्यवहार को कंडेम करना चाहिए और उनको अपने व्यवहार के लिए सदन में माफी मांगनी चाहिए।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, आज इस सत्र का अन्तिम दिन है और शायद इस कुर्सी पर भी बतौर अध्यक्ष आपका अन्तिम दिन हो। (शोर एवं व्यवधान) मैं अपनी बात कह रहा हूँ। (शोर एवं व्यवधान) हो सकता है कि ये मंत्री बन जाएं या कल को आपकी सरकार ही न रहे या आपको अगली दफा नमा स्पीकर ही बनाना पड़े। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि अन्तिम समय में आदमी को ऐसे काम करके जाने चाहिए जिसको आने वाले समय में उनकी पुरते याद करें।

श्री अध्यक्ष : अंतिम वाला काम तो आप कर रहे हैं, कहीं ये न हो कि आपका हार्ट फेल हो जाए।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि 3 दिन का यह बहुत ही छोटा सेशन बुलाया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विज साहब, आप फिर से वही बात कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) आप सदन के समय का ध्यान रखें। (शोर एवं व्यवधान)

वाक आउट

श्री अनिल विज : सर, इस समय 12 बजकर 46 मिनट हो रहे हैं और मैं 12 बजकर 48 मिनट पर श्रेष्ठ जाऊंगा। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, मैं अधिक बात नहीं करना चाहता हूँ लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि सदन में मैम्बरज को अपनी बातें कहने का मौका नहीं मिला है लेकिन मैम्बरज अपनी बात कहना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, अब ये मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) आप इनको बिठाएं। (शोर एवं व्यवधान) मैं 12 बजकर 48 मिनट पर अपनी सीट पर बैठ जाऊंगा, लेकिन आप इनको सभक्षायें। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, विपक्ष में हमारी पार्टी की एक मात्र महिला है और यह महिला सदस्य भी सदन में अपने विचार रखना चाहती है। (शोर एवं व्यवधान) इनको भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) Sir, Is this the way? हमारे लिए तो भाषण दिये जाते हैं लेकिन इनको तो कुछ सिखाओ। सुरजेवाला जी, आप इनकी क्लास लगाओ। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मेरी तीन काल अटेंशन मोशन थीं और मैं आपका

[श्री अनिल विज]

ध्यान उनकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ और उनका फेट जानना चाहता हूँ। सर, मेरी एक काल अटेंशन मोशन प्रदेश के गोडाउन्ज में जो अनाज पड़ा हुआ सड़ा रहा है, उसके बारे में है।

श्री अध्यक्ष : वह डिस-अलाऊ कर दी गई है। आप पूछते जाएं और मैं उनका फेट आपको बताता रहूँगा लेकिन मैं आपको उन पर बहस करने नहीं दूँगा।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू में ही नारायणगढ़ शूगर मिल के बारे में एक काल अटेंशन मोशन दी थी उसका क्या फेट है ?

श्री अध्यक्ष : वह भी डिस-अलाऊ कर दी गई है। आगे चलिए।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा था कि थारे गन्ने की पेमेन्ट मन्ने दिलाई है और आगे भी थारे गन्ने की पेमेन्ट मैं ही दिलाऊंगा। * * * * *

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded whatever he is saying.

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, यह बहुत ही जरूरी मामला है। सर, नरेगा में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है उस बारे में भी मेरी काल अटेंशन मोशन थी उसका क्या फेट है ?

श्री अध्यक्ष : यह भी डिस-अलाऊ है। आगे चलिए।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, आप आज का टाईम्ज आफ इण्डिया न्यूज पेपर देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि Hooda sites on FIR, want another prob.....

Mr. Speaker : This is not the evidence. Newspaper is not an evidence.

श्री अनिल विज : सर, मेरे पास एविडेंस भी हैं। (शोर एवं व्यवधान) सर, मेरा कहना है कि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा था। (शोर एवं व्यवधान) आपको सत्र और बढ़ाना चाहिए था। हमें हमारी बात कहने देनी चाहिए थी। आज सिर्फ एक ही काल अटेंशन मोशन एडमिट हुई है। आज दो काल अटेंशन मोशन एडमिट हो सकती थीं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आज दो काल अटेंशन मोशन एडमिट हैं। (शोर एवं व्यवधान) आपकी भी है आप बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, आपने हमारे एडजर्नमेंट मोशन भी डिसअलाऊ कर दिये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विज साहब, अब आप बैठिए। You are wise enough.

श्री अनिल विज : स्पीकर साहब, आपने हमारे कई कालिंग अटेंशन मोशन और एडजर्नमेंट मोशन डिसअलाऊ कर दिए हैं और अब आप हमारी बात भी नहीं सुन रहे हैं इसलिए हम इसके विरोध में सदन से वाक आउट करते हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य सदन से वाक आउट कर गए।)

नियम 64 के अधीन वक्तव्य

लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हमारे विधायक साथियों द्वारा उठाई गयी एक डिमांड के बारे में बताना चाहता हूँ। हालांकि हमारे सामने वाले साथी विधायक इस समय सदन से चले गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी अभी-अभी बहिर्गमन कर गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री से हमारे लोकदल के साथी, भारतीय जनता पार्टी के साथी, कांग्रेस पार्टी के साथी और निर्दलीय विधायक जो एम०एल०एज० के अमीलूमेंटस और सैलरी हैं, उनको बढ़ाने के बारे में मिले थे। अध्यक्ष महोदय, आज महामहिम शहर में नहीं हैं जैसे ही महामहिम आ जाएंगे तो उनकी इजाजत लेकर हम इस बारे में आर्डिनैन्स जारी कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने यह निर्णय किया है कि एम०एल०एज० की सैलरी और अलाउंसिज बढ़ाए जाएंगे। चूंकि एट प्रेजेंट हरियाणा में एम०एल०एज० की सैलरी नहीं है इसलिए मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय किया है कि दस हजार रुपये प्रति महीना हरियाणा के एम०एल०एज० की सैलरी की जाएगी।

Mr. Speaker : Whether the taxes on the salary will be paid by the Government?

Shri Randeep Singh Surjewala : Yes Sir, the taxes will be paid by the Government always. सर, सभदुअरी अलाउंस हरियाणा में पहले तीन हजार रुपये था, हालांकि दूसरी स्टेट के बनिस्बत यह काफी ज्यादा है लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय किया है कि यह तीन हजार रुपये से बढ़ाकर पांच हजार रुपये किया जाएगा। इसी तरह से कांस्टीच्यूएँसी एलाउंस जो पहले 15 हजार रुपये था, हमने देखा है कि यह बाकी प्रान्तों से शायद ज्यादा है परन्तु मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया है कि इसको भी बढ़ाकर बीस हजार रुपये किया जाएगा। ऑफिस एलाउंस पहले द्वाइ हजार रुपये था लेकिन अब इसको बढ़ाकर डबल यानी पांच हजार रुपये किया जाएगा। इसके अलावा पहले डेली एलाउंस एक हजार रुपये था लेकिन अब इसको बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया जाएगा। स्पीकर सर, सैक्रेटेरिएट एलाउंस को पांच हजार रुपये से बढ़ाकर दस हजार रुपये किया जाएगा। माईलेज एलाउंस पहले 12 रुपये प्रति किलोमीटर था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 14 रुपये प्रति किलोमीटर कर दिया जाएगा। इस तरह से पहले एम०एल०एज० के जो टोटल अमीलूमेंटस 35500 रुपये प्रति महीना थे, वे अब बढ़कर 55 हजार रुपये प्रति महीना हो जाएंगे। सर, सैक्रेटेरिएट एलाउंस पांच हजार रुपये से दस हजार रुपये, डेली अलाउंस एक हजार रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये और ट्रेवेलिंग एलाउंस 12 रुपये प्रति किलोमीटर से 14 रुपये प्रति किलोमीटर जो किए हैं, यह अलग है। इस तरह से मिलाकर यह राशि और ज्यादा बढ़ जाएगी। स्पीकर साहब, जो एक्स एम०एल०एज० हैं उनके लिए भी यह निर्णय किया गया है कि जहाँ थ्रेसिक पेंशन पांच हजार है उसको अब बढ़ाकर साठे सात हजार रुपये कर दिया गया है प्लस डियरनेस पेंशन प्लस डी०ए०। कुल मिलाकर यह बीस हजार रुपये से ज्यादा राशि हो जाएगी जो एक्स एम०एल०एज० को मिल जाएगी। अध्यक्ष महोदय, अब विज साहब आ गए हैं उन्होंने ही विशेष तौर पर एक्स एम०एल०एज० की पेंशन बढ़ाने के बारे में डिमांड रेज की थी। सर, पहली बार इस तरह से इनकी पेंशन बढ़ायी गयी है। सभी पार्टियों ने इस बारे में मांग रखी थी। स्पीकर साहब, हम गवर्नर साहब की अनुमति से इस बारे में आर्डिनैन्स ले आएंगे और अगले सत्र में यह पास हो जाएगा, परन्तु इसको लागू इमीडिएट इफेक्टिवली कर देंगे।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में मंत्री जी से थोड़ी क्लैरीफिकेशन चाहता था। जैसे इन्होंने एक एम०एल०एज० की पेंशन के बारे में जिक्र किया है कि यह पांच हजार रुपये से बढ़ाकर साढ़े सात हजार रुपये हो जाएगी। स्पीकर सर, साढ़े सात हजार रुपये तो आलरेडी है। पांच हजार रुपये प्लस जो 50% परसेंट मर्ज हुआ था तो साढ़े सात हजार रुपये तो यह आलरेडी है। इनकी मंशा साढ़े सात हजार रुपये कहने की थी या कम ज्यादा करने की थी यह मुझे नहीं पता इसलिए थोड़ा सा ये इसको क्लीयर कर दें।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, पहले पांच हजार रुपये प्लस डियरनेस पेंशन प्लस डी०ए० है, लेकिन अब साढ़े सात हजार रुपये प्लस डियरनेस पेंशन प्लस डी०ए० हो जाएगी।

श्री आनंद सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और सरकार का एम०एल०एज० के अलाउंसिज बढ़ाने के लिए आभार प्रकट करता हूँ। (विघ्न) ये हम सबकी ही मांग थी। इसके बारे में मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट यह है कि यह जो माइलेज 12 रुपये प्रति किलोमीटर से 14 रुपये प्रति किलोमीटर किया गया है इसे बढ़ाकर 15 रुपये प्रति किलोमीटर किया जाए।

एक आवाज : 16 रुपये प्रति किलोमीटर कर दिया जाए।

श्री आनंद सिंह दांगी : पार्लियामेंट ने 16 रुपये प्रति किलोमीटर किया है हमारे यहां 15 रुपये भी चल सकता है। 15 रुपये प्रति किलोमीटर करने में भी कोई बात नहीं है लेकिन इसके साथ एक चीज बहुत ही जरूरी है, वह यह है कि हर एम०एल०एज० के साथ यह बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि अनेकों जगह शादियों में, गेम्स में और मंदिरों में व कई अन्य फंक्शंस में जाना पड़ता है जिनकी वजह से इन सारे भर्तों में काम नहीं चलता है इसलिए एम०एल०एज० को पेंटी ग्रांट या डिस्क्रीशनरी ग्रांट दी जाए जिससे कि इन सभी कामों के लिए उनको थोड़ा बहुत सहारा मिले। इस प्रकार की ग्रांट सभी विधायकों को 5 लाख रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से दी जाए क्योंकि यदि मिनिस्टर का हिसाब देखें तो बहुत ज्यादा राशि उनकी बनती है। हम जैसे ही मिनिस्टर भी बने हैं लेकिन हमारे उनसे ज्यादा खर्चे हैं। विधायकों के खर्चे में कोई कमी नहीं है। मिनिस्टर के आगे सारी सरकार घूमती है और सारे डिपार्टमेंट घूमते हैं और विधायकों को इस बात की सबसे बड़ी दिक्कत आती है इसलिए पेंटी ग्रांट या डिस्क्रीशनरी ग्रांट दी जाए जो कि 5 लाख रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से हो जाए। यह मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है।

वित्त मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय, डांगी साहब ने जो पेंटी ग्रांट देने की मांग की है, मैंने मुख्यमंत्री जी से इस बारे में बात की है। एक लाख रुपये की राशि हर एम०एल०एज० को पेंटी ग्रांट प्रति वर्ष के लिए दी जाएगी।

श्री आनंद सिंह दांगी : एक लाख रुपये की राशि से तो एक महीने भी काम नहीं चलेगा। कम से कम पांच लाख रुपये सालाना करें। नहीं तो दो लाख रुपये सालाना तो कम से कम करें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : यह पेंटी कैश होगा इसको एक साल में कहीं भी दिया जा सकता है।

श्री आनंद सिंह दांगी : मुख्यमंत्री जी, आपसे मेरा अनुरोध है कि इसको कम से कम दो लाख रुपये कर दो।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : आपकी ये बात तो मानी जा सकती है कि 14 रुपये प्रति किलोमीटर की बजाय 15 रुपये पर किलोमीटर माइलेज कर दें।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जो विधायकों का वेतनमान शुरू किया गया है उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी और सरकार का आभार प्रकट करता हूँ। इससे पूर्व हरियाणा में विधायकों के लिए सैलरी नाम की कोई चीज नहीं थी, एलाउंसिज थे। पहली बार सैलरी इंट्रोड्यूस की है इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। आज दस हजार रुपये सैलरी की है भविष्य में बढ़ाई भी जा सकती है लेकिन एक अच्छी शुरुआत हो गई है। इससे पूर्व बिना वेतन के विधायक रहते थे। भले तो वह मनी है जो कि पहले ही माना जाता है कि यह खर्च हो चुकी है। That is supposed to be spent. दांगी साहब ने जो सुझाव दिया है कि उसे भी मुख्यमंत्री जी ने मान लिया है। बड़ी सी फिराखदिली से यह माना है और इस विषय पर किसी तरह की हिप्पोक्रेसी में न पड़कर यह बहुत ही सराहनीय कदम उठाया गया है। मुश्किलत तो एम०एल०एज० के सामने आती ही रहती हैं। यह भी मानते हैं कि मुश्किलत एक दिन में हल नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी यह बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम उठाया गया है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—

हरियाणा सरकार द्वारा जनहित में भूमि अधिग्रहण संबंधी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Notice from Shri Sampat Singh, MLA regarding land acquisition by the Haryana Government in public interest. I admit it. Shri Anil Vij, MLA and Shri Krishan Pal Gurjar, MLA have also given Calling Notices on the similar subject. They are also allowed to raise the supplementaries. Shri Sampat Singh, MLA may read his notice.

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर आना चाहता हूँ। कल बाढ़ के बारे में कालिंग अटेंशन मोशन आया था और आज लैंड एक्विजिशन के बारे में आया है। मुझे इस बात का बड़ा खेद है कि विपक्ष के माननीय साथी जगह-जगह अखबारों में, प्रदर्शनों में, मीडिया के सामने ऐसी बातें करते हैं जैसे कि ये ही सबसे बड़े किसानों के हितैषी हैं। धरना कोई दे रहा है उनके बीच में जाकर बैठ जाना और बाद में मीडिया में जाकर बयान दे देना। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह मानना है कि इस हाउस से बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ये कहीं कुछ कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं। कहीं गंधा माला पड़ा है तो वहाँ जाकर फोटो खिंचवा देना और कहीं फ्लड में जाकर कहते हैं कि मेरी गाड़ी पानी 13.00 बजे में फंस गई और (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) पांच घण्टे में निकल कर आया मैं फंस जाता तो क्या करता कोई आया नहीं, मेरे वर्कर्स ने मुझे निकाला। मतलब बस फोटो के लिए चले जाते हैं। लेकिन फ्लड पर डिस्कशन के लिए कोई पार्टिसिपेशन करना, कोई सुझाव नहीं देना चाहते। इसी तरीके से लैण्ड एक्विजिशन के बारे में जहाँ भी कोई धरना दे रहे हैं जैसे फतेहाबाद में गोरखपुर गाँव के अन्दर हुआ था। वहाँ पर फोटो खिंचवाने के लिए चले गये, मीडिया में यह ब्यान दे दिया कि हम आपके साथ हैं। उससे आधार थोड़े ही बनता है। आज यह इम्पोर्टेंट इश्यू लगा हुआ था, उन लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए था। पहली बात तो यह कि उन्होंने कालिंग अटेंशन मोशन देने का प्रयास ही नहीं किया। एक एडजर्नमेंट मोशन का बहाना उस समय लिया जब कालिंग अटेंशन मोशन पहले ही आप द्वारा एडमिट किया जा चुका था। उपाध्यक्ष महोदय, यह नहीं सोचा कि हमें भी इस कालिंग

[प्रो० संपत सिंह]

अटेंशन मोशन की बहस में शामिल कर लिया जाए। केवल ब्यानबाजी करके और अखबारों में फोटो रिक्चवाने से बात नहीं बनती। कुछ अपने कंग्रीट सुझाव देते जैसे कि मैं प्रस्ताव रख रहा हूँ और इसके ऊपर सरकार जवाब देगी। उसके बाद अगर सरकार के जवाब से सन्तुष्ट नहीं होते तो अपने सुझाव देते कि लैण्ड एक्विजीशन के बारे में क्या कानून होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इस बात के लिए मैं उनकी निन्दा करता हूँ कि उनका यह बहुत गलत स्टेप है उनका पब्लिक से कोई इन्ट्रस्ट नहीं है पब्लिक से कोई लेना-देना नहीं है, वे सिर्फ सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। उसका रिजल्ट कुछ नहीं है। उनका किसान के साथ कोई लेना-देना नहीं है। सर, अब मैं अपने इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को पढ़ता हूँ।

डिप्टी स्पीकर सर, मैं इस महान सदन का ध्यान हरियाणा सरकार द्वारा जनहित में भूमि अधिग्रहण संबंधी एक अतिलोक महत्त्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। यद्यपि वर्तमान सरकार की भूमि अधिग्रहण की नई नीति में बाजार मूल्य पर उदाहरवादी मुआवजे के लिए आऊसटीज के पुनर्वास तथा 33 वर्षों के लिए वार्षिक अनुदान योजना की धाराएं थीं। राज्य में भूमि अधिग्रहण का न्यूनतम मूल्य देश में सर्वाधिक है तथा भारत सरकार भी किसानों के हित में इस अद्वितीय नीति को लागू करने के बारे में सोच रही है परन्तु किसानों को और अधिक आवश्यकता है। डिप्टी स्पीकर सर, इसी कारण फतेहाबाद में गाँव गोरखपुर तथा राज्य में कुछ अन्य स्थानों के किसानों की भूमि जो सरकार द्वारा जनहित में अर्जित की जा रही है उसका किसान विरोध कर रहे हैं। सिंचित भूमि तथा सड़क के साथ की भूमि के बाजार मूल्य भी काफी ऊँचे हैं।

मैं सरकार से आगे अनुरोध करता हूँ कि अति जनहित के इस मामले को गंभीरता से लिया जाये तथा इस संबंध में सदन के पटल पर एक वक्तव्य दिया जाए।

वक्तव्य-

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

Mr. Deputy Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will make a statement.

PWD (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, Haryana State is one of the most progressive States in the country. All the policies and programmes of Haryana Government are aimed at the emerging challenges and futuristic trends of development. The economy of the State was largely agriculture based at the time of its birth. But now there is a definite move towards non-agriculture activities. The contribution of primary sector to GSDP was 56.6% in 1966-67, whereas in the year 2009-10 it is less than 20% of GSDP. Sir, the comparison is like this :

	1966-67	2009-10
Primary Sector	56.6%	18.9%
Secondary	20.5%	28.8%
Tertiary	22.9%	52.3%

The above trend amply demonstrates that Haryana State is fast moving to be a modern day developed economy. Land acquisition and Rehabilitation & Resettlement (R&R) Policy of Government is deeply embedded in this long term vision of the State.

2. Specific Policies

Haryana is the first State to have framed well defined policies on (i) payment of market based compensation to the landowners/farmers whose lands are acquired by the Government under the provision of Land Acquisition Act, 1894, and (ii) a Rehabilitation Resettlement Policy for the land-owners/farmers. Main features of the Policy are as follows:

- (i) The farmer or the land owner is the primary focus of the Policy.
- (ii) Fixation and notification of floor rates for acquisition of land for public purposes on 28-4-2005 and further revised on 6-4-2007 by the Department of Revenue and Disaster Management:
- (iii) Detailed Policy for Rehabilitation & Resettlement of Land-owners Land Acquisition Oustees Notification dated 7th December 2007, effective in respect of Awards announced retrospectively from 5th March, 2005, the day on which the Congress Govt. took over the reigns of power under Ch. Bhupinder Singh Hooda.
- (iv) Policy regarding Land Acquisition for private development in furtherance of Industrial Policy 2005 notified on 4th May, 2006 by the Industries & Commerce Department.

3. Floor Rates Policy

Sir, Haryana was the first state in the country where the State Govt. has always endeavoured to protect the interests of land-owners/farmers and has been working towards safeguarding their legitimate rights. After taking over in March, 2005, the State Government fixed the minimum floor rates for the first time in the State in respect of compensation payable to the land-owners/farmers for acquisition of land. These floor rates do not include the statutory amount of solatium and the interest which is 30% plus 9% or 15% as the case may be. The State has been divided into three zones for the purpose of prescription of minimum floor rates. The said rates are as under:

Sr. No.	Area	Rates notified as on 28-4-2005	Rates revised and notified as on 6-4-2007	Minimum compensation at the floor rates
(a)	Gurgaon Urban Area	Rs. 15.00 lakh per acre	Rs. 20.00 lakh per acre	Rs. 33.20 lakh (approx.) per acre including solatium and interest

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

(b)	Rest of the NCR (Haryana Sub-region excluding Gurgaon urban area and Panchkula Distr.)	Rs. 12.50 lakh per acre	Rs. 16.00 lakh per acre	Rs. 26.56 lakh (approx.) per acre including solatium and interest
(c)	Rest of the State	Rs. 5.00 lakh per acre	Rs. 8.00 lakh per acre	Rs. 13.28 lakh (approx.) per acre including solatium and interest

The land rates indicated above are the floor rates i.e. minimum rates based on which compensation is paid to land owners. However, the actual rates of compensation payable to the landowners may vary, subject to the minimum prescribed above, depending upon the area and the market rates prevailing in such areas. For instance, the actual compensation determined and paid for certain areas where land has been acquired by the Government in the Urban Estates Department and the Industries Department recently are as under:—

Sr. No.	Station/Place	Agency for which land acquired	Minimum Compensation payable under the Policy/Acre	Amount actually Paid/Acre
1.	Rai (Industrail)	HSI IDC	Rs. 26.56 lakh (approx.) per acre including solatium and interest.	Rs. 48.00 lakh/acre
2.	Barhi (Ind.)	HSI IDC	Rs. 26.56 lakh (approx.) per acre including solatium and interest.	Rs. 49.00 lakh/acre
3.	Gurgaon (Roads)	HUDA	Rs. 33.20 lakh (approx.) per acre including solatium and interest.	Rs. 103.00 lakh/acre
4.	Faridabad	HUDA	Rs. 26.56 lakh (approx.) per acre including solatium and interest.	Rs. 64.00 lakh/acre

5.	Sonipat	HUDA	Rs. 26.56 lakh (approx.) per acre including solatium and interest.	Rs. 65.00 lakh/acre
6.	Pinjore	HUDA	Rs. 26.56 lakh (approx.) per acre including solatium and interest.	Rs. 33.00 lakh/acre
7.	Bhiwani	HUDA	Rs. 13.28 lakh (approx.) per acre including solatium and interest.	Rs. 35.00 lakh/acre

सर, ये कुछ आउटस्टैंडिंग फ्रीचर्स हैं। सर, मैंने आपकी और सदन की जानकारी के लिए यह भी डाटा निकालने की कोशिश की है कि अक्टूबर, 1999 से आज तक क्या कम्परेटिव डाटा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन को बताना चाहूंगा कि अर्बन स्टेट डिपार्टमेंट का जो डाटा इस समय हमारे पास हैंडी उपलब्ध है वह देखा जाये तो अक्टूबर, 1999 से 4 मार्च, 2005 के बीच में और 5 मार्च, 2005 से 31 अगस्त, 2010 के कम्परेटिव डाटा उपलब्ध है। अम्बाला में 1999 से 4 मार्च, 2005 के बीच में 390.17 एकड़ भूमि अर्बन इस्टेट के द्वारा एक्वायर की गई जिसका एवरेज रेट ऑफ कम्पेंसेशन 2,70,008 रुपये प्रति एकड़ था। विज साहब, का ध्यान में इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि 5 मार्च, 2005 से (विघ्न)

श्री कृष्णपाल गुर्जर: उपाध्यक्ष महोदय, ये यह भी बतायें कि उस जमीन का उस समय कलेक्टर रेट क्या था ?

Shri Randep Singh Surjewala : I am replying. You will also get a chance. उपाध्यक्ष मैं इनको फरीदाबाद के बारे में भी बताऊंगा, अभी मेरे पास बहुत डाटा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिए बता रहा था कि 5 मार्च, 2005 से 31 अगस्त, 2010 के बीच में 453.11 एकड़ भूमि अम्बाला अर्बन एस्टेट के द्वारा एक्वायर की गई और एवरेज रेट प्रति एकड़ जो पहले 2,70,008 रुपये था उससे बढ़कर 8,18,826 रुपये हो गया। जहां तक भिवानी का संबंध है भिवानी में हमारे समय में जो भूमि एक्वायर की गई उसका औसतन रेट 17,15,021 रुपये प्रति एकड़ है। इसी तरह से फरीदाबाद में मुआवजे का औसतन रेट वर्ष 1999 से मार्च, 2005 के बीच में 5,32,892 रुपये प्रति एकड़ था जबकि मौजूदा सरकार ने पांच साल में औसतन रेट 34,35,348 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से हर जिले की फिगर मेरे पास उपलब्ध है लेकिन मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद जिले में हमारी एवरेज आई 11,21,476 रुपये की, गुड़गांव में पिछली आई एन एल डी और बीजेपी की सरकार के समय में एवरेज रही 9,27,611 रुपये प्रति एकड़ की और हमारी सरकार के समय में यह एवरेज बढ़कर 43,60,581 रुपये की रही।

[श्री रणधीप सिंह सुरजेवाला]

इसी तरह से हिसार में पिछली आई०एन०एल०डी० और बी०जे०पी० की सरकार के समय, 2,22,000 रुपये प्रति एकड़ की औसत रही और हमारी सरकार के समय में लगभग 8 लाख रुपये से ज्यादा एवरेज प्रति एकड़ रही। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से भिन्न-2 जिलों के अलग-अलग आंकड़े मेरे पास हैं। यदि इन सबको टोटल करके देखें तो पता चलता है कि अक्टूबर, 1999 से 4 मार्च, 2005 के बीच में सारी जिलों की प्रति एकड़ मुआवजे की औसत 5,53,086 रुपये की आती है और 5 मार्च, 2005 से 31 अगस्त, 2010 के बीच में सारे जिलों की प्रति एकड़ मुआवजे की एवरेज 22,19,043 रुपये की आती है। यह एक महत्वपूर्ण डाटा है जो कि इनकी सरकार के समय से तकरीबन 400 प्रतिशत ज्यादा बनता है। यह सारी राशि किसानों को दी गई है।

4. An outstanding features of these floor rates is that they made applications from 5th March, 2005.

5. **Rehabilitation & Resettlement Policy and Concept of Annuity.**

The Rehabilitation & Resettlement Policy, notified on 7th December, 2007 but effective from 5th March, 2005, has four components of: (a) Annuity Payments, (b) Allotment of Plots to the land-oustees, (c) Infrastructure Development works in the villages, and (d) Skill development of the land-oustees. These are explained as under :

(a) **Annuity**

- * The Scheme provides that the Landowners whose land is acquired under the Land Acquisition Act 1894, shall be paid Annuity in the form of **royalty for a period of 33 years**. The landowners will be paid annuity for period of 33 years over and above the usual one-time land compensation @ Rs. 15,000/- per acre/per annum, which will be increased @ 500/- every year.
- * In respect of land acquired in terms of land acquisition policy for setting up of Special Economic Zone/Technology Cities, Technology Parks, in addition to rehabilitation and resettlement package notified by the Industries & Commerce Department vide No. 49/48/2006-4IBI, dated 4th May, 2006, the rate of Annuity is Rs. 30,000/-per acre per annum for a period of 33 years payable by private developers to be increased @ Rs. 1,000/- every year.
- * The policy of paying annuity is applicable to all cases of land acquisition by the Government, except in respect of land acquired for defence purpose.
- * The policy has been made applicable with effect from 5th March, 2005 and covers all those cases of acquisition in which awards of compensation were announced on or after 5th March, 2005.

आदरणीय डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन को यह जरूर बताना चाहूंगा कि पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा सरकार एक ऐसी नीति

लेकर आई जिसकी चर्चा पूरे देश और देश के सभी प्रदेशों के अंदर होती है। आज जिसका अनुसरण करने के लिए देश के दूसरे प्रदेशों में होड़ लगी है। आज हरियाणा प्रदेश से देश के दूसरे प्रदेश अपनी तुलना करने को बाध्य हैं। मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश के लोगों के उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उनकी अधिग्रहण की गई ज़मीन का मुआवज़ा बढ़ाने के लिए सरकार के खिलाफ किए गए आंदोलन की ओर दिखाना चाहूंगा जिसमें कई किसानों को शहीद भी होना पड़ा। उन शहीद किसानों के बलिदान के आगे उत्तर प्रदेश की सरकार को बाध्य होकर इस मामले में नई नीति बनानी पड़ी। इस बारे में वहां की सरकार ने भी यह दावा किया है कि हम इस बारे में हरियाणा सरकार से बेहतर नई नीति बनाएंगे। डिप्टी स्पीकर सर, यार्ड स्टिक जो है determination of compensation, protection of rights of land owners, protection of land of farmers है वह हरियाणा है। हम नीति निर्धारित करते हैं और फिर दूसरे प्रदेश उसका अनुसरण करते हैं। हमें इस बात का गर्व भी है और फख भी है फिर भी मैं बड़ी विनम्रता से सिर झुकाकर यह कहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री और कांग्रेस की हरियाणा सरकार ने जो यह नीति बनाई है जो एन्युटी का कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया है वह इसलिए किया है ताकि एक पूरी पीढ़ी और उसके बच्चों तक हम उनके हक और हकूक को सुरक्षित रख सकें, यह अपने आप में एक भोथल कांसेप्ट था जो बाकी की स्टेट्स फॉलो कर रही हैं। सर, इसका अगला पहलू है--

(b) Allotment of plots to the oustee-Land owners:

* The R&R Policy also provides for allotment of plots by HSIIDC/HUDA depending upon land owner's share in the land acquired and if 75% or more of the total land owned by the owner in that Urban Estate is acquired. The Policy is also applicable to those persons whose residential structures/houses/dwelling units are acquired.

* The Policy also defines the plot sizes to be allotted depending upon the land/ area acquired or the size of the residential house acquired. The maximum size of the plot to be allotted under the Scheme is 350 square yards. The norms for allotment are as under:

In case where only land is acquired Land/area acquired	Size of residential plot to be allotted
100 to 500 square yards	3 marla
501 to 1000 square yards	4 marla
1001 to ½ acre	6 marla
Above ½ acre to ¾ acre	8 marla
Above ¾ acre to 1 acre	10 marla
Above 1 acre	14 marla
Or	

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

In case of where the residential structure is acquired

Size of the residential house acquired	Size of residential plot to be allotted.
Upto 100 square yards	50 square yards
Above 100 and upto 200 square yards	100 square yards
Above 200 and upto 300 square yards	150 square yards
Above 300 upto 400 square yards	200 square yards
Above 400 upto 500 square yards	250 square yards
Above 500 square yards	350 square yards

(c) Infrastructure development in the villages of which land is acquired:

- > As a part of the Community benefit, the R&R Policy obligates the developing agencies, including HSIIDC/HUDA, to fund and undertake development of social infrastructure in the villages whose land is acquired. The development works are taken up in consultation with the Village Panchayats based on the amount budgeted for the purpose.
- > The HSIIDC/HUDA has been earmarking 1% to 2% of the total costs of the project for development works of public/community benefits in the villages. The works undertaken by HSIIDC include creating/upgrading road/streets network, water supply, street lighting, school infrastructure, medical centres/health facilities etc.

(d) Skill Development Initiatives:

In addition to the above, the R&R Policy also requires the developers, including HSIIDC/HUDA, to undertake initiatives for capacity building and skill development programs for the persons whose land has been acquired so as prepare them for employment.

In case of HSIIDC, about 1% of the total cost of acquisition is to be utilized for imparting training/skill development to the land owners/their children, whose land is acquired and to the unemployed youth of the affected villages. Since this is a new scheme, implementation is now being streamlined.

6. Policy for Acquisition of Land for Development by the Private Sector:

- (i) In order to facilitate development of SEZs, Industrial Parks & Technology Cities, the Government has come out with a land acquisition Policy dated 4th May 2006.
- (ii) As per the policy, the State Government can acquire land not exceeding 25% of the total project area falling in the National Capital Region and Panchkula district and not exceeding 50% of the project area falling outside the NCR/Panchkula district for SEZs, Industrial Parks & Technology Cities.
- (iii) The Policy which has also become a part of the R&R Policy of 2007.

imposes certain obligations on the developer for whom the land is so acquired for creation of social infrastructure like roads, medical facilities, street lighting, drinking water supply etc.; undertake skill development programs; and, provide employment to such persons to the satisfaction of the Industries department.

7. This Relief & Rehabilitation Policy has actually made profound change on the ground in the lives of farmers and land owners, as is apparent from the following facts:

Since March, 2005, HUDA, HSIIDC, PWD(B&R) and Irrigation Department alone have paid Rs. 9834.73 crore to farmers/land owners under the new acquisition policy.

कांग्रेस की सरकार ने जो नीतियां बनाई थी उन्हीं के कारण हरियाणा के किसानों को 5 साल के अर्से में लगभग 10 हजार करोड़ रुपये केवल मुआवजे के तौर पर कांग्रेस सरकार ने दिये हैं जो अपने आप में इस देश में एक रिकार्ड है।

Since March, 2005, till date, HUDA alone has acquired 16362 acres of land and has paid a compensation of Rs. 4173 crore. Similarly, HSIIDC has acquired 19868 acres of land and has paid a sum of Rs. 4780.38 crore since March, 2005 till date.

Since March, 2005 till date Department of Irrigation has acquired 6617.87 acres of land paid a compensation of Rs. 803.99 crore.

Similarly, since March, 2005 till date, Department of P.W (B&R) has acquired 385.82 acres of land and paid a compensation of Rs. 77.36 crore.

Thus, the average compensation paid by the present Government comes to Rs. 22.74 lakh per acre.

In comparison, the land acquired by HSIIDC between July, 1999 and February, 2005 was 4392 acres and a compensation of Rs. 286.62 crore was paid for this land. The average compensation paid per acre comes to Rs. 6.53 lakh only.

Upto 31-12-2009, the total annuity payable to farmers by HSIIDC alone was Rs. 44.13 crore, out of which a sum of Rs. 25 crore has been distributed to land owners. Remaining is pending on account of litigation in courts.

8. Outsourcing of Payment by Insurance Company/Bank:

In order to ensure that the payment is released to the landowners without any disruption, HSIIDC/HUDA/HSAMB are in discussions with the Insurance Companies/Banks for purchase of an Annuity Policy so that the annuity can be paid directly to the landowners/farmers over the 33-years period by remitting the same direct to the Bank Accounts of the beneficiaries.

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

9. Policy regarding acquisition of land for private development and in public private partnership for setting up of Special Economic Zones, Technology Cities, Industrial Parks and Industrial Model Townships.

9.1 Introduction

Industrial Policy, 2005 lays down that the objective of industrial and economic growth shall be achieved, amongst other factors, by encouraging public private partnership in infrastructure projects. In particular, development of industrial infrastructure with private sector participation has been emphasized. So far the task of development of industrial infrastructure viz, Industrial Estates has been entrusted to Haryana State Industrial Development Corporation (HSIDC). This Corporation has developed industrial areas of over eight thousand acres at different locations in the State. This also includes two growth centers at Bawal and Saha and an Industrial Model Township at Manesar (Gurgaon).

The positive sentiment created by the Industrial Policy, 2005 and coordinated initiatives of various departments of the Government have given a tremendous boost to the industrial sector and as a result, many investment proposals have been received by the State Government. Practically the entire area developed in the Industrial Estates of HSIDC stands allotted. It is imperative to take immediate steps to acquire and develop fresh land at strategic locations for the creation of additional industrial infrastructure to sustain the momentum of industrial growth.

HSIDC has proposed to develop additional about 10000 acres of land all over the State. This huge development work would strain the resources of HSIDC and further investments may not be possible in the near future. At the same time, 23 proposals for setting up Special Economic Zones in the State have been granted approval, in principle, by Government of India. Some of these proposals envisage large scale SEZs which are multi-product and when they come up, investment of gigantic magnitude would flow to the State creating large scale employment. Interest has been shown by the private sector also in developing Industrial Model Townships, Industrial Parks and Technology Cities through private initiatives and in public private partnership.

In this context, it has become essential for the State Government to come out with a policy to facilitate the private sector initiatives that supplement the State's own initiative in creation of industrial infrastructure. The critical factor in creation of industrial infrastructure is the availability of land and, therefore, intervention of State Government to facilitate the private sector in acquisition of land becomes important. In respect of SEZs, this is even more critical since notification of such zones requires contiguity of the area for custom bonding.

9.2 Location of SEZs, Industrial Parks & Technology Cities

For creation of infrastructure for SEZs and Industrial Model Townships, huge investment is required to be made by the private sector. Even in cases where the initiative is in the public private partnership, the bulk of the investment has to

come from the private sector. The investment decision in the private sector would primarily be motivated by commercial viability and most of the investment is expected in the NCR region due to locational advantage as generally indicated by the prospective industrial investors. It is equally important for the State Government to ensure development of the industrially backward regions of the State. In order to reconcile the State's objective with the preference shown by the private sector, it is envisaged that the State Government may assist the private sector in developing not more than 5-6 multi-product SEZs in the NCR region. As far as possible, it shall be the endeavor of the State Government to ensure dispersal of these SEZs even within the NCR region. Similarly, not more than two Industrial Model Townships would be encouraged in the NCR region. However, no such restriction shall be placed on developers who approach the State Government for assistance in land acquisition outside the NCR region. The State Government would also encourage setting up of Technology Cities mainly outside the NCR region.

9.3 Size of SEZ/Industrial Parks/Technology Cities

The State Government would leave it to the private sector to purchase land directly from the land owner for single product, IT/ITES, biotechnology and Warehousing SEZs where area requirement is much smaller. The State Government would, however, assist the private sector developer in acquiring left out pockets to ensure contiguity of SEZs.

In respect of multi-project SEZ, the State Government would encourage to purchase the land from the owners by mutual consent. However, considerations of the minimum area requirement of 2500 acre and its contiguity as a prerequisite for approval of the SEZ would generally necessitate State support. Such a provision for assistance to the private sector by the State Government exists in section 7(1) of the Haryana Special Economic Zone Act, 2005.

Outside the NCR region, the State Government may assist the private sector in acquisition of land even in respect of single product SEZ where the minimum area requirement is 250 acres only. The area restrictions on Industrial Parks/Industrial Model Township within the NCR region would be 1500 acres. This restriction shall not apply to industrial parks outside NCR region. The minimum size stipulated for technology cities in the Industrial Policy, 2005 is 1000 acres and there is no maximum size restrictions. The State Government shall assist in acquisition of land in technology cities only outside the NCR region.

9.4 Public Private Partnership

Wherever the developer approaches HSIDC for development of SEZ, Industrial Park or Technology City in public private partnership, the decision on the terms and conditions of such partnership including the extent of participation in the equity of such projects shall be left to the Board of Directors of HSIDC. The State Government shall assist in the acquisition of land for all such joint

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

venture projects. The extent of land acquisition in such projects shall be decided by the State Government. However, in joint venture where HSIDC/State Government would have 26% or more share in equity, the State Government shall acquire the entire land for the project.

9.5 Selection of Projects for State assistance in acquisition of land

The proposals received by the State Government for assistance in acquisition of land shall be put up before the Haryana Industrial Promotion Board (HIPB) set up under the Chairmanship of Chief Minister under the Industrial Policy, 2005. The Board shall consider such proposals keeping in view the various parameters enshrined in the Industrial Policy to achieve the intended purpose of industrialization. Where the Board is satisfied that setting up of such project would be in public interest, the Board may approve acquisition of land by the State Government not exceeding 25% of the total project area falling in the National Capital Region or Panchkula district and not exceeding 50% of the project area falling outside the NCR/Panchkula district. The Board may stipulate such additional conditions for providing the required assistance over and above the general terms and conditions given in subsequent paras of this Policy, at it may deem necessary. The Board may also consider customized incentives and support for successful implementation of such projects including such relaxations as it may deem necessary for achieving the objectives of economic growth.

9.6 General Terms & Conditions

While the State Government would endeavour to encourage the private sector to purchase land directly from the land owners, it would not be feasible to expect large scale industrial infrastructure projects without the State intervention through acquisition of land for such projects. Keeping in view the need to give adequate compensation to the land owners, the State Government has also fixed floor rates in tune with the prevailing market rates for the purpose of giving suitable compensation to the land owners. In addition, the following general terms and conditions shall be applicable in all cases of acquisition of land for the private developers as well as for projects in private public partnership for setting up of SEZs, Technology Cities, Industrial Parks and Industrial Model Townships:

- (i) The developer shall pay to the Government the total cost of acquisition of land and the administrative expenses incurred for such acquisition as well as any enhancement which would be ordered by the competent courts.
- (ii) The developer shall pay to the State Government administrative expenses @ 15% of the total cost of acquisition including enhancement except where HIPB decides to reduce or waive off such expenses as special incentive for the project.

- (iii) The developer shall be bound to provide, to the satisfaction of the State Government, rehabilitation of population by providing built up houses or residential plots alongwith cost of construction in case relocation of village abadi is necessitated for setting up of such projects.
- (v) The developer shall undertake to provide essential services, like roads, street lights, drainage and sewage, drinking water supply and building of suitable medical care and schooling alongwith Community Centre, in all such villages where the village abadi is relocated at a new place.
- (v) Where relocation is not necessary but more than 25% of the total land of the village gets acquired, similar social infrastructure as at (iv) above shall be provided in existing abadi.
- (vi) The developer shall undertake to set up industrial training institutes, vocational training institutes and polytechnics to provide training to the wards of persons whose land is acquired to the satisfaction of the State Government. Such training institutes shall be fully funded and run by the developer.
- (vii) The developer shall undertake to provide right of way and develop such infrastructure by way of creation of roads and bridges as may become necessary to avoid inconvenience to the general public within the project area.
- (viii) The developer shall undertake to provide independent power plant or shall purchase power from a plant set up outside the project area or the State, to meet with power requirements of such projects.
- (ix) The developer shall undertake to pay for the water supply schemes that the State Government may consider for augmenting water supply requirement in such project on such terms and conditions as may be determined by the State Government.
- (x) The developer shall undertake to pay such external development charges as may become applicable in the event of the external services being provided by the Haryana Urban Development Authority or Local Body or any other State Government Department.
- (xi) The developer shall undertake to give employment to atleast one member of the family whose land is acquired for setting up the project. The nature of employment provided shall be to the satisfaction of the Industries Department.
- (xii) The developer shall undertake to employ atleast 25% of the total employment provided by him to the Haryana domicile in all categories except the technical posts where preference shall also be given to Haryana domicile.

[श्री रणवीर सिंह सुरजेवाला]

- (xiii) The developer shall enter into written agreement with the State Government in the Industries Department to comply with the above terms and conditions and any such conditions that may be imposed by Haryana Investment Promotion Board.

9.7 Monitoring of compliance of terms & conditions of acquisition

The compliance of the terms & conditions as contained in the Policy shall be monitored by a Committee constituted by the State Government. Non-compliance of the conditions shall make the developer liable for resumption of land and payment of such penalty as may be determined by the State Government.

Sir, last but not the least, I want to bring to the attention of the august House only one fact that ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस प्रान्त में 5 वर्ष के अर्से में लगभग 10 हजार करोड़ रुपये का मुआवजा हरियाणा की 4 एजेन्सियों, PWD B&R, Irrigation, HSIIDC & HUDA के द्वारा हरियाणा के किसानों को दिया गया हो, लगभग 141 करोड़ रुपये की राशि किसानों को एन्वूटी के तौर पर देय बनी हो। किसान को सही मायनों में, जमीन के मालिक को सही मायनों में तरक्की का भागीदार बनाने का सतत प्रयास हरियाणा सरकार ने किया न केवल मुआवजा देकर, न केवल एन्वूटी देकर बल्कि यह भी सुनिश्चित करके कि किसान और जमीन का मालिक चाहे वह गरीब हरिजन हो, गरीब बाल्मीकि हो चाहे वे पिछड़े वर्ग के हमारे गरीब भाई हों, उनके बच्चों की स्कूल डिवलपमेंट करवायें और उनको इस लायक बनायें कि वे अच्छी से अच्छी नौकरी पाने के हकदार बन जायें। उनको इस लायक बनायें कि वे अच्छी से अच्छी स्कूल डिवलपमेंट लेकर, जो ट्रेनिंग हम देंगे वह लेकर, अच्छी से अच्छी नौकरी पा सकें। हमने यह शर्त भी रखी है कि आप 25 प्रतिशत तक हरियाणा के डोमीसाईल को ही भर्ती करेंगे। यह भी शर्त रखी कि एक व्यक्ति को वहां पर रोजगार दिया जाएगा। डिप्टी स्पीकर साहब, इसके साथ ही यह भी शर्त रखी कि अगर हुआ और एच०एस०आई०आई०डी०सी० जमीन एक्वायर करेगा तो कार्मिशियल और रेजिडेंशियल प्लॉट्स उनको देने पड़ेंगे और उसमें उनकी भागीदारी होगी। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा यह मानना है और मैं बहुत ही विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार की यह जो नीति है वह आज के दिन में सबसे बेहतरीन नीति है। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।)

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने सरकार की तरफ से बहुत डिटेल्ड रिप्लाइ दिया है। अध्यक्ष महोदय, आपने मेरी काल अटेंशन मोसन को एडमिट किया और सरकार ने इसका रिप्लाइ दिया, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद भी करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मैं दो-तीन स्ट्रेट सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरा पहला सवाल यह है कि हमारी सरकार ने 2005 से 2007 तक विद इन टू इयर्ज 33 प्रतिशत, 26 प्रतिशत और 60 प्रतिशत फ्लोर रेट बढ़ा दिए थे। अध्यक्ष महोदय, आज 2007 को बीते हुए 3 साल हो गए हैं, क्या सरकार इन रेट्स को रिवाइज करेगी ?

मेरा दूसरा सवाल जो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ वह यह है कि जैसे हमारे एच०आई०जैड० में किया है कि इरिगेटिड लैंड एक्वायर नहीं की जाएगी। उसी तरह से क्या दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी जो हमारी सिंचित भूमि होती है उसको सरकार एक्वायर नहीं करेगी ? क्या सरकार एच०आई०जैड० जैसी पोलिसी जो सिंचित लैंड के बारे में है, वैसी पोलिसी दूसरी पोलिसिज़ के लिए भी बनाएगी। अगर उन पोलिसिज़ में सरकार सिंचित लैंड को एक्वायर करती है तो जैसे सरकार ने अलग अलग फ्लोर रेट्स बताए हैं एन०सी०आर० के लिए अलग रेट हैं, पंचकुला, गुड़गांव के लिए अलग

रेट्स हैं और अदर देन एन०सी०आर० अलग रेट हैं, वैसे रेट्स दूसरी स्कीमों में भी देंगे ? इसके साथ ही मेरा तीसरा सवाल है कि क्या सरकार उन रेट्स में चौथा स्लैब अलग से बनाएगी और उसमें रेट्स ज्यादा होने चाहिए ? सर, मैं आपके माध्यम से सरकार से यही जानना चाहता हूँ।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक पालिसी के रिव्यू का प्रश्न है, इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ही कह चुके हैं 'the policy is under review.' और इसके बारे में हम अवश्य बताएंगे। जहाँ तक सवाल हॉयर रेट्स देने का है तो इस बारे में मैं इनको सरकार की तरफ से आश्वासन करना चाहूँगा कि किसान के लिए जो भी बेस्ट रेट्स पोसिबल होंगे, वही रेट्स देंगे। इसके अलावा जितनी भी मिनिमम जमीन की आवश्यकता होगी उतनी ही लेंगे। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी स्वयं किसान के बेटे हैं, आप भी स्वयं किसान हैं और भारतीय कांग्रेस पार्टी की इस सरकार के अन्दर किसान और जमीन से जुड़े हुए प्रतिनिधियों का ज्यादा प्रतिनिधित्व है। इसलिए रेट्स के बारे में आप ज्यादा हिचकिचाएँ नहीं। (विघ्न)

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, भन्नी जी ने भूमि अर्जन के बारे में बड़ा लम्बा चौड़ा वक्तव्य दिया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के कहे हुए शब्द में दोहराना चाहता हूँ। इन्होंने कहा था, "चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा, व्यवस्था बदलनी पड़ेगी।" अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था कैसे बदली है- 1999 से 2004 की बात इन्होंने करी थी। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैंने इसीलिए कहा था कि मेरी काल अटेंशन मोशन एडमिट कर लो। (विघ्न) सर, मैं अच्छे सुझाव ही दूँगा। कोई गलत बात नहीं करूँगा।

श्री अध्यक्ष : यह कोई बात नहीं है। (विघ्न) आप एक सवाल पूछ सकते हैं और एक सवाल अनिल विज जी पूछ सकते हैं। (विघ्न) अगर आप इस तरह से 10 मिनट तक भाषण ही देते रहे तो यह ठीक बात नहीं है। आप सीधे प्रश्न पूछें।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : सर, मैं भाषण नहीं दूँगा। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : गुर्जर जी, जैसे सम्पत सिंह जी ने अपना सीधा सवाल किया है आप भी उसी तरह से सीधे सीधे अपना सवाल पूछें। (विघ्न)

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा के किसान भूमि अर्जन को लेकर भुख हड़ताल पर बैठे हुए हैं।

Mr. Speaker : This is not the question. (विघ्न) इस तरह की बात यहाँ पर नहीं होगी। (विघ्न) आप यहाँ पर वही सवाल पूछ सकते हो जो इस काल अटेंशन मोशन से रिलेटिड होगा। (विघ्न)

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : स्पीकर सर, हमारी जो काल अटेंशन मोशन थी, उसको आपने एडमिट नहीं किया। हम कान रोको प्रस्ताव देते हैं, आप उसको भी नहीं मानते हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आपने फिर वही बात शुरू कर दी है, जिसकी वजह से पहले भी झगड़ा होता रहा है। You put the supplementary. (Interruptions)

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : इन्होंने यह भी कहा कि 1999-2004 तक क्या रेट दिए और 1999-2004 के समय गुडगाँव, फरीदाबाद, पंचकुला या एन०सी०आर० के शहरों में जमीन दो, तीन या चार लाख रुपये में मिलती थी। स्पीकर साहब, आज जो जमीन बिल्डर खरीद रहे हैं वह किस रेट पर खरीद रहे हैं ? इन्होंने यह तो कह दिया कि इन्होंने एक करोड़ तीन लाख रुपये के हिसाब से गुडगाँव में जमीन के रेट दिए।

श्री अध्यक्ष : गुर्जर साहब, आप सथाने आदमी हैं इसलिए आपको किसी ढंग से तो चलना चाहिए। आप अपनी सप्लीमेंट्री पुट करें। आप तो भाषण देना शुरू कर देते हो।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछ रहा हूँ कि सरकार किसानों की जमीन एक करोड़, 64 लाख, 65 लाख, 33 लाख में ले रही है लेकिन बिल्डरों ने वहाँ पर किसानों की किस रेट पर जमीन खरीदी है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे ? स्पीकर सर, वहाँ पर जमीनों की रजिस्ट्रियाँ हुई हैं। इसका रिकार्ड है। *****

श्री अध्यक्ष : गुर्जर साहब, अब आप बैठें। Nothing is to be recorded whatever he said.

श्री कृष्ण पाल गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री अध्यक्ष : गुर्जर साहब, आप केवल क्वेश्चन करें। आप सवाल पुट कीजिए। आपका यह तरीका ठीक नहीं है। आप तो भाषण देना शुरू कर देते हो।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, प्राईवेट बिल्डरों ने किस रेट पर किसानों से जमीन खरीदी है ? मेरा दूसरा सवाल यह है कि जैसे पंजाब ने कहा है कि अगर जरूरी नहीं होगा तो बगैर किसान की सहमति से कोई भी किसान की जमीन अधिगृहीत नहीं की जाएगी।

श्री अध्यक्ष : गुर्जर साहब, आप बैठें। मंत्री जी को जबाब देने दें। अब आपका कोई तीसरा सवाल नहीं होगा। Nothing is to be recorded.

श्री कृष्ण पाल गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री अध्यक्ष : मैं तो समझता था कि बी०जे०पी० वाले बड़े सथाने हैं और बड़ी अच्छी तरह से चलेंगे लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा भी करेंगे। गुर्जर साहब, अब आप बैठें।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, गुर्जर साहब, वैसे तो बहुत तर्जुबेकार हैं और उग्र और तर्जुबे में भी मेरे से बड़े हैं लेकिन कई बार ये भटक जाते हैं बर्बलिंग कर जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर ये चौधरी सम्पत सिंह जी का यह कालिंग अटेंशन मोशन पढ़े तो इनको पता लगेगा कि यह भूमि अधिग्रहण नीति के बारे में है। गुर्जर साहब अपनी जमीन किसी दूसरे व्यक्ति को किस रेट पर बेचते हैं उसके बारे में यह नहीं है। गवर्नमेंट की जो फ्लोर पोलिसी है, जो एनुएटी पोलिसी है, जो रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन पोलिसी है, रिसेटलमेंट पोलिसी है, जो स्कीम डिवलपमेंट पोलिसी है, जो आल्टरनेटिव अलोटमेंट टू आउस्टीज की पोलिसी है, यह उसके बारे में है और उसका जबाब मैं दे चुका हूँ। प्राईवेट व्यक्ति किस रेट पर जमीन बेचता है उसकी यहाँ चर्चा नहीं है। दूसरे इन्होंने यह भी कहा है कि पंजाब में बगैर किसान की सहमति के उसकी जमीन एस्वायर नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, पंजाब की इस प्रकार की नीति नहीं है। उनकी नीति की कॉपी मेरे पास है यह चाहें तो मेरे पास आकर इसको देख लें। इन्होंने शायद यह नीति पढ़ी नहीं है।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, पंजाब के मुख्यमंत्री का इस बारे में बयान आया है मैं चाहूँगा कि ऐसा ही बयान हमारे मुख्यमंत्री जी दे दें।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास पंजाब की इस बारे में जो नीति है उसकी कॉपी पढ़ी है ये इसको पढ़ लें। इसमें कहीं पर भी यह लिखा हुआ नहीं है।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, ***

श्री अध्यक्ष : गुर्जर साहब, मुझे आपको दूसरा सवाल पुट करने के लिए रूलज परमिट नहीं करते। This is not to be recorded. गुर्जर साहब, अब आप बैठें। विज साहब, अब आप अपनी सप्लीमेंट्री पुट करें। Gurjar Sahib, rules do not permit me to allow you to ask the second question.

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : स्पीकर साहब, ***

Mr. Speaker : No Second question please. I would not allow you. अब आप बैठिए। अब विज साहब बोलें।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जमीन की अधिग्रहण नीति के बारे में बहुत विस्तार से बताया है। मैं केवल इनसे यह पूछना चाहता हूँ कि इनकी कथनी और करनी में अंतर क्यों है ? अभी 4-8-2010 को पंचकुला जिले के कुंडी गाँव में जो 76.8 एकड़ लेण्ड ऐक्वायर की गयी है वह केवल 18 हजार रुपये प्रति गज के हिसाब से ऐक्वायर की गयी है। मेरे हाथ में इसका अवाईर्ड है। पंचकुला जिले में और एक जमीन तीन रुपये 71 पैसे प्रति गज के हिसाब से ऐक्वायर हुई है। सर, तीन रुपये 71 पैसे प्रति गज के हिसाब से तो बाजार में कपड़ा भी नहीं मिलता है। अध्यक्ष महोदय, मैं वह अवाईर्ड पढ़कर सुनाना चाहूँगा।

Mr. Speaker : This is not the way. आप सवाल पुट कीजिए। Straightway put the question. आप सवाल कीजिए, लव लेटर पढ़ना शुरू न कीजिए।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं सवाल ही कर रहा हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि नीति बनी होने के बावजूद भी पंचकुला में जो अवाईर्ड दिया गया है वह 76 एकड़ का 3 रुपये या 4 रुपये के हिसाब से दिया गया है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, अनिल विज बड़े ही काबिल साथी हैं और मुझे इनके साथ रहने का मौका भी मिला है। मुझे लगता है कि चिट्ठी दाढ़ी होने के बाद तो आदमी को समझदार हो जाना चाहिए। (हंसी)

श्री अध्यक्ष : चिट्ठी दाढ़ी वाला बिगड़ता भी बड़ा है। (हंसी)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सर, यह जो कागज विज साहब लिये हुए हैं यह 1982 की नोटिफिकेशन है, ये एक बार उसको चैक कर लें।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, इसमें तारीख लिखी है यह अवाईर्ड 4.8.2010 का है।

Sbri Randeep Singh Surjewala : Sir, I have said that the policies are applicable for acquisitions that took place after April, 2005. He is not understanding this. How can I make him understand?

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, जो मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था उसमें स्पेसिफिकली यह मेशन किया था।

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, यह जो कालिग अटेंशन मोशन आया है यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा। आपको भी मालूम है कि मैं स्वयं भी एक किसान का बेटा हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब किसान की जमीन जाती है तब उसके दिल पर क्या गुजरती है, यह वही जानता है। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है यह ठीक है लेकिन यह नोटिफिकेशन 1982 की है। हमारी जो पॉलिसी है वह 5 मार्च, 2005 के बाद लागू हुई है, अब यहां पर उसकी चर्चा हो रही है। 1980 में क्या था और 1977 में क्या था उस बात की चर्चा नहीं है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि ऐन्जुटी की पॉलिसी सबसे पहले हमने इंट्रोड्यूस की है और इस पॉलिसी को लागू करते समय सदन में मैंने कहा था कि यह मेरा दावा है कि इसको पूरे देश को मानना पड़ेगा। ऐसी बात अब होती दिखाई दे रही है, ऐसी पॉलिसी हिंदुस्तान ही नहीं वरन दुनिया में भी नहीं है जहां ऐन्जुटी हो। जहां तक फ्लोर रेट का सवाल है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि भाजपा के साथियों के सहयोग से श्री ओम प्रकाश चौटाला की सरकार चल रही थी और 5-6 साल तक चलती रही। उस समय मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला थे और बी०जे०पी० के साथी उनकी सरकार का सहयोग कर रहे थे। जो एक्सप्रेस हाई-वे पलवल से कुडली तक बन रहा है जिसकी 135 किलोमीटर लम्बाई है उस पर उनके समय में काम शुरू हुआ था। यह मैं रिकार्ड पर आधारित बात कह रहा हूँ। यह एक्सप्रेस हाई-वे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर दिल्ली सरकार के कहने से बनना शुरू हुआ। इसमें यू०पी० सरकार भी भागीदार हुई और हरियाणा सरकार भी भागीदार हुई। इस 135 किलोमीटर एक्सप्रेस हाई-वे के निर्माण के लिए जो जमीन अधिग्रहण होती थी उसके लिए किसानों के लिए मुआवजे की राशि 160 करोड़ रुपये आंकी गई थी। पिछली सरकार किसानों को मुआवजा देने ही वाली थी कि इस बीच हमारी सरकार बन गई। हमारी सरकार ने बनते ही फ्लोर रेट फिक्स कर दिया और उसके लिए हम पॉलिसी लेकर आए। इस बात पर बहुत ऐतराज हुआ और तकरबीबन सारी सरकारों ने ऐतराज किया। दिल्ली ने भी ऐतराज किया और यू०पी० की सरकार ने भी ऐतराज किया और कहा कि किसानों के लिए जो 160 करोड़ रुपये का कम्पनसेशन आंका गया है, उससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं। इस पर हमने कहा कि थोड़ा ऐसा होगा तो हम हरियाणा के किसानों की जमीन ऐक्वायर नहीं होने देंगे। अध्यक्ष महोदय, ये इस तरह से किसानों को लूटने का काम किया करते थे। इस प्रकार किसानों को 650 करोड़ रुपये मुआवजे की राशि दी गई और ऐन्जुटी भी साथ में दी। केवल एक प्रोजेक्ट में हरियाणा के किसानों को 500 करोड़ रुपये से ज्यादा का लाभ हुआ है। यह बात आप देख सकते हैं। हर जगह इस बात की चर्चा है। यू०पी० में भी इस बारे में बात होती है, मध्यप्रदेश में भी बात होती है और गुजरात में भी बात होती है। अब यह कहा जाता है कि इन हरियाणा की तर्ज पर जायेंगे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उस बारे में मैं बताना चाहूँगा। मैं श्री कृष्णपाल गुर्जर जी से कोई व्यक्तिगत बात नहीं कहता। यह तो सत्य है, यह बात मैं नहीं कह रहा, अगर आपने सुना हो तो चौधरी चरण सिंह जी कह कर गये हैं कि भारतीय जनता पार्टी नीतिगत तौर पर कभी भी किसान हितैषी नहीं हो सकती। ये किसानों की क्या बात करेंगे? इन्होंने तो सरकार के साथ मिलकर किसान को लूटने का काम किया है। इनके फरीदाबाद में 5-5 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों की जमीन को लूटा गया है जबकि हमारी सरकार ने मार्केट वैल्यू दी है और साथ में ऐन्जुटी भी दी है। इनकी सोच है और इनकी नीति है कि किसान जो खेती करता है, जो धरती माँ का पेट फाड़ता है वह वहीं का वहीं रह जाये। इनका यह सोचना है कि यदि मेरा दादा किसान था, मेरा बाप किसान था, मैं किसान था तो मेरा बेटा भी खेती करता रहे, बाहर जाकर कुछ भी न कर सके। आज मेरे किसान के बेटे का हक है कि वह बाहर इण्डस्ट्री लगाये और

उसे उसकी जमीन का अच्छा एक्विजीशन मिले और वह दूसरे धन्धों में जाये। ये तो चाहते हैं कि यह इसमें ही रहे। आज अगर दादा के पास दस एकड़ जमीन थी तो पोते के पास आधा एकड़ जमीन रह गई है। ये जो इनकी सोच है वह बदलनी होगी और किसान को भी हर काम करने का हक है और किसान को भी एक इन्डस्ट्री लगाने का हक है। किसान को भी आगे व्यापार करने का हक है। यह नहीं कि किसान को जमीन के साथ ही छिपकाये रखें। आज हमारे सामने बेरोजगारी का सवाल है आज सबसे बड़ी मुख्य समस्या हमारे सामने बेरोजगारी की है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैंने सुबह ही आपसे निवेदन किया था और मैं अब फिर निवेदन कर रहा हूँ कि जहाँ तक विज साहब का सवाल है इनके लिए तो आप क्वेश्चन आवर से पहले आधा घण्टा बोलने के लिए इनके नाम लिख दिया करें, इनको पूरी छूट दे दिया करो। ये जो बोलना चाहें वे बोल लें। उसके बाद इनके मुँह पर चोपी लगा दिया करें। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा कि आज पूरा देश हरियाणा की तरफ देख रहा है। जो हरियाणा ने जमीन अधिग्रहण की नीति बनाई है उसमें सबसे पहल की है। आज मैं फिर कह रहा हूँ कि जैसा कि हमारे मंत्री जी ने कहा है कि लैण्ड एक्विजीशन की पॉलिसी को जो हम फिर से रिवाइज करेंगे और जो भी किसानों के हित में और फसला हो सकेगा, उसको करेंगे, उनको बेहतर सुविधा देंगे ताकि हमारे किसान और तरक्की कर सकें। जैसा कि माननीय श्री सम्पत सिंह जी ने कालिंग अटेंशन मोशन दिया है और फतेहाबाद के गोरखपुर गांव की उसमें चर्चा की है तो उसके लिए मैं सदन को बताना चाहूँगा कि उस जमीन के तो अभी सरकार ने रेट तय ही नहीं किये हैं। अभी तो सैक्शन 4 की नोटिफिकेशन की है। अभी यह नहीं पता कि रेट क्या तय होना है। आप तो ये सवाल ही नहीं कर सकते कि हम किसानों की जमीन को किस रेट से ऐक्वायर करेंगे। किसानों की जमीन ऐक्वायर करने से पहले किसानों के विचार सुने जायेंगे। उसके बाद भी किसान को पूरा अधिकार है कि अगर उसको लगता है कि उसकी जमीन का रेट उसे कम मिला है तो वह एनहान्समेंट के लिए जा सकता है। यह किसान हितैषी सरकार है और किसान हितैषी सरकार रहेगी। मैं सदन को फिर से आश्चर्य करना चाहता हूँ कि हम किसानों का पूरा ध्यान रखेंगे। जहाँ तक रिहैबिलिटेशन की पॉलिसी है या किसानों की जमीन की एक्विजीशन करने की पॉलिसी है, उसे हम और बेहतर किसानों के हक में बनाने जा रहे हैं, धन्यवाद।

श्री कृष्णपाल गुर्जर : स्पीकर सर, ***

Mr. Speaker : No, no, Nothing is to be recorded.

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the Motion under Rule 15.

PWD (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That the proceedings on the items or Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the proceedings on the items or Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

*धेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[Shri Randeep Singh Surjewala]

Mr. Speaker : Question is—

That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

The motion was carried

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the Motion under Rule 16.

PWD (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned *sine-die*.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned *sine-die*.

Mr. Speaker : Question is—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned *sine-die*.

The motion was carried

सदन की मेज पर रखे गए कागज पत्र

Mr. Speaker : Now the Parliamentary Affairs Minister will lay papers on the Table of the House.

PWD (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to lay on the Table of the House:—

The Haryana Electricity Regulatory Commission Notification regarding Regulation No. HERC/14/2007, dated the 11th October 2007, as required under section 182 of the Electricity Act, 2003.

The Haryana Electricity Regulatory Commission Notification regarding Regulation No. HERC/15/2007, dated the 29th November, 2007, as required under section 182 of the Electricity Act, 2003.

The Haryana Electricity Regulatory Commission Notification regarding Regulation No. HERC/16/2007, dated the 29th November, 2007, as required under section 182 of the Electricity Act, 2003.

The Haryana Electricity Regulatory Commission Notification regarding Regulation No. HERC/17/2007, dated the 14th December, 2007, as required under section 182 of the Electricity Act, 2003.

The Haryana Electricity Regulatory Commission Notification regarding Regulation No. HERC/18/2008, dated the 31st October, 2008, as required under section 182 of the Electricity Act, 2003.

The Haryana Electricity Regulatory Commission Notification regarding Regulation No. HERC/19/2008, dated the 19th December, 2008, as required under section 182 of the Electricity Act, 2003.

The Haryana Electricity Regulatory Commission Notification regarding Regulation No. HERC/20/2008, dated the 19th December, 2008, as required under section 182 of the Electricity Act, 2003.

The Haryana Electricity Regulatory Commission Notification regarding Regulation No. HERC/21/2008, dated the 19th December, 2008, as required under section 182 of the Electricity Act, 2003.

The Haryana Electricity Regulatory Commission Notification regarding Regulation No. HERC/22/2009, dated the 12th May, 2009, as required under section 182 of the Electricity Act, 2003.

The Haryana Electricity Regulatory Commission Notification regarding Regulation No. HERC/02/2004/ 1st Amendment, 2006 dated the 16th October, 2006, as required under section 182 of the Electricity Act, 2003.

The Haryana Electricity Regulatory Commission Notification regarding Regulation No. HERC/02/2004/ 2nd Amendment, 2007, dated the 18th December, 2007, as required under section 182 of the Electricity Act, 2003.

The Haryana Electricity Regulatory Commission Notification regarding Regulation No. HERC/04/2004/ 1st Amendment, 2007, dated the 11th September, 2007, as required under section 182 of the Electricity Act, 2003.

The Haryana Electricity Regulatory Commission Notification regarding Regulation No. HERC/07/2004/ 1st Amendment, 2008, dated the 16th December, 2008, as required under section 182 of the Electricity Act, 2003.

[Shri Randeep Singh Surjewala]

The Haryana Electricity Regulatory Commission Notification regarding Regulation No. HERC/09/2004/ 1st Amendment, 2009 dated the 8th December, 2009, as required under section 182 of the Electricity Act, 2003.

The Haryana Electricity Regulatory Commission Notification regarding Regulation No. HERC/12/2005/ 1st Amendment, 2009, dated the 9th September, 2009, as required under section 182 of the Electricity Act, 2003.

The Haryana Electricity Regulatory Commission Notification regarding Regulation No. HERC/13/2005/ 1st Amendment, 2009 dated the 8th December, 2009, as required under section 182 of the Electricity Act, 2003.

The Haryana Electricity Regulatory Commission Notification regarding Regulation No. HERC/4/2004/ 3rd Amendment, 2010 dated the 18th March, 2010, as required under section 182 of the Electricity Act, 2003.

The Haryana Electricity Regulatory Commission Notification regarding Regulation No. HERC/5/2004/ 1st Amendment, 2010 dated the 18th March, 2010, as required under section 182 of the Electricity Act, 2003.

The Haryana Electricity Regulatory Commission Notification regarding Regulation No. HERC/21/2008/ 1st Amendment, 2010 dated the 27th May, 2010, as required under section 182 of the Electricity Act, 2003.

The Annual Report of Haryana Electricity Regulatory Commission for the years 2006-2007 & 2007-2008, as required under sections 104 (4) and 105 (2) of the Electricity Act, 2003.

The 35th Annual Report of Haryana Land Reclamation and Development Corporation Limited Panchkula for the year 2008-2009, as required under section 619 A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

The Annual Statement of Accounts of Haryana Urban Development Authority for the year 2007-2008, as required under section 19-A (3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

The Annual Statement of Accounts of Haryana Urban Development Authority for the year 2008-2009, as required under section 19-A (3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

The Annual Report of Haryana Police Housing Corporation Limited for the year 2006-2007, as required under section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

The Annual Report 2009-2010 (1-4-2009 to 31-3-2010) of Lokayukta, Haryana, as required under section 17 (4) of the Haryana Lokayukta Act, 2002.

विधान कार्य—

1. दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० ३) बिल, २०१०

Mr. Speaker : Hon'ble Members now, the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 2010 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 2010.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule**Mr. Speaker :** Question is—

That Schedule be the Schedule of the Bill

*The motion was carried.***Clause 1****Mr. Speaker :** Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

*The motion was carried.***Enacting Formula****Mr. Speaker :** Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

*The motion was carried.***Title****Mr. Speaker :** Question is—

That Title be the Title of the Bill.

*The motion was carried.***Mr. Speaker :** Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.**Finance Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) :** Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

श्री अनिल विज (अम्बाला कैट) : अध्यक्ष महोदय, मैं बिल्डिंग एण्ड रोड्स, लोकल गवर्नमेंट, सोशल सिक््योरिटी, इंडस्ट्रीज, माईन्स, ट्रांसपोर्ट, होम और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट्स के बारे में बोलना चाहूंगा। बिल्डिंग एण्ड रोड्स के बारे में बोलते हुए मैं कहना चाहूंगा कि सड़कों के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने काफी सड़कों का विस्तार से वर्णन किया था। हमारे यहां अम्बाला से साहा एक सड़क है जिसको चौड़ा करना बहुत आवश्यक है और इस वक्त इस सड़क की हालत इतनी खराब है कि इस पर चलना बहुत मुश्किल है इसलिए मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि इस सड़क को ठीक करवाया जाए। एक सड़क अम्बाला से बोह तक है, यह एरिया अब कारपोरेशन में आ गया है लेकिन उस सड़क की भी बहुत दयनीय स्थिति है। मंत्री जी आप नोट कर लें। मैं हरेक प्वायंट पर संक्षिप्त में अपनी बात कहूंगा। लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमारे शहर में एक भी सड़क ठीक नहीं है। सरकार का कोई भी मंत्री इन सड़कों पर चलकर दिखा दे तो कम से कम उसकी रोटी तो जरूर हजम हो जाएगी। सड़कों की हालत बहुत बुरी है इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सड़कों की तरफ सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अभी जो बाढ़ आई है उस बाढ़ की वजह से हमारे यहां की सड़कों की हालत बहुत खराब हो गई है। सारी

सड़कों के ऊपर चलना मुश्किल हो गया है। इन सड़कों की रिपेयर के लिए सरकार को स्पेशल पैकेज अनाउंस करना चाहिए ताकि सारी सड़कों को ठीक किया जा सके। पार्क के बारे में एक प्रश्न भी आया था, मैंने उस समय अपना प्रश्न नहीं पूछा था। हमारे शहर में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस नाम का एक बहुत सुंदर पार्क बनाया गया था लेकिन न जाने किस कारण से सरकार ने उसकी देखरेख का काम एक प्राइवेट कम्पनी को दे दिया। वह कम्पनी वैसे तो होल्डिंग लगाती है। अम्बाला शहर में होल्डिंग का एक साल का ठेका एक करोड़ रुपये में इस कम्पनी को दिया जाता है। सोशल प्रमोटर नाम की इस कम्पनी को 7 साल का ठेका 52 लाख रुपये में इस शर्त पर दे दिया गया कि वे अम्बाला शहर के दोनों पार्कों नेताजी सुभाष चन्द्र बोस और इंदिरा पार्क की देखरेख करेंगे। सुभाष पार्क और इंदिरा पार्क में शुरू-शुरू में 5-10 दिन 4-5 माली वर्दी डालकर खड़े किए थे लेकिन अब दो साल हो गये उन पार्कों की देख रेख की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है।

श्री अध्यक्ष : विज साहब, अब आप प्लीज बैठें। जो आप बोल रहे हैं यह सबजेक्ट नहीं है।

श्री अनिल विज : सर, यह बात लोकल गवर्नमेंट में आती है जो कि इस बिल का सबजेक्ट है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं जो कारपोरेशंस सरकार ने बनाई है, उसके बारे में बोलना चाहूंगा और मुख्य मंत्री जी से विशेष तौर पर कहना चाहूंगा कि प्रदेश में कारपोरेशन बनाये 6 महीने हो गये हैं। आज के दिन भी पूरे प्रदेश में कारपोरेशंस के ऊपर संबंधित डी०सी० को ही ऐडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया हुआ है। और उनमें स्टाफ के नाम पर एक भी आदमी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह बात आप कल भी कह चुके हो। प्लीज, आप रिपीटेशन न करें।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, गोपाल काण्डा की बात दस बार रिपीट हो गई थी आप एक बार भी नहीं बोले। उन्होंने कल भी वही बातें बोली थी और आज भी वही बातें बोली हैं।

श्री अध्यक्ष : विज साहब, काण्डा का आज दूसरा मैटर था। आप ऐसे न कहें कि दस बार रिपीटेशन हो गई।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं तो जनहित की बात कर रहा हूँ और आप मुझे रोक रहे हैं। आज के दिन पूरे प्रदेश में कारपोरेशंस का काम रुक गया है। हो सकता है सरकार ने कारपोरेशंस ठीक नीयल से बनाई होंगी लेकिन उनमें पहले स्टाफ की व्यवस्था न करने की वजह से आज सारे शहर डस्टबीन बनते जा रहे हैं। यदि सरकार शहरों को संभालना चाहती है तो कारपोरेशंस में शीघ्र ही स्टाफ लगाया जाये। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अम्बाला कैंट में आज के दिन न तो नक्शे पास हो रहे, न म्यूटेशन हो रही और न ही रजिस्ट्रियां हो रही हैं उस तरफ भी सरकार का ध्यान दे। अध्यक्ष महोदय, अब मैं सोशल सिक्योरिटी पर बोलना चाहता हूँ कि 8-9 महीने पहले सरकार ने बुढ़ापा पेंशन के लिए सर्वे करवाया था लेकिन अभी तक किसी को पेंशन नहीं मिली है। बुजुर्गों ने फार्म भी भर दिए, मेडीकल भी करवा लिया लेकिन सरकार बत्ता नहीं पा रही कि 8-9 महीने हो गये अब तक भी उनको पेंशन मिलनी शुरू क्यों नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से पीले कार्ड बनाने के लिए भी सर्वे हुआ था। डी०सी० और ए०डी०सी० आफिस से रिपोर्ट चली गई है लेकिन एक साल हो गया, नये पीले कार्ड नहीं बने हैं।

श्री अध्यक्ष : विज साहब, प्लीज, अब आप बैठें। Thank you very much. (Interruptions)
No more, no more. आप दस मिनट बोल चुके हो।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, अभी तो मैंने दो-तीन अहम बातें और कहनी हैं। * * * * *

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. Vij Sahib, listen to me, please take your seat. (Interruptions) You have explained it. Please sit down.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

2. दीनबन्धु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइन्स एंड टेक्नोलॉजी मुरथल (अमेन्डमेंट) बिल, 2010

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce Deenbandhu Chhotu Ram University of Science and Technology Murthal (Amendment) Bill, 2010 and will move the motion for its consideration.

P.W.D. B&R Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to introduce Deenbandhu Chhotu Ram University of Science and Techonology Murthal (Amendment) Bill, 2010.

Sir, I also beg to move—

That Deenbandhu Chhotu Ram University of Science and Technology Murthal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That Deenbandhu Chhotu Ram University of Science and Technology Murthal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That Deenbandhu Chhotu Ram University of Science and Technology Murthal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3**Mr. Speaker :** Question is—

That Clause 3 stands part of the Bill.

*The motion was carried.***Clause 1****Mr. Speaker :** Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

*The motion was carried.***Enacting Formula****Mr. Speaker :** Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

*The motion was carried.***Title****Mr. Speaker :** Question is—

That Title be the Title of the Bill.

*The motion was carried.***Mr. Speaker :** Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.**P.W.D. (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) :** Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

3. वाई० एम० सी० ए० यूनिवर्सिटी ऑफ साइन्स एंड टेक्नोलॉजी फरीदाबाद (अमेंडमेंट) बिल, 2010

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce YMCA University of Science and Technology Faridabad (Amendment) Bill, 2010 and will also move the motion for its consideration.

P.W.D. B&R Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to introduce YMCA University of Science and Technology Faridabad (Amendment) Bill, 2010.

Sir, I also beg to move—

That YMCA University of Science and Technology Faridabad (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That YMCA University of Science and Technology Faridabad (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That YMCA University of Science and Technology Faridabad (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

P.W.D. (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

4. गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइन्स एंड टेक्नोलॉजी हिसार (अमेंडमेंट) बिल, 2010

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce Guru Jambheshwar University of Science and Technology Hisar (Amendment) Bill, 2010 and will also move the motion for its consideration.

P.W.D. B&R Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to introduce Guru Jambheshwar University of Science and Technology Hisar (Amendment) Bill, 2010.

Sir, I also beg to move—

That Guru Jambheshwar University of Science and Technology Hisar (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That Guru Jambheshwar University of Science and Technology Hisar (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That Guru Jambheshwar University of Science and Technology Hisar (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3**Mr. Speaker :** Question is—

That Clause 3 stands part of the Bill.

*The motion was carried.***Clause 1****Mr. Speaker :** Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

*The motion was carried.***Enacting Formula****Mr. Speaker :** Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

*The motion was carried.***Title****Mr. Speaker :** Question is—

That Title be the Title of the Bill.

*The motion was carried.***Mr. Speaker :** Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.**P.W.D. (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) :** Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

*The motion was carried.***5. दि हरियाणा गौ-सेवा आयोग बिल, 2010****14.00 बजे** **Mr. Speaker :** Now, a Minister will introduce the Haryana Gau-Seva Aayog Bill, 2010 and will also move the motion for its consideration.**Agriculture Minister (Sardar Paramvir Singh) :** Sir, I beg to introduce the Haryana Gau-Seva-Aayog Bill, 2010.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Gau-Seva Aayog Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Gau-Seva Aayog Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Gau-Seva Aayog Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Sub-Clause (2) of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-Clause (2) of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 2 to 32

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses 2 to 32 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause (1) of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-Clause (1) of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Hon'ble Minister will move that the Bill be passed.

Agriculture Minister (Sardar Paramvir Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

6. दि पंजाब शिडयूल्ड रोडज एण्ड कंट्रोल्ड एरियाज रिसट्रिक्शन ऑफ
अनरैगुलेटेड डिवैल्पमेंट (हरियाणा सेकेण्ड अमैन्डमेंट) बिल, 2010

Mr. Speaker : Now, a Minister will introduce the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Second Amendment) Bill, 2010 and will also move the motion for its consideration.

Power Minister (Shri Mahendra Pratap) : Sir, I beg to introduce the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Second Amendment) Bill, 2010.

Sir, I also beg to move—

That the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Power Minister will move that the Bill be passed.

Power Minister (Shri Mahendra Pratap) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

7. दि हरियाणा डिवैल्पमेंट एण्ड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज (अमैन्डमेंट) बिल, 2010

Mr. Speaker : Now, a Minister will introduce the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill, 2010 and will also move the motion for its consideration.

Power Minister (Shri Mahendra Pratap) : Sir, I beg to introduce the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill, 2010.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 4 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 5

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 5 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1**Mr. Speaker :** Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

*The motion was carried.***Enacting Formula****Mr. Speaker :** Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

*The motion was carried.***Title****Mr. Speaker :** Question is—

That Title be the Title of the Bill.

*The motion was carried.***Mr. Speaker :** Now, the Power Minister will move that the Bill be passed.**Power Minister (Shri Mahendra Pratap) :** Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

*The motion was carried.***8. दि हरियाणा सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, ग्रुप ए, इरीगेशन डिपार्टमेंट बिल, 2010****Mr. Speaker :** Now, the Irrigation Minister will introduce the Haryana Service of Engineers, Group A, Irrigation Department Bill, 2010 and will also move the motion for its consideration.**Finance Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) :** Sir, I beg to introduce the Haryana Service of Engineers, Group A, Irrigation Department Bill, 2010.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Service of Engineers, Group A, Irrigation Department Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Service of Engineers, Group A, Irrigation Department Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Service of Engineers, Group A, Irrigation Department Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Sub-Clause (2) of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-Clause (2) of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause (3) of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-Clause (3) of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 2 to 23

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses 2 to 23 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause (1) of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-Clause (1) of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula**Mr. Speaker** : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

*The motion was carried.***Title****Mr. Speaker** : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

*The motion was carried.***Mr. Speaker** : Now, the Irrigation Minister will move that the Bill be passed.**Finance Minister (Capt. Ajay Singh Yadav)** : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

*The motion was carried.***9. दि हरियाणा वैल्यू ऐडेड टैक्स (सेकेण्ड अमेन्डमेंट) बिल, 2010****Mr. Speaker** : Now, the Irrigation Minister will introduce the Haryana Value Added Tax (Second Amendment) Bill, 2010 and will also move the motion for its consideration.**Finance Minister (Capt. Ajay Singh Yadav)** : Sir, I beg to introduce the Haryana Value Added Tax (Second Amendment) Bill, 2010.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Value Added Tax (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Value Added Tax (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Value Added Tax (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Irrigation Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, इस बिल के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि यह बिल बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल है। इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात है। हमारे सभी व्यापारियों की मांग थी कि यह जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, वह सोल्ड आईटम्स पर लगना चाहिए, अन-सोल्ड आईटम्स पर नहीं लगना चाहिए। सर, सरकार ने इस बारे में बहुत बड़ा कदम उठाया है। जो अन-सोल्ड आईटम्स पर टैक्स लगता था अब वह नहीं लगेगा। जो सैल होगी उसी पर टैक्स लगेगा। मैं समझता हूँ कि यह सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : मंत्री जी, यह खुश्याब किसने दिया था ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, फिर तो इनको इस बारे में कहना चाहिए था। ऐप्रोशिएट करना चाहिए था। ये वैसे तो व्यापारियों की बात करते हैं लेकिन इस बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला। इनको ऐप्रोशिएट करना चाहिए था।

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

10. दि हरियाणा सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, ग्रुप ए, पब्लिक वर्क्स (बिल्डिंग एण्ड रोड्स)
डिपार्टमेंट बिल, 2010

Mr. Speaker : Hon'ble Minister now, the Finance Minister will introduce the Haryana Service of Engineers, Group A, Public Works (Buildings & Roads) Department Bill, 2010 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Sir, I beg to introduce the Haryana Service of Engineers, Group A, Public Works (Buildings & Roads) Department Bill, 2010.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Service of Engineers, Group A, Public Works (Buildings & Roads) Department Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Service of Engineers, Group A, Public Works (Buildings & Roads) Department Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Service of Engineers, Group A, Public Works (Buildings & Roads) Department Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Sub-Clause (2) of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-Clause (2) of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause (3) of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-Clause (3) of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 2 to 25**Mr. Speaker :** Question is—

That Clauses 2 to 25 stand part of the Bill.

*The motion was carried.***Sub-Clause (1) of Clause 1****Mr. Speaker :** Question is—

That Sub-Clause (1) of Clause 1 stands part of the Bill.

*The motion was carried.***Enacting Formula****Mr. Speaker :** Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

*The motion was carried.***Mr. Speaker :** Question is—

That Title be the Title of the Bill.

*The motion was carried.***Mr. Speaker :** Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.**Finance Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) :** Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

*The motion was carried.***अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद****Mr. Speaker :** Now, I thank all the Hon'ble Members of the House for extending kind cooperation during the session and the House stands adjourned sine-die.***14.13 Hrs.** (The Sabha then *adjourned sine-die.)